



OCCL LIMITED

14th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Plot No. C-1, Sector-16, Noida - 201301, UP
Phone : 91-120-4744800 Email : occlnoida@occlindia.com
Website : www.occlindia.com



March 11, 2025

The Manager

BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code : 544278

The Manager

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051
Scrip Code : OCCLLTD

Dear Sirs,

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re.: Anti-Dumping Investigation concerning import of “Insoluble Sulphur”

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that Directorate General of Trade Remedies, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of our product i.e. “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR and Japan, the copy of official Gazette dated 07th March, 2025 published on 10th March, 2025 is enclosed. Details of Anti-Dumping duty recommended are as follows:

S. No.	Sub Heading or Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38123930, 28020010, 38249900	Insoluble Sulphur	China PR	Any other country including China	Any	307	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China and Japan	China PR	Any	307	MT	USD
3	-do-	-do-	Japan	Japan	Shikoku Chemicals Corporation	259	MT	USD
4	-do-	-do-	Japan	Any other country including China	Any other than (3)	358	MT	USD
5	-do-	-do-	Any country other than Japan and China	Japan	Any	358	MT	USD

Registered Office:

Survey No. 141,
Paiki of Mouje, APSEZL,
Mundra, Kachchh,
Gujarat, India, 370421
CIN: L24302GJ2022PLC131360

Plants:

Plot No. 3 & 4 Dharuhera Industrial Estate, Phase – 1
Dharuhera – 123106, Distt. Rewari, (Haryana)

SEZ Division: Survey No. 141, Paiki of Mouje Villag, Mundra, Taluka
Mundra, Mundra SEZ, District Kutch, Gujarat, 370421



OCCL LIMITED

14th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Plot No. C-1, Sector-16, Noida - 201301, UP
Phone : 91-120-4744800 Email : occlnoida@occlindia.com
Website : www.occlindia.com



The said imposition of anti-dumping duty shall come into effect after approval of relevant authorities.

The imposition of anti-dumping duty should have a significant positive impact on the performance of the Company. However, it will be difficult to ascertain the quantum of impact till the duty comes into effect due to uncertainties pertaining to the reaction of the affected countries to post imposition of duties and other prevailing geo-political factors.

The above is for your information and record.

Yours Sincerely,
For **OCCL Limited**

Pranab Kumar Maity
Company Secretary & GM- Legal
Encl.: As above.

Registered Office:

Survey No. 141,
Paiki of Mouje, APSEZL,
Mundra, Kachchh,
Gujarat, India, 370421
CIN: L24302GJ2022PLC131360

Plants:

Plot No. 3 & 4 Dharuhera Industrial Estate, Phase – 1
Dharuhera – 123106, Distt. Rewari, (Haryana)

SEZ Division: Survey No. 141, Paiki of Mouje Villag, Mundra, Taluka
Mundra, Mundra SEZ, District Kutch, Gujarat, 370421



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261521
CG-DL-E-10032025-261521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/ फाल्गुन 16, 1946

No. 69]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम निष्कर्ष
नई दिल्ली, 7 मार्च 2025

केस नं. – AD(OI) – 01/2024

विषय: चीन जन.गण. और जापान में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले "अघुलनशील सल्फर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा.सं. 6/01/2024-डीजीटीआर) - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” या “घरेलू उद्योग” या “याचिकाकर्ता” कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, चीन जन.गण. और जापान (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अघुलनशील सल्फर” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध सामान” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया।
2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, उपर्युक्त संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 मार्च, 2024 (जिसे यहां आगे “जांच की शुरुआत की अधिसूचना” कहा गया है) द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 मार्च, 2024 को सार्वजनिक अधिसूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और ज्ञात उत्पादकों तथा संबद्ध देश के निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा जांच की शुरुआत में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें और उनसे अनुरोध किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
 - iv. प्राधिकारी ने दिनांक 04.04.2024 के अपने ईमेल के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। संबद्ध देशों के दूतावासों को उनके संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति भेजी गई।
 - vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी।
 - vii. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:
 - i. मेसर्स शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन, जापान
 - ii. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक लिमिटेड, जापान

iii. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

- viii. चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है।
- ix. संबद्ध देशों के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें इस जांच में असहयोगी माना गया है।
- x. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने हुए, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशन को भी प्रश्नावलियां भेजी।
- xi. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- i. एमआरएफ लिमिटेड
- xii. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने भी जांच के दौरान अनुरोध किए हैं:
- i. आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
- xiii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू के उत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया था:
- i. ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड ("घरेलू उद्योग")
- ii. एमआरएफ लिमिटेड
- xiv. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे "पीओआई" कहा गया है) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 और जांच की अवधि है।
- xv. सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया था। वह प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था और जांच की शुरुआत के स्तर पर उस पर विचार किया गया। वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए, प्राधिकारी ने सिस्टम महानिदेशालय (जिसे आगे "डीजी सिस्टम" कहा गया है) के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xvi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर चर्चा की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट और अनुरोध प्राप्त होने के बाद, प्राधिकारी ने 12 अगस्त 2024 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निर्धारित किया। यह जाता है कि इस मामले में पीसीएन की आवश्यकता नहीं थी।
- xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xviii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 14 जनवरी 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया

गया था कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करें।

- xix. क्षति रहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' कहा गया है) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन की लागत और नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय के आधार पर निर्धारित की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xx. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 18 फरवरी 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच संगत समझी गई सीमा तक की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की गई है और आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन के दौरान सत्यापित किया गया है तथा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।
- xxii. मैसर्स शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन (एससीसी) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की, आवश्यकतानुसार स्थल सत्यापन के दौरान जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- xxiii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय रूपांतर का पर्याप्त सार उपलब्ध कराएं।
- xxiv. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के संगत मानी गई है।
- xxv. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकटन विवरण रिकॉर्ड किया है।
- xxvi. इस प्रकटन विवरण में “***” किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाता है।
- xxvii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद (जिसे इसके बाद "पीयूसी" भी कहा गया है), निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

“2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “अघुलनशील सल्फर” है जिसे इसके बाद “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है।

3. अघुलनशील सल्फर, परिभाषा के अनुसार, एक बहुलक सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फ़ाइड (सीएस₂) में अघुलनशील है। अघुलनशील सल्फर का उपयोग आम तौर पर रबड़ के कुछ अनुप्रयोगों में वल्केनाइजेशन एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि ब्लूमिंग घटना का प्रतिरोध किया जा सके जो रबड़ यौगिक के लिए हानिकारक है।

4. अघुलनशील सल्फर एक महत्वपूर्ण रबड़ योजक एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, पहनने योग्यता और थकान और उम्र बढ़ने दोनों के प्रतिरोध में सुधार करता है। सर्वोत्तम वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के अलावा, इसका व्यापक रूप से टायर, ट्रेड, जूते, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबड़ भागों और अन्य रबड़ उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसलिए, इसकी गैर-ब्लूमिंग विशेषता के कारण, अघुलनशील सल्फर का व्यापक रूप से रबड़ उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिसमें सामान्य सल्फर उच्च अनुपात में शामिल होता है। अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के आधार पर, भारत में अघुलनशील सल्फर की कुल खपत में से 90% से अधिक का उपयोग टायर उद्योग में किया जाता है और शेष का उपयोग गैर-टायर उद्योग में किया जाता है। उत्पाद के वजन में माप की इकाई किलोग्राम (किग्रा) में बताई गई है।”

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. जांच शुरुआत अधिसूचना में वर्णित विचाराधीन उत्पाद विस्तृत है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ग्रेड शामिल हैं जिनका घरेलू उद्योग निर्माण नहीं करता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विपणित ग्रेड और ऐसे ग्रेड शामिल हैं जो घरेलू रूप से निर्मित/घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं।
- ख. ये ग्रेड भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता, अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग के संदर्भ में विशिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड के साथ वाणिज्यिक रूप से गैर-प्रतिस्थापन योग्य बनाता है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाने वाले ग्रेड ‘समान उत्पाद’ या ‘समान वस्तु’ के रूप में योग्य नहीं बनते।
- ग. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के पास इसकी अनुपलब्धता के कारण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से सुपर हाई थर्मल स्टेबिलिटी (जिसे आगे “एसएचटीएस” कहा गया है) ग्रेड को बाहर करने की मांग की है। आयातित एसएचटीएस ग्रेड सामान्य ग्रेड से अधिक कीमत का है जो विशिष्ट बाजार स्थिति दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि उसको हटाने से घरेलू उद्योग की कीमत को नुकसान नहीं होगा।
- घ. एसएचटीएस ग्रेड स्टील बेल्ट से युक्त रेडियल टायरों में प्रयुक्त एक विशेष वेरिंट है। यह ग्रेड इस्पात और रबड़ संघटकों के बीच बेहतर जुड़ा प्रदान करता है जो एक साधारण विचाराधीन उत्पाद का ग्रेड हासिल नहीं कर सकता। यह बड़ा हुआ जुड़ाव गुण-धर्म टायर के टिकाऊपन और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
- ड. एसएचटीएस ग्रेड रेडियल टायर के विनिर्माण में बहुविध महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह टायरों की संरचनागत अखंडता में सुधार करता है और उनकी घिसाई पिटाई में उनकी प्रतिरोधकता बढ़ाता है जिससे उनका प्रचालनात्मक जीवन-काल बढ़ जाता है।

- च. तापीय स्थिरता को एसएचटीएस ग्रेड की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पहचाना जाता है। यह ग्रेड उच्च तापमान पर स्थिरता बनाए रखता है, जिससे उत्पादन के दौरान लगातार गुणवत्ता और निष्पादन सुनिश्चित होता है। उद्योग निर्माण मानकों को पूरा करने के लिए यह स्थिरता आवश्यक है।
- छ. एसएचटीएस ग्रेड में यौगिकों में प्रभावी सल्फर फैलाव की क्षमता है। यह गुण-धर्म उच्च आसंजन (आसंजन) और ब्लूमिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लूमिंग टायर की गुणवत्ता और निष्पादन को खराब कर सकता है। संपूर्ण फैलाव यौगिक की एकरूपता और अखंडता सुनिश्चित करता है।
- ज. रेडियल टायरों का निर्माण मानक या साधारण पीयूसी ग्रेड का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है, जिससे इस अनुप्रयोग के लिए एसएचटीएस ग्रेड अपरिहार्य हो जाता है।
- झ. घरेलू उद्योग टायर निर्माताओं द्वारा आवश्यक एसएचटीएस विनिर्देशों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए सभी नमूने रेडियल टायर विनिर्माण के लिए गुणात्मक रूप से अपर्याप्त पाए गए हैं। परिणामस्वरूप, एमआरएफ ने रेडियल टायर विनिर्माण उपयोग के लिए घरेलू उत्पाद को मंजूरी नहीं दी है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने परीक्षण के उद्देश्यों के लिए एक विकल्प ग्रेड "वल्केमैक्स ओटी-10" की पेशकश की थी। हालांकि, संदर्भ आयातित सामग्री के खिलाफ मूल्यांकन किए जाने पर यह विकल्प ग्रेड प्रक्रिया मानकों में विफल रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग ने एक विकल्प ग्रेड "डायमंड सल्फ डीएस-ओटी-यूएचडी" की भी पेशकश की है। यह ग्रेड भी खराब सल्फर फैलाव और कम पुल-आउट आसंजन के कारण स्वीकार्य नहीं पाया गया, जो कि रेडियल टायरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विचाराधीन उत्पाद के अनिवार्य गुण-धर्म हैं।
- ठ. यूएचडी ग्रेड महत्वपूर्ण भौतिक/रासायनिक अंतर दर्शाता है। इन मौलिक असमानताओं के कारण यूएचडी ग्रेड एसएचटीएस ग्रेड के लिए सीधे प्रतिस्थापन अथवा परस्पर परिवर्तनीय विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
- ड. घरेलू उद्योग के उच्च फैलाव योग्य तेल उपचारित (एचडी-ओटी-20) और तेल उपचारित (ओटी-20) ग्रेड आयातित उत्पादों के लिए प्रतिस्थापन नहीं हैं।
- ढ. घरेलू ग्रेड आयातित उत्पादों से भिन्न पीले-भूरे रंग का रंग प्रदर्शित करता है। यह अंतर दृश्य उपस्थिति से परे मौलिक मुद्दों को दर्शाता है, जो परिष्कृत उत्पाद के निष्पादन को प्रभावित करता है। यह रंग घरेलू रूप से उपलब्ध विचाराधीन उत्पाद में संरचनागत अंतर और अशुद्धियों के कारण है। घरेलू उद्योग और एटीएमए सदस्यों के बीच पत्राचार के साथ-साथ व्यापक सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई रिपोर्ट को घरेलू ग्रेड के निरीक्षण के दौरान पहचाने गए रंग भिन्नता के मुद्दों का विवरण दिखाने के लिए सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया था।
- ण. नमूना ग्रेडों के साथ भारी परीक्षण मापनीय संगठनात्मक अंतर दर्शाते हैं। टायर विनिर्माण में घरेलू ग्रेड का निष्पादन गैर इस्पात कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित टैक और ब्लूमिंग विनिर्देशों को पूरा करने में विफल हो जाता है।
- त. अतिरिक्त शिकायतें न फैली हुई हार्ड ग्रिट प्रदूषक क्योर्ड टायर्स रिपोर्ट करती हैं, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा के जोखिम बनते हैं, साथ ही तननशीलता की विफलता की संभावना रहती है।

- थ. घरेलू उद्योग के साथ कई तकनीकी परामर्शों के बावजूद, घरेलू ग्रेड की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाया है। भौतिक और तकनीकी विनिर्देश ग्राहकों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल ओईएम निर्माताओं द्वारा अनिवार्य किए जाते हैं। टायर निर्माण कंपनियां इन उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकती हैं, जब उनके ग्राहक घरेलू ग्रेड में अंतर को अस्वीकार कर देते हैं।
- द. बाद में यह अनुरोध किया गया कि "एचडी-ओटी-20" और "ओटी-20" ग्रेड हाल ही में आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा आयातित स्रोतों के साथ-साथ घरेलू स्रोतों से भी खरीदे जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन ग्रेडों के विरुद्ध बहिष्कार के अनुरोधों पर एटीएमए द्वारा आगे दबाव नहीं डाला जाएगा।
- ध. म्यूक्रॉन ओटी-20 एचडी जी (जिसे आगे "विशेष ग्रेड" कहा गया है) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान वस्तु नहीं है। विशेष ग्रेड का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों की तुलना में इसके प्रदर्शन और विनिर्देशों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। विशेष ग्रेड की लागत और बिक्री मूल्य भी पीयूसी से भिन्न होता है।
- न. चीन जन.गण.कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, यूएसए, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूईई, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोलड उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने कुछ ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा है क्योंकि घरेलू उद्योग ने निर्यातक के इस दावे का खंडन नहीं किया कि कुछ ग्रेडों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है और तुलनीय ग्रेडों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री नहीं की गई है।
- प. चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेई), थाईलैंड और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से कुछ ग्रेडों को जांच के दायरे क्षेत्र से बाहर रखा है क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिखाए कि उन्होंने जांच की अवधि में ऐसे ग्रेडों की आपूर्ति की थी और निर्यातकों द्वारा बाहर रखे जाने वाले ग्रेडों के साथ अपने ग्रेडों की तुल्यता नहीं दर्शाई थी।
- फ. चीन जन., यूरोपीय संघ और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोटेड पेपर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने कुछ उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा है क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया था।
- ब. तापीय स्थिरता, ब्लूम प्रतिरोध और ज्वाला परीक्षण के संदर्भ में सामान्य ग्रेड की तुलना में विशेष ग्रेड का प्रदर्शन काफी बेहतर है। विशेष ग्रेड 120 डिग्री सेल्सियस दर पर उच्चतर तापीय स्थिरता प्रदर्शित करता है। विशेष ग्रेड रबड़ यौगिक के मिश्रण के दौरान घुलनशील सल्फर में कम परिवर्तन के कारण सल्फर ब्लूम का जोखिम कर करता है। विशेष ग्रेड गैर-खतरनाक सामग्री मानी जाती है जबकि ओटी-20 एचडी ग्रेड को जापान में अग्निशमन सेवा अधिनियम के अनुसार खतरनाक सामग्री माना जाता है। विशेष ग्रेड का जलने का समय ओटी-20 एचडी ग्रेड के जलने के समय से काफी कम है। इसके अलावा, नियमित ग्रेड की तुलना में विशेष ग्रेड की लागत और कीमत अधिक है।
- भ. घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि वह इस विशेष ग्रेड का निर्माण नहीं करता है और इसके लिए मांग की कमी को जिम्मेदार ठहराया। घरेलू उद्योग का 'मांग की कमी' का दावा बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जापान के उत्पादक ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में विशेष ग्रेड बेचा है।

- म. यह विशेष ग्रेड सुपर हाई थर्मल स्टेबिलिटी (जिसे आगे "एसएचटीएस" कहा गया है) ग्रेड से तुलनीय है, जिसके लिए प्रयोक्ता उद्योग उसे बाहर रखने का अनुरोध भी कर रहा है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने बहिष्कार अनुरोध का समर्थन करने के लिए किसी भी सकारात्मक सबूत के साथ कोई पुष्ट दावा नहीं किया है।
- ख. एटीएमए ने अपनी सदस्य कंपनी यानी एमआरएफ की ओर से घरेलू उद्योग से अनुपलब्धता का दावा करते हुए एसएचटीएस ग्रेड को बाहर रखने की मांग की। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि उनका यूएचडी ग्रेड एसएचटीएस ग्रेड के बराबर है। उद्योग ने कहा कि उनके यूएचडी ग्रेड में उच्च तापीय स्थिरता, प्रभावी सल्फर फैलाव और इस एसएचटीएस ग्रेड के अन्य अपेक्षित गुण-धर्म मौजूद हैं।
- ग. ओटी-20 के चार ग्रेड जो सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं वे हैं: उच्च फैलाव (जिसे आगे "एचडी" कहा गया है), उच्च स्थिरता (जिसे आगे "एचएस" कहा गया है), अल्ट्रा-हाई फैलाव (जिसे आगे "यूएचडी" कहा गया है) और सामान्य ओटी-20। एचडी और यूएचडी ग्रेड बाजार व्यवहार में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं तथा यूएचडी ग्रेड अंतिम प्रयोक्ता विनिर्देशनों के आधार पर एसएचटीएस ग्रेड का समानार्थी है।
- घ. न्यूनतम राख सामग्री, कम अम्लता और नियंत्रित ताप हानि जैसे अतिरिक्त पैरामीटर यूएचडी ग्रेड की तकनीकी क्षमता को और पुष्ट करते हैं। बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की प्रतिबद्धता का प्रमाण अन्य टायर निर्माताओं को यूएचडी ग्रेड की दीर्घकालिक आपूर्ति से मिलता है।
- ङ. घरेलू उद्योग का यूएचडी ग्रेड 105°सेल्शियस और 115°सेल्शियस पर उच्च तापीय स्थिरता प्रदर्शित करता है जो एमआरएफ की विनिर्देश आवश्यकताओं से अधिक है। घरेलू उद्योग ने व्यापक तकनीकी डाटा शीट उपलब्ध कराई है। तकनीकी डाटा शीट दर्शाती है कि ग्रेड में उपयुक्त योजकों के साथ सल्फर और कोटिंग तेल शामिल हैं, जिन्हें रेडियल टायर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले नॉन-ब्लूमिंग बल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है।
- च. एक तुलनात्मक विश्लेषण शीट ने घरेलू यूएचडी ग्रेड और आवश्यक एसएचटीएस विनिर्देशों के बीच बराबरी दर्शाती है। इस विश्लेषण में अघुलशील सल्फर सामग्री, सीएस2 का अघुलनशील मान, कुल सल्फर सामग्री और तापीय स्थिरता मानदंडों सहित कई मानदंड शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने विस्तृत पुल आसंजन परीक्षण के परिणाम भी प्रदान किए, जो दर्शाते हैं कि उनके उत्पाद ने एमआरएफ की विनिर्देश आवश्यकता के विरुद्ध अपेक्षित मान प्राप्त किए हैं, जो तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- छ. यह सिद्ध है कि दो टायर निर्माण कंपनियों द्वारा आवश्यक एसएचटीएस उत्पाद उद्योग द्वारा पेश किए गए यूएचडी ग्रेड के समान है। घरेलू उद्योग 2018 से इन दो विनिर्माण कंपनियों में से एक को इस यूएचडी ग्रेड की आपूर्ति करता रहा है।
- ज. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि अधिकतर वैश्विक टायर निर्माता विचाराधीन उत्पाद के मानक ग्रेड का उपयोग करते हैं। केवल दो टायर निर्माता रेडियल टायर के विनिर्माण के लिए एसएचटीएस ग्रेड की आवश्यकता का दावा करते हैं। घरेलू उद्योग ने कई निर्माताओं द्वारा अपने ग्रेड के सफल उपयोग को

दर्शाने वाले साक्ष्य दिए, जो विचाराधीन उत्पाद के मानक ग्रेड का उपयोग करके रेडियल टायर का उत्पादन करते हैं।

- झ. घरेलू उद्योग ने एमआरएफ के परीक्षण दृष्टिकोण की समस्याओं को उजागर किया, विशेष रूप से नियंत्रण नमूने बनाम घरेलू उद्योग के उत्पाद के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आवर्धन पैमानों का उल्लेख किया है। इससे अनुचित तुलना की स्थितियां बनती हैं। घरेलू उद्योग ने अलग से तृतीय पक्षकार प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूने भेजे जो विनिर्देशनों के अनुसार अनुपालन दर्शाते हैं।
- ञ. ग्रेड को रद्द करने वाली घटनाओं की समय सीमा प्रक्रिया संबंधी अनुचित व्यवहार का पैटर्न दर्शाती है। एमआरएफ द्वारा समय पूर्व अस्वीकरण सूचित किया गया था, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अतिरिक्त टिप्पणियां/स्पष्टीकरण दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा से एक पूर्व का समय था।
- ट. अस्वीकृति के बाद, नमूनों पर परीक्षण फिर से एक तीसरे पक्ष की स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा किया गया। इन परीक्षण रिपोर्टों का निष्कर्ष यह था कि घरेलू उद्योग का उत्पाद विभिन्न मापदंडों पर एमआरएफ द्वारा अपेक्षित उत्पाद से बेहतर है। स्वतंत्र प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट घरेलू उद्योग की उच्चतम तकनीकी मानकों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यूएचडी ग्रेड की क्षमताओं का प्रमाण प्रदान करती है।
- ठ. सतही नाम (जिसमें औद्योगिक मान्यता प्राप्त मानक नहीं है) के आधार पर बाहर किए जाने को स्वीकार करना एक खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा जो जांच की अखंडता को मौलिक रूप से कमजोर कर सकता है।
- ड. घरेलू उद्योग ने संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचडी-ओटी-20 और ओटी-20 ग्रेड को हटाने के अपने प्रयास में एटीएमए द्वारा किए गए निराधार और भ्रामक दावों पर आपत्ति जताई। घरेलू उद्योग नियमित रूप से ग्राहकों को एचडी-ओटी-20 और ओटी-20 ग्रेड की आपूर्ति करता है।
- ढ. इन आपूर्ति किए गए ग्रेडों में कमियों के दावों के पीछे कोई वास्तविक सहायक साक्ष्य नहीं है और इसे प्रमाणित करने वाले किसी भी साक्ष्य को गोपनीयता के साथ छुपाया गया है।
- ण. एक मामला ऐसा था जहां आपूर्ति किए गए उत्पाद का रंग पीला-भूरा था। हालांकि, घरेलू उद्योग ने ग्राहक के साथ इस मुद्दे को तुरंत सुलझा लिया। वास्तव में, इस विशेष ग्राहक ने घरेलू उद्योग से लगातार इस उत्पाद को खरीदना जारी रखा है।
- त. विचाराधीन उत्पाद में हार्ड ग्रिट की मौजूदगी के संबंध में एकमात्र शिकायत प्राप्त हुई थी। तथापि, इस शिकायत को विधिवत हल किया गया और त्वरित और संतोषजनक तरीके से उसका समाधान किया गया। केवल एक शिकायत का होना, जिसे तुरंत और प्रभावी ढंग से हल किया गया था, उत्पाद को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर करने के लिए एक वैध आधार नहीं बनता है।
- थ. व्यापक सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई रिपोर्ट (सीएपीए) जारी करना निरंतर सुधार और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण उद्योगों में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया है - यह बड़े दोषों का संकेत नहीं है।
- द. एटीएमए ने कुछ प्रदर्शों पर भरोसा किया है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से गोपनीय के रूप में चिह्नित करने का विकल्प चुना है, जिससे उनकी सामग्री घरेलू उद्योग से छिप गई है। इन प्रदर्शों में घरेलू उद्योग और निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार शामिल हैं। इन प्रदर्शों

को गोपनीय रूप में नामित करके, घरेलू उद्योग को उस पत्राचार तक पहुंचने और उस पर टिप्पणी करने से रोक दिया जाता है जो सीधे उसके हितों से संबंधित है और उसमें शामिल है।

- ध. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि म्यूक्रॉन ओटी 20 एचडी जी ("स्पेशलिटी ग्रेड") को हटाना अनावश्यक है क्योंकि एससीसी ने ग्रेड के विशिष्ट गुण-धर्म अथवा वाणिज्यिक मौजूदगी नहीं दर्शायी है। एससीसी ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है कि स्पेशलिटी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' नहीं है।
- न. उत्पाद को हटाने के लिए यह प्रमाण आवश्यक है कि ग्रेड न तो वाणिज्यिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापनीय है। उन्होंने सामान्य रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन न किया जाना बताया है और बिना प्रमाण के निष्पादन अंतरों का दावा किया है।
- प. यू एससीसी ने यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उसका विशेष ग्रेड घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें केवल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन न करने का दावा किया गया तथा बिना किसी प्रमाण के प्रदर्शन में अंतर का दावा किया गया।
- फ. एससीसी ने तीनों मापदंडों – तापीय स्थिरता, ब्लूम प्रतिरोधकता और क्लेम परीक्षण के लिए प्रमुख तकनीकी आंकड़ों को गोपनीय चिन्हित किया है। तापीय स्थिरता के लिए यद्यपि एससीसी 120 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर प्रदर्शन का दावा करता है, तथापि सभी तुलनात्मक परीक्षण परिणाम गोपनीय हैं। घरेलू उद्योग ने बिक्री बीजकों और विश्लेषण प्रमाण-पत्रों के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को अपेक्षित तापीय स्थिरता वाले विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने का साक्ष्य दिया है।
- व. ब्लूम प्रतिरोधकता पर, एससीसी के परीक्षण के परिणाम गोपनीय हैं। तापीय स्थिरता के साथ ब्लूम प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है, जिससे अलग से परीक्षण अनावश्यक हो जाता है।
- भ. फ्लेम परीक्षण के लिए, एससीसी ने जापानी अग्निशमन सेवा अधिनियम का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि इसका ग्रेड गैर-खतरनाक है जबकि घरेलू उद्योग का उत्पाद खतरनाक है। तथापि, एससीसी ने अधिनियम के अनुदित अंश प्रदान नहीं किए हैं या जलने के समय के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, जिससे यह जानकारी गोपनीय बनी हुई है। घरेलू उद्योग का कहना है कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों से खतरे का वर्गीकरण भारतीय जांच में उत्पाद के दायरे का निर्धारण नहीं करता है। भारतीय अधिकारियों को विदेशी वर्गीकरणों की परवाह किए बिना भारतीय नियमों को लागू करना चाहिए।
- म. तीसरे पक्षकार के आयात आंकड़ों से पता चलता है कि एससीसी ने अप्रैल 2023 में एक ही शिपमेंट के साथ केवल भारत को विशेष ग्रेड का निर्यात किया। घरेलू उद्योग नोट करता है कि जांच की अवधि के दौरान लगातार आयात के बिना ग्रेड को बाहर नहीं किया जा सकता है। एक ही शिपमेंट उसे हटाए जाने का औचित्य नहीं बनाता। अन्य बाजारों को निर्यातों का न होना भारत और विश्व में दोनों जगह सीमित वाणिज्यिक मांग को दर्शाता है।
- य. घरेलू उद्योग ने अनेक पूर्ववर्ती मामलों का हवाला दिया, जहां प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त आयात के बिना ही हटाए जाने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें विद्युत इंसुलेटर जांच में हाल का निर्णय भी शामिल है।
- कक. जब कोई आयात नहीं होता है, तो प्राधिकारी ने निरंतर हटाए जाने के अनुरोधों को अस्वीकार किया है। चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबड़ (आईआईआर) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों में इस स्थिति की पुष्टि की गई थी।

- खख. विशेष ग्रेड एससीसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट, विपणन सामग्री और अन्य मानक उत्पाद प्रचार प्लेटफार्मों से गैर-मौजूद है। इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से एससीसी के हटाए जाने के दावे को अस्वीकार करने का अनुरोध किया, क्योंकि एससीसी ने ग्रेड की वाणिज्यिक मौजूदगी या उपलब्धता का सबूत नहीं दिया है।
- गग. एससीसी के ग्रेड में उद्योग की मान्यता का अभाव है। उत्पाद के नाम में "जी" अक्षर जोड़ने से कोई स्वीकृत उत्पाद श्रेणी नहीं बनती है। एक अक्षर जोड़ने से उत्पाद की मूल संरचना या विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं होता है। उत्पाद को बाहर करने के लिए केवल अलग-अलग नामकरण नहीं, बल्कि मूल अंतर की आवश्यकता होती है। केवल नाम परिवर्तन के आधार पर बाहर करने की अनुमति देने से उत्पादों के सरल नाम बदलने के द्वारा व्यापार उपायों की प्रवंचना की जा सकेगी।
- घघ. प्राधिकारी ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विशेष ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता है, तथा एससीसी के तर्कों में गैर-प्रतिस्थापनीयता को साबित करने के लिए साक्ष्य का अभाव था।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है।
8. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के संबंध में टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया था। इसके बाद, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के संबंध में अपने अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया।
9. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणियां प्राप्त होने पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपना उत्तर दायर कराने का निर्देश दिया।
10. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की उचित जांच के बाद, प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि वर्तमान जांच में पीसीएन की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 12 अगस्त, 2024 की अधिसूचना से संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

“5. पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की उचित जांच तथा वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी ने पाया कि:

- *वल्कामैक्स ओटी-10 और एसएचटीएस (ओटी-20) के बीच तुलना गलत है, क्योंकि ओटी-20 और ओटी-10 मूल रूप से भिन्न हैं।*
- *सल्फर फैलाव के संबंध में परीक्षण के परिणाम आवर्धन स्तरों में पद्धतिगत असंगतियों को प्रकट करते हैं। पुल-आउट आसंजन के परीक्षण के परिणाम संकेत देते हैं कि प्रतिस्पर्धी के उत्पाद/नियंत्रण का प्रदर्शन बेहतर है, घरेलू उद्योग का यूएचडी उत्पाद (एसएचटीएस के समान वस्तु) घरेलू उद्योग के ग्राहक की तकनीकी विनिर्देश आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है।*
- *एससीसी से प्राप्त तर्कों में सहायक साक्ष्य का अभाव है तथा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि जिस उत्पाद को हटाए जाने की मांग की गई, वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु से न तो वाणिज्यिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है।*

6. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का निर्णय लिया है, और इसका क्षेत्र वही रहेगा जैसा कि अधिसूचना में कहा गया है और इसमें किसी पीसीएन या किसी को हटाए जाने की आवश्यकता नहीं है..."

11. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एसएचटीएस ग्रेड और म्यूक्रॉन ओटी 20 एचडी जी (इसके बाद "स्पेशलिटी ग्रेड" के रूप में संदर्भित) को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है।
12. एसएचटीएस ग्रेड को बाहर करने के संबंध में, एटीएमए ने अपनी सदस्य कंपनी यानी एमआरएफ की ओर से मुख्य रूप से इस आधार पर उसे हटाए जाने का अनुरोध किया है कि यह विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं के साथ एक विशेष संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका घरेलू उद्योग निर्माण नहीं करता है। एटीएमए ने तर्क दिया कि एसएचटीएस ग्रेड रेडियल टायरों में स्टील और रबड़ घटकों के बीच बेहतर आसंजन प्रदान करता है, उच्च तापमान पर उच्च तापीय स्थिरता बनाए रखता है, और प्रभावी सल्फर फैलाव को सक्षम बनाता है। इसने आगे तर्क दिया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए नमूने रेडियल टायर विनिर्माण के लिए गुणात्मक रूप से अपर्याप्त पाए गए।
13. घरेलू उद्योग ने इन दावों के उत्तर में यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग का यूएचडी ग्रेड, एसएचटीएस ग्रेड की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों, तकनीकी आंकड़ा शीटों, विश्लेषण प्रमाणपत्र आदि के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए कि घरेलू उद्योग का यूएचडी ग्रेड एसएचटीएस ग्रेड से काफी मिलता-जुलता है।
14. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस तर्क में औचित्य दिखाई देता है कि एसएचटीएस ग्रेड को परिभाषित करने वाला कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक नहीं है। आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि उच्च तापीय स्थिरता वाले विचाराधीन उत्पाद को "सुपर एचटीएस", "अत्यधिक फैलने योग्य सुपर थर्मल स्थिरता अधुलनशील सल्फर" आदि जैसे विभिन्न नामों से आयात किया गया है। घरेलू उद्योग ने तकनीकी आंकड़ा शीटों के साथ उनके गुण-धर्म बताते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उच्च तापीय स्थिरता वाले ग्रेड की सक्रिय बिक्री का सबूत देने वाले बिक्री बीजक प्रस्तुत किए हैं। ये दस्तावेज यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पाद में उपयुक्त योजकों के साथ सल्फर और कोटिंग तेल शामिल हैं और यह रेडियल टायर विनिर्माण में नॉन-ब्लूमिंग वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है - वही उद्देश्य जो एसएचटीएस ग्रेड के लिए दावा किया गया है।
15. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों और एटीएमए द्वारा अपनी सदस्य कंपनी, यानी एमआरएफ की ओर से प्रस्तुत तकनीकी विनिर्देशों की भी जांच की है। प्राधिकारी ने इस मामले में प्रस्तुत परीक्षण परिणामों, जिसमें एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम भी शामिल हैं, का अवलोकन किया है। ग्रेडों के बीच परिणामों में तुलनीयता के साक्ष्य देने वाले रिकॉर्ड के संबंध में रखी गई सामग्री के आधार पर प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई परस्पर परिवर्तनीयता और समानता के अभाव के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है।
16. प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा किए गए इस दावे के संबंध में एमआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की है कि एसएचटीएस ग्रेडों के आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादों की कीमत से अधिक है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों की भी जांच की और पाया कि घरेलू स्तर पर खरीदे गए विचाराधीन उत्पाद (ओटी-20 सामान्य ग्रेड) की कीमत चीन जन.गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद (एसएचटीएस ग्रेड) से अधिक है। यह प्रासंगिक है क्योंकि यदि एमआरएफ चीन से मुख्य रूप से एसएचटीएस ग्रेड का आयात कर रहा है, जैसा कि दावा किया गया है, तो एसएचटीएस ग्रेड और घरेलू उद्योग के उत्पादों के बीच पर्याप्त मूल्य अंतर होना चाहिए। इसलिए, एमआरएफ द्वारा दिया गया तर्क कि एसएचटीएस की कीमत घरेलू उद्योग के ग्रेड से अधिक है, का खंडन होता है तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत उसके स्वयं के मूल्य निर्धारण आंकड़ों से भी इसका समर्थन नहीं होता है।
17. प्राधिकारी का मानना है कि केवल नाम के आधार पर हटाए जाने को स्वीकार करना कानून रूप से उचित नहीं है। किसी वस्तु के हटाए जाने को उसकी विशिष्टता और विचाराधीन उत्पाद से गैर-समानता के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए न कि केवल लेबलिंग के आधार पर।

18. वाणिज्यिक मौजूदगी और बाजार में उपस्थिति के संबंध में, प्राधिकारी के आयात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान भारत को केवल एक बार विशेष ग्रेड का निर्यात किया गया था, अन्य देशों को निर्यात का कोई साक्ष्य नहीं है। यह एकल शिपमेंट वास्तविक वाणिज्यिक अस्तित्व या बाजार मांग को दर्शाने में विफल रहा है।
19. तकनीकी दावों की जांच करने में, हितबद्ध पक्षकार 120 डिग्री सेल्सियस पर तापीय स्थिरता में बेहतर निष्पादन का दावा करते हैं। तथापि, इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सबूत प्रदान किए हैं जो दर्शाते हैं कि उनका उत्पाद विशेष ग्रेड की तुलना में समकक्ष या उच्च तापीय स्थिरता प्रदर्शित कर सकता है।
20. जापानी अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत वर्गीकरण के संबंध में दावे के संदर्भ में, प्राधिकरण का मानना है कि विभिन्न देशों में नियामक आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं और इस उत्पाद का उपयोग वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है और केवल इस तथ्य का मतलब यह नहीं है कि क्योंकि एक निश्चित ग्रेड को खतरनाक माना जाता है और किसी अन्य क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी एक समान वस्तु या व्यावसायिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं है।
21. प्राधिकारी ने एससीसी द्वारा किए गए इस दावे के संबंध में एससीसी द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की भी जांच की है कि जापान से आयातित विशेष ग्रेड की कीमतें सामान्य ग्रेड की तुलना में काफी अधिक हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि दो ग्रेड के बीच मूल्य अंतर उन्हें अलग-अलग उत्पाद नहीं माना जाता है।
22. इसलिए, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न तो एसएचटीएस ग्रेड और न ही म्यूक्रॉन ओटी-20 एचडी जी ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने योग्य माना जा सकता है।
23. ओटी 20 और ओटी 20 एचडी ग्रेड को बाहर किए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए ने 30 जुलाई 2024 के अनुरोधों में कहा है कि वह इन ग्रेडों को बाहर करने के अनुरोध पर आगे दबाव नहीं डालना चाहता है क्योंकि ये ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। एटीएमए के अनुरोध के अनुरूप, बाहर करने के अनुरोध को छोड़ने का प्रस्ताव है, और इन ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव है।
24. अतः, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन करना उपयुक्त नहीं पाते। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाता है:
- “2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “अघुलनशील सल्फर” है जिसे इसके बाद “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है।*
- 3. अघुलनशील सल्फर, परिभाषा के अनुसार, एक बहुलक सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फाइड (सीएस₂) में अघुलनशील है। अघुलनशील सल्फर का उपयोग आम तौर पर रबड़ के कुछ अनुप्रयोगों में वल्केनाइजेशन एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि ब्लूमिंग घटना का प्रतिरोध किया जा सके जो रबड़ यौगिक के लिए हानिकारक है।*
- 4. अघुलनशील सल्फर एक महत्वपूर्ण रबड़ योजक एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, पहनने की योग्यता और थकान और उम्र बढ़ने दोनों के प्रतिरोध में सुधार करता है। सर्वोत्तम वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के अलावा, इसका व्यापक रूप से टायर, ट्रेड, जूते, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबड़ भागों और अन्य रबड़ उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसलिए, इसकी गैर-ब्लूमिंग विशेषता के कारण, अघुलनशील सल्फर का व्यापक रूप से रबड़ उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिसमें सामान्य सल्फर उच्च अनुपात में शामिल होता है। अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के आधार पर, भारत में अघुलनशील सल्फर की कुल खपत में से 90% से अधिक का उपयोग टायर उद्योग में किया जाता है और शेष का उपयोग गैर-टायर उद्योग में किया जाता है। उत्पाद के वजन में माप की इकाई किलोग्राम (किग्रा) में बताई गई है।”*
- 5. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची- I की प्रशुल्क मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क मद 3824 99 00 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।”*

25. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामानों के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुण-धर्मों, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। उसी के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद की समान वस्तु माना जाता है।

ड. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक एकमात्र उत्पादक होने के कारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तहत घरेलू है।
- ख. यह न तो संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयातक है और न ही यह संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबद्ध है।
- ग. ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड ने एनसीएलटी, अहमदाबाद बेंच द्वारा 10 अप्रैल 2024 के आदेश से अनुमोदित एक डीमर्जर के माध्यम से एक कॉर्पोरेट का पुनर्गठन किया।
- घ. डीमर्जर में विचाराधीन उत्पाद केमिकल बिजनेस अंडरटेकिंग का हस्तांतरण शामिल है, जिसमें ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड ("डीमर्ज कंपनी") से ओसीसीएल लिमिटेड ("परिणामी कंपनी") एक सहायक कंपनी से विचाराधीन उत्पाद और सल्फ्यूरिक एसिड विनिर्माण और बिक्री शामिल है।
- ड. रासायनिक व्यवसाय उपक्रम से संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 और आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानून के प्रचालन द्वारा परिणामी कंपनी में एक चल रही कंपनी के रूप में अंतरित और निहित हो गईं।
- च. ओसीसीएल लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद और सल्फ्यूरिक एसिड विनिर्माण और बिक्री गतिविधियों को जारी रखेगा। पाटनरोधी जांच सहित रासायनिक व्यवसाय उपक्रम से संबंधित कानूनी कार्यवाही, परिणामी कंपनी को अंतरित हो गई।
- छ. जांच की अवधि पहले ही पूरी होने के बाद प्रश्नगत अनामेलन प्रभावी हो गया। इस प्रकार, इस कॉर्पोरेट पुनर्गठन का वर्तमान पाटनरोधी जांच पर कोई असर या प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान मौजूद स्थितियों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, ने जांच की अवधि के बाद विभाजन किया है और रासायनिक व्यवसाय, जिसके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद आता है, को ओसीसीएल लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है। यह नोट किया जाता है कि इस तरह के विभाजन से घरेलू उद्योग की पात्रता में कोई बदलाव नहीं आया है।
30. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड/ओसीसीएल लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और उसका कुल भारतीय उत्पादन में 100% हिस्सा है।
31. यह भी देखा जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है और भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।
32. अतः, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड/ओसीसीएल लिमिटेड, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है और यह मानते हैं कि आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पहली चुनौती देश-वार निर्यात मूल्य अनुमानों से संबंधित है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने ये अनुमान दिए, तथापि, वे माल ढुलाई लागत और समुद्री बीमा जैसे व्यय समायोजन निर्धारित करने के लिए स्रोतों का खुलासा करने में विफल रहे। याचिकाकर्ता ने केवल यह कहा कि इन्हें बिना किसी सहायक साक्ष्य के "अनुमानित और रूढ़िवादी आधार" पर समायोजित किया गया था, जो हितबद्ध पक्षकारों की निवल निर्यात कीमत गणनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता से समझौता करता है।
- ख. क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंडों के संबंध में, याचिकाकर्ता आवश्यकताओं के बावजूद कोई भी डेटा प्रदान करने में पूरी तरह विफल रहा है।
- ग. बिक्री मात्रा आंकड़ों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने लघु उद्योग (एसएसआई) और गैर-एसएसआई क्षेत्रों, निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत के आंकड़ों के बीच घरेलू बिक्री को ठीक से अलग नहीं किया है।
- घ. बिक्री मूल्य के संबंध में, अनुरोध एसएसआई और गैर-एसएसआई श्रेणियों, निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत मूल्यों के बीच घरेलू बिक्री के लिए गायब विवरणों का उल्लेख करता है।
- ड. प्रति यूनिट बिक्री वृत्त के संबंध में, याचिकाकर्ता घरेलू बिक्री (एसएसआई और गैर-एसएसआई), निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत के लिए अलग-अलग आंकड़े देने में विफल रहा है।

- च. प्रति दिन उत्पादकता के लिए उद्योग मानदंडों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।
- छ. मालसूची प्रबंधन के लिए औसत उद्योग मानदंड मौजूद नहीं हैं।
- ज. याचिकाकर्ता के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास व्यय नहीं दिए गए हैं।
- झ. इक्रीटी, ऋण और अग्रिम, कार्यशील पूंजी और अन्य स्रोतों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
- ञ. निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री की लागत का खुलासा नहीं किया गया है।
- ट. औसत नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में पीबीआईटी के लिए उद्योग मानदंड नदारद हैं।
- ठ. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) गणना को पूरी तरह से गोपनीय बताया गया है, यहां तक कि व्यापार नोटिस 10/2018 द्वारा आवश्यक सीमा भी प्रदान नहीं की गई है।
- ड. अनुबंध 6.2 (जिसमें प्रारूप VI-1, VI-2, VI-2R, VI-2T, VI-4 और VI-5 शामिल हैं) की संपूर्णता को सार्थक अगोपनीय सार दिए बिना गोपनीय चिह्नित किया गया है।
- ढ. आयात की मात्रा और मूल्य के रुझान के आंकड़ों का खुलासा न करने के बारे में एमआरएफ पर आरोप के संबंध में, एटीएमए ने स्पष्ट किया कि प्रकटन से घरेलू उद्योग को एमआरएफ के खरीद डेटा की गणना करने में मदद मिलेगी, क्योंकि घरेलू उद्योग पहले से ही एमआरएफ को अपनी बिक्री के बारे में जानता है। यह जानकारी व्यवसाय के प्रति संवेदनशील है और इसके प्रकटन से एमआरएफ के हितों पर असर पड़ेगा। एटीएमए नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन गणनाओं की रक्षा के लिए पिछली जांचों में सटीक बाजार हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया है, और उनकी व्यवसाय के प्रति संवेदनशील जानकारी के लिए समान व्यवहार का अनुरोध करता है।
- ण. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करने वाले उत्पादों के लिए बिक्री के आंकड़ों का खुलासा न करने के संबंध में, एटीएमए ने स्पष्ट किया कि व्यापार नोटिस 10/2018 पिछले प्रश्नावली प्रारूपों का उल्लेख करता है जिसमें साल-दर-साल रुझान की आवश्यकता होती है। तथापि, मौजूदा प्रारूपों में केवल एक वर्ष की जानकारी की आवश्यकता होती है जिससे कई वर्षों में सूचीबद्ध आंकड़े देना अव्यवहारिक हो जाता है।
- त. भारत में पीयूसी से जुड़े इकाई विवरण का खुलासा न करने के आरोपों के संबंध में एटीएमए ने कहा कि यह व्यवसाय-संवेदनशील आंकड़ा है। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रत्येक इकाई और उनके परिचालन के बारे में विशिष्ट जानकारी देने से एमआरएफ की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है और स्वामित्व संबंधी परिचालन संबंधी सूचना प्रकट हो सकती है।
- थ. विनिर्माण प्रक्रिया सार के संबंध में, एटीएमए ने कहा कि तकनीकों की स्वामित्व प्रकृति और उनके प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए महत्वपूर्ण व्यापार रहस्यों के कारण प्रकटीकरण संभव नहीं है। उन्होंने नोट किया कि यह जानकारी गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई है।
- द. संबद्ध देश और घरेलू उत्पादों के बीच विचाराधीन उत्पाद की तुलनीयता के मामले के संबंध में, एटीएमए ने स्पष्ट किया कि ऐसी जानकारी आंतरिक रणनीतियों और खरीद नीतियों से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। उनका तर्क है कि सार्वजनिक प्रकटीकरण से आंतरिक कार्यप्रणाली का पता चलेगा और प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ मिलेगा।

- ध. एटीएमए ने टायर विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल से संबंधित कई चल रही जांचों को उजागर करके पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के मुद्दे को हल किया। वे नोट करते हैं कि आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर (आईआईआर) पर पहले से ही उच्च पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, और हेलो-ब्यूटाइल रबर (एचआईआईआर) से संबंधित एक और जांच चल रही है। एटीएमए ने जोर दिया कि कई कच्चे माल पर शुल्कों का संचयी प्रभाव टायर उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ डालेगा।
- न. विचाराधीन उत्पाद के उपयोग विवरण के बारे में, एटीएमए ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी जांच अवधि के लिए अनुपलब्ध थी, और इसका गैर-प्रावधान जानबूझकर किया गया था, न कि चूक। उन्होंने कहा कि इस जानकारी को संकलित करने के प्रयास जारी हैं।
- प. आधारभूत सूचना को गोपनीय के रूप में चिह्नित करने के बारे में, यह स्पष्ट किया गया है कि जबकि कुछ जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, कुछ प्रदान किए गए विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से भिन्न हैं और इसलिए गोपनीय व्यवहार की आवश्यकता है। एटीएमए ने जोर देकर कहा कि उनका इरादा अनावश्यक संशोधन करने का नहीं था।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. एमआरएफ लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तर में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- ख. एमआरएफ ने अनुबंध-5 में खरीद मात्रा और मूल्य संबंधी आंकड़ों की सूचना दी, लेकिन निर्यात के देश द्वारा इस जानकारी को वर्गीकृत करने में विफल रहा। आंकड़ों को संबद्ध और असंबद्ध पक्षकार खरीद, घरेलू खरीद और संबद्ध और असंबद्ध देशों से आयात के बीच ठीक से अलग नहीं किया गया था।
- ग. एमआरएफ ने सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी होने के बावजूद कुल बिक्री टर्नओवर की जानकारी का खुलासा नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया। घरेलू उद्योग इस बात पर जोर देता है कि एमआरएफ विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के लिए कारोबार संबंधी आंकड़े प्रदान देने में विफल रहा।
- घ. एमआरएफ ने बिना किसी उचित अगोपनीय सार प्रदान किए भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़ी इकाइयों के विवरण के लिए गोपनीयता का दावा किया। उन्होंने न तो आवश्यक जानकारी प्रदान की और न ही यह बताते हुए बयान दिए कि सार बनाना क्यों संभव नहीं था।
- ड. एमआरएफ ने बिना किसी औचित्य के अपने पूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो की जानकारी रोक दी, उस जानकारी के लिए गोपनीयता का दावा किया जो सार्वजनिक रूप से सुलभ होनी चाहिए।
- च. एमआरएफ के प्रश्नावली उत्तर के एक्सेल परिशिष्ट के अनुबंध-5 में "विचाराधीन का उपयोग" खंड को खाली छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में घरेलू उद्योग का तर्क है कि गोपनीय सार में भी यह त्रुटि प्रतीत होती है।
- छ. एमआरएफ ने आधारभूत सूचना को भी गोपनीय के रूप में चिह्नित किया और भाग-IV में किसी भी प्रश्न के उत्तर का खुलासा नहीं किया, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां जानकारी अनुपलब्ध थी या लागू नहीं थी।

- ज. एससीसी, एमसीपीएल और आईवीआईसीटी के प्रश्नावली उत्तर में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- झ. एससीसी ने बिना किसी उपयुक्त अगोपनीय सार दिये बिना पूरी विनिर्माण प्रक्रिया को गोपनीय के रूप में चिह्नित किया, जो सीधे ही व्यापार सूचना अपेक्षाओं की प्रवंचना करता है। उन्होंने न तो कोई सार दिया और नहीं यह बताया कि सार असंभव क्यों था।
- ञ. एससीसी अपने अगोपनीय उत्तरों में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के नामों का खुलासा करने में विफल रही, ऐसी जानकारी जिसे गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता है।
- ट. तीनों कंपनियों ने अपने वितरण चैनलों और संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी रोके रखी। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि यह जानकारी बाजार मौजूदगी और व्यापार प्रचालनों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ठ. प्रभावी भागीदारी को सक्षम करने के लिए सूचना प्रकटन के महत्व के लिए *टी. ताकानो बनाम सेबी [(2022) 8 एससीसी 162]* और *एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005 (185) ई.एल.टी. 125 (ट्राई-डेल)]* पर विश्वास किया गया था, जो स्पष्ट करता है कि गोपनीयता केवल इसलिए यांत्रिक रूप से नहीं दी जा सकती क्योंकि सूचना गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है।
- ड. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गोपनीयता संबंधी चिंताओं की भी प्रतिक्रिया की।
- ढ. देशवार निर्यात मूल्य अनुमानों के बारे में उठाए गए गोपनीयता के मुद्दों के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने खर्चों को समायोजित करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली स्पष्ट की। यह कहा गया कि उन्होंने प्रत्येक देश के लिए देशवार अनुमान प्रदान किए हैं और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अनुमानित आधार पर माल दुलाई लागत और समुद्री बीमा जैसे खर्चों को समायोजित किया है।
- ण. क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंड के संबंध में, घरेलू उद्योग ने कहा कि व्यापार सूचना संख्या 05/2021 के तहत यह जानकारी आवश्यक नहीं है। यह स्थिति कई अन्य चुनौती दी गई वस्तुओं के लिए बनी हुई है, जिसमें एसएसआई और गैर-एसएसआई क्षेत्रों के बीच बिक्री मात्रा आंकड़े, बिक्री मूल्य वर्गीकरण, प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति आंकड़े, उत्पादकता और मालसूची के लिए उद्योग मानदंड, आरएंडडी व्यय और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जुटाई गई निधियां शामिल हैं।
- त. घरेलू उद्योग ने यह बताकर प्रारूप VI-1, VI-2, VI-2आर, VI-2टी, VI-4, और VI-5 की गोपनीयता समाधान किया कि इस सूचना में संवेदनशील व्यावसायिक आंकड़े शामिल हैं, जहां सार संभव नहीं है।
- थ. टायर विनिर्माण उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए एसआईओएन मानदंडों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की। विशिष्ट गणना से पता चलता है कि प्रत्येक 100 किलोग्राम ऑटोमोबाइल टायर और ट्यूब के लिए, केवल 0.50 किलोग्राम अघुलनशील सल्फर का उपयोग किया जाता है। टायर विनिर्माण में अघुलनशील सल्फर का हिस्सा न्यूनतम है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पाटनरोधी शुल्क का अंतिम उत्पाद पर कोई प्रभाव नगण्य होगा।
- द. घरेलू उद्योग ने क्षति रहित कीमत रेंज भी अमेरिकी डॉलर 1500-2000 प्रति एमटी के रूप में प्रकट की है। यह खुलासा इस तर्क के बावजूद किया गया कि व्यापार नोटिस 10/2018 के तहत ऐसा खुलासा करना अनिवार्य नहीं है।

- ध. त्रुटियों और अधिकारों की हानि के बारे में सामान्य बयान, ठोस उदाहरणों के बिना, उनके गोपनीयता दृष्टिकोण में संशोधन के लिए आधार प्रदान नहीं करते हैं।
- न. घरेलू उद्योग ने एमआरएफ के गोपनीयता दावों के साथ मुद्दों को भी उजागर किया। एमआरएफ ने अनुबंध-5 में "विचाराधीन उत्पाद का उपयोग" को खाली छोड़ दिया और आर्थिक हित प्रश्नावली में आधारभूत सूचना को गोपनीय चिह्नित किया। यह एमआरएफ के दावों का विश्लेषण करने की उद्योग की क्षमता को सीमित करता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है-
36. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
37. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

38. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के दावों के मुद्दे उठाए हैं। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- क. एससीसी ने लेन-देन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध न कराने के संबंध में अनुरोध किया है। एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि प्राधिकारी को आयात आंकड़े उसी रूप और तरीके से प्रदान करना चाहिए जैसा जांच के दौरान रिकॉर्ड में लिया गया है।
- ख. एससीसी ने व्यापार नोटिस संख्या 7/2018 के खंड 2(vi) का संदर्भ दिया, जो हितबद्ध पक्षकारों को जांच अधिकारी को अनुबंध-1 में एक वचनबद्धता प्रदान करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लेन-देन-वार आयात आंकड़े तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- ग. यह कहा गया है कि एससीसी ने 08 अक्टूबर 2024 को व्यापार सूचना संख्या 7/2018 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर छांटे गए/न छांटे गए देन-वार आयात आंकड़ों की मांग करते हुए एक अनुरोध दायर किया था। तथापि, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार उसी स्वरूप और तरीके में आंकड़े नहीं दिए हैं। संशोधनीय फार्मेट (एक्सेल) में आंकड़े न दिए जाने से क्षति संबंधी दावों पर टिप्पणी करने में एससीसी की क्षमता प्रभावित होती है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में कोई विविध अनुरोध नहीं किए हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:-
42. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135कक गोपनीय आंकड़ों की सुरक्षा से संबंधित है:

“135कक. (1) यदि कोई व्यक्ति भारत से निर्यात के लिए या भारत में आयात के लिए प्रवेश किए गए माल के मूल्य या वर्गीकरण या मात्रा से संबंधित, इस अधिनियम के तहत किसी निर्यातक या आयातक द्वारा सीमा शुल्क को दी गई कोई जानकारी प्रकाशित करता है, जिसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान या किसी ऐसे तरीके से ऐसी पहचान का खुलासा होता है, जब तक कि किसी कानून के तहत ऐसा करने की आवश्यकता न हो या ऐसे निर्यातक या आयातक के विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता न हो, तो उसे छह महीने तक की कैद या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(2) इस धारा में निहित कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा-

(क) केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई प्रकाशन;

(ख) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवृत्तियों के विश्लेषण और उसके प्रसार के लिए केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रकाशन से प्राप्त आंकड़े।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रकाशित करना” पद में सूचना को मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनः प्रस्तुत करना और उसे जनता के लिए उपलब्ध कराना सम्मिलित है”

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135एए के लागू होने से भारत से निर्यातित या भारत में आयातित वस्तुओं के आयात मूल्य, वर्गीकरण, मात्रा के साथ-साथ इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान आदि के प्रकटन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए प्राधिकारी किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ लेन-देन-वार आयात आंकड़े साझा नहीं कर सकते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

44. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. जापान के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल की लागत, उपयोगिताओं, मजदूरी, वेतन, विनिर्माण लागत, प्रशासनिक खर्चों और लाभ मार्जिन का उपयोग करके सामान्य मूल्य की गणना की। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पादन लागतों का सार नहीं दिया है। चूंकि लागतें जापान के बाजार के आंकड़ों पर आधारित थीं, इसलिए यह जानकारी किसी भी उत्पादक का स्वामित्व नहीं हो सकती।
- ख. मजदूरी और बिजली की लागत के बारे में आंकड़े जांच की अवधि के अनुरूप हैं या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए पठनीय प्रतियों का अनुरोध किया गया था।
- ग. निर्यात मूल्य पर माल दुलाई और व्यय के प्रभावों के परिमाणीकरण पर अनुमान के आधार या आंकड़ा स्रोतों का कोई प्रकटन नहीं है।
- घ. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में, एटीएमए ने प्रतिनिधि देश के चयन को चुनौती दी है। यह चीन जन.गण. गणना के लिए यूएसए के चयन को चुनौती देता है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 का हवाला दिया गया था जिसमें विकास के स्तरों पर विचार करने की आवश्यकता है। यूएसए की अर्थव्यवस्था चीन की विकास स्थिति से मेल नहीं खाती। भूगोल और विकास के स्तर के आधार पर मलेशिया को प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- ङ. डाइएथिल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड जांच का उल्लेख किया गया था, जहां डेनमार्क को विकास की स्थिति के कारण प्रतिनिधि के रूप में खारिज कर दिया गया था। पेट्रोक्वोसल्फेट्स जांच पर भी भरोसा किया गया, जहां लागत अंतर के कारण यूएसए का उपयोग नहीं किया गया था।
- च. प्रतिनिधि देश के रूप में यूएसए पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया और यह सुझाव दिया गया कि इसके बजाय विकास स्तर संरेखण के आधार पर मलेशिया पर विचार किया जा सकता है। यह प्रतिनिधि चयन के लिए पाटनरोधी नियमावली की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (घ) के अनुसार, अनुच्छेद 15(क) उप-पैरा (ii) के प्रावधानों की समाप्ति से यह स्वतः निष्कर्ष नहीं निकलता है कि चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाएगा। उप-पैरा (क) के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए आयातक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित करने की चीन जन.गण. की बाध्यता कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, अभी तक समाप्त नहीं हुई है।
- ख. पिछले तीन वर्षों में सभी पाटनरोधी जांचों में भारतीय प्राधिकारी और अन्य देशों के जांच प्राधिकारियों द्वारा चीन जन.गण. को लगातार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है। इस आधार पर, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए चीन जन.गण. को वैध रूप से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जा सकता है और प्राधिकारी

को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था शर्तों के तहत चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए, जब तक कि चीन के विशिष्ट उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अन्यथा साबित न किया जाए।

- ग. सामान्य मूल्य पद्धति के संबंध में, अनुबंध I का पैरा 7 में अनुक्रमवार विकल्पों का प्रावधान है: बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत/निर्मित मूल्य, तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में मीमत अन्य उचित आधार। विकल्पों से प्रथम पद्धति की समाप्ति अनिवार्य करने वाले शैनयांग मात्सुशिता मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था।
- घ. कई हालिया जांचों पर भरोसा किया गया जहां प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए यूएसए को प्रासंगिक तीसरे देश के रूप में माना है, जिसमें *ग्लेज़्ड/अनग्लेज़्ड पॉर्सिलेन टाइल्स और 1 1 1 2 टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर 134 ए* के मामले शामिल हैं।
- ड. किसी भी चीन के उत्पादक/निर्यातक ने समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के जवाब दाखिल करके भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी को नियम 6(8) के साथ पठित धारा 9क(6क) के तहत उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। यूएसए तथ्यों के उपलब्ध ढांचे के भीतर उपयुक्त तीसरे देश की पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है।
- च. इस अनुरोध से यह तर्क देकर निष्कर्ष निकलाता है कि चीनी उत्पादकों की गैर-भागीदारी से सूचना खाली रहती है जिसके लिए तीसरे देश की पद्धति की आवश्यकता होती है। वे प्राधिकारी से स्थापित परिपाटी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूएसए के आंकड़ों का उपयोग करके सामान्य मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध करते हैं।
- छ. जापान से सामान्य मूल्य के संबंध में, प्राधिकारी जापान से भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात उनके द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना कर सकते हैं।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच

46. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है-
47. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। जापान के उत्पादकों/निर्यातकों के निम्नलिखित समूहों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:
- i. शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन (उत्पादक), मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड (निर्यातक) और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. (निर्यातक)
48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

49. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (III) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

50. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा अनुबंध I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि चीनी उत्पादकों ने भाग नहीं लिया है और इससे वे ये दर्शाने

में अक्षम रहे हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार संचालित है तो सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

51. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावो करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से कोई उत्पादक/निर्यातक नहीं है और पूरक प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

52. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

“गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को-शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य आवश्यकतानुसार पूर्ण, तथा समायोजित कीमत रहितसामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा, संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित होंसमय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।”

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 1 के पैरा (7) के प्रावधानों तहत सामान्य मूल्य तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों में उस देश से कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब यह आधार संभव न हो तो तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकारी किसी उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की तीसरी पद्धति में जा सकते हैं, जब पहली पद्धति समाप्त हो गई हो अर्थात् तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य और दूसरी पद्धति अर्थात् भारत सहित तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने “ऐसे तीसरे देश से दूसरे देशों को कीमत” के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने का प्रस्ताव किया है। घरेलू उद्योग ने संगत तीसरे देश के रूप में यूएसए को लेने का प्रस्ताव किया है। एटीएमए ने मलेशिया को यूएसए तथा चीन जन.गण. में विकास के स्तर में अंतर के कारण संगत तीसरे देश के रूप में लेने का प्रस्ताव किया है। अनुरोधों और डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों की जांच करने तथा जांच की अवधि में मलेशिया से काफी आयात और विकास के स्तर पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मलेशिया से भारत को विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत अर्थात् उस तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने का प्रस्ताव करते हैं। कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य**क. शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. के लिए सामान्य मूल्य**

55. जांच की अवधि के दौरान, एससीसी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी। प्रभावली का उत्तर एससीसी, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. की ओर से दायर किया गया था।
56. भारत को निर्यात की तुलना में एससीसी द्वारा की गई घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
57. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य प्रक्रिया की। चूंकि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक थे, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है।
58. एससीसी ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इसके सत्यापन के बाद समायोजन को स्वीकार किया है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, तथा उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. जापान के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

59. जापान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण**चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत**

60. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, इसलिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत**क. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत****i. एससीसी, एमसीपीएल और आईवीआईसीटी (उत्पादक/निर्यातक)**

61. एससीसी जापान में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने संबद्ध सामानों का निर्यात असंबद्ध व्यापारियों, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड (निर्यातक) और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. (निर्यातक) के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को किया है। नीचे दी गई तालिका भारत को निर्यात करने के लिए एससीसी बिक्री चैनल को दर्शाती है-

व्यापार चैनल	भारत को निर्यात (एमटी)	बीजक मूल्य (यूएस डा.)
--------------	------------------------------	--------------------------

एससीसी-->एमसीपी-->आईवीआईसीटी-->भारत	***	***
एससीसी-->एमसीपी -->भारत	***	***
कुल	***	***

62. जांच की अवधि के दौरान, एससीसी ने मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों के *** यूएस डॉ. बीजक मूल्य के *** एमटी का निर्यात किया है। एससीसी ने मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक्स लिमिटेड और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. के माध्यम से भी भारत को संबद्ध सामानों के *** यूएस डॉ. बीजक मूल्य के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़ा, पोत परिवहन लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है:

ख. जापान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

63. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

64. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (यूएस डा./एमटी)	निर्यात कीमत (यूएस डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएस डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन जन.गण. के लिए						
1	सभी	***	***	***	***	30-40
जापान के लिए						
1	शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन (उत्पादक), मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक लिमिटेड (निर्यातक) और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (निर्यातक)	***	***	***	***	20-30
2	अन्य	***	***	***	***	35-45

65. जापान और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से भी अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच**ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

66. संचयी मूल्यांकन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II खंड (iii) में "और" शब्द की मौजूदगी के कारण, यह आवश्यक हो जाता है कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन के निर्धारण को उचित ठहराने के लिए सभी तीनों घटक साथ-साथ रहें। यहां तक कि यदि उपरोक्त घटकों में से एक मौजूद न हो तो, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से आयात के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
- ख. जापान से आयात का चीन से आयात के साथ संचयी रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये आयात चीनी आयात की तुलना में बहुत कम हैं, जापान से कीमतें चीनी कीमतों की तुलना में काफी अधिक हैं, जापान से कीमतें क्षति अवधि में बढ़ी हैं और कोविड के बाद मात्रा सामान्य गति से बढ़ी है, और जापान के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। अतः जापान से आयात के कारण याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- ग. चीन की तुलना में जापान से आयात की मात्रा काफी कम रही है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को हुई क्षति, यदि कोई हो, अन्य देशों, विशेषकर चीन से आयात में तेज वृद्धि के कारण हुई है।
- घ. याचिकाकर्ता ने प्रत्येक संबद्ध देश के बाजार हिस्से के संबंध में आंकड़े नहीं दिए हैं, जो हितबद्ध पक्षकारों की सार्थक टिप्पणी करने की क्षमता को सीमित करता है।
- ङ. वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में जापान से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की तुलना में चीन से आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
- च. याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट, यदि कोई हो, चीन से आयात की उच्च मात्रा के कारण होनी चाहिए।
- छ. याचिका में, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि जांच की अवधि सहित क्षति जांच अवधि के अधिकांश समय के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।
- ज. आधार वर्ष और जांच की अवधि में निर्यातक की कीमत कटौती एक समान है, जबकि याचिकाकर्ता आधार वर्ष में लाभदायक था, लेकिन जांच की अवधि के दौरान लाभ में पर्याप्त गिरावट आई। परिणामस्वरूप, निर्यातक का पहुंच मूल्य याचिकाकर्ता पर किसी नकारात्मक मूल्य प्रभाव के पीछे कारण नहीं है।
- झ. जापान से आयात की कीमत में पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को कथित कीमत में कोई कटौती चीन से विचाराधीन के आयात के कारण हुई है।
- ञ. जापान के संबंध में, आयात कीमत आधार वर्ष में 109,860 रुपये प्रति एमटी से बढ़कर जांच की अवधि में 121,459 रुपये प्रति एमटी हो गई - कीमत में यह वृद्धि जांच की अवधि में 0% वीसीडी के बावजूद हुई है, जिससे यह पता चलता है कि जापान की सीआईएफ कीमतों में वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, जापान से कीमत कटौती नकारात्मक रही है। अतः, घरेलू उद्योग जापान से आयात के कारण मूल्य दबाव का सामना नहीं कर सकता है, और कोई भी क्षति विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वैश्विक गिरावट जैसे अन्य पहलुओं के कारण हुई है।

- ट. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया कि अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए, वह उन कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर था जो संबद्ध आयातों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी थीं। तथापि, अघुलनशील सल्फर सहित रसायनों के लिए वैश्विक कीमत प्रवृत्तियां वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नीचे जाती हुई दिखाई दी, जो कि भाड़ा और कच्ची सामग्री कीमतों में सुधार के कारण है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में भी कहा गया है।
- ठ. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री के कीमत पैटर्न और गैर-संबद्ध देशों से आयात की कीमतें, जहां कोई पाटन मौजूद नहीं है, वैश्विक बाजार में कम कीमतों की इस प्रवृत्ति को प्रमाणित करते हैं।
- ड. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सकारात्मक पीबीडीआईटी और नकद लाभ यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री पर हानियां नहीं हो रही हैं। घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा कि वे वैश्विक अघुलनशील सल्फर उद्योग मंदी के दौरान भी लाभप्रद बने रहने में सक्षम थे।
- ढ. घरेलू उद्योग वर्तमान में कुल बाजार मांग का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से 60%, जो कुल 24,000 एमटी वार्षिक मांग में से 14,400 एमटी के बराबर है, की पूर्ति कर रहा है।
- ण. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता 17,500 एमटी है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग अपनी कुल क्षमता के लगभग 83% पर प्रचालन कर रहा है। क्षमता उपयोग का यह उच्च स्तर स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग की बाजार की पूर्ति करने, अपने उत्पादन और दक्षता को प्रभावी ढंग से अधिकतम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- त. कथित पाटित किए गए आयातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1,890 एमटी एसएचटीएस ग्रेड से संबंधित है, जिसकी घरेलू उद्योग आपूर्ति नहीं कर रहा है। इन विशिष्ट आयातों की मात्रा को घरेलू उद्योग की बिक्री या बाजार हिस्से पर किसी भी प्रभाव से उचित रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग इस विशेष ग्रेड की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।
- थ. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच एक निरंतर बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, भले ही समग्र बाजार आकार में विस्तार हुआ हो।
- द. कथित पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है, इसकी उत्पादन क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, और एसएचटीएस ग्रेड (जिसकी घरेलू उद्योग आपूर्ति नहीं कर सकता) के आयात ने घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।
- ध. जांच की अवधि के दौरान 2,927 एमटी की आयात मात्रा मात्र 12% बाजार हिस्सेदारी के बराबर है, जबकि घरेलू उद्योग का 60% बाजार हिस्सा है। आयात की इतनी कम मात्रा घरेलू उद्योग की बिक्री पर कीमत न्यूनीकरण का दबाव डालने के लिए अपर्याप्त है।
- न. यदि एसएचटीएस ग्रेड के आयात (1,890 एमटी) को छोड़ दिया जाए, जिसकी आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को मंजूरी नहीं है (विशेष रूप से, एमआरएफ लिमिटेड के लिए), तो 1,037 एमटी की शेष आयात मात्रा कुल बाजार का केवल 4% है।
- प. क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा, प्रति यूनिट बिक्री कीमत, मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता, नियोजित पूंजी आदि सहित आर्थिक मापदंडों ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है।
- फ. यदि घरेलू उद्योग 55-65% क्षमता उपयोग पर काम कर रहा है, तो उसके लिए 60% बाजार हिस्सा हासिल करना संभव नहीं होगा, जैसा कि आवेदन-पत्र में दावा किया गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का 55-65% क्षमता उपयोग होने का दावा गलत और भ्रामक है।

- ब. कम उपयोग की गई क्षमता के लिए एकमात्र उचित स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि यह विचाराधीन उत्पाद के कुछ विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन करने में असमर्थ है, जो भारतीय बाजार में मांग का एक बड़ा हिस्सा है।
- भ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में 26% तक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में इस तथ्य के बावजूद उत्पादन के संदर्भ में सुधार हुआ है कि उसे स्पष्ट रूप से पाटित आयातों से क्षति हो रही है।
- म. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 30% तक वृद्धि हुई है। बिक्री में वृद्धि भारत में बाजार की मांग में वृद्धि के अनुरूप है।
- य. याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिक्री और मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसमें कहा गया है कि, “कंपनी ने बिक्री राजस्व में 20% की वृद्धि के साथ एच 46,486 लाख की सूचना दी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ी हुई इनपुट लागतों को कवर करने के लिए बिक्री प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। कंपनी द्वारा सूचित राजस्व हमेशा सबसे अधिक था।”
- कक. घरेलू उद्योग की शुद्ध अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी आधार वर्ष में 100 सूचकांक की तुलना में जांच की अवधि में क्रमशः 172 सूचकांक और 183 सूचकांक तक बढ़ी है। उल्लेखनीय रूप से बढ़ती व्याज लागत और स्थापित क्षमता में वृद्धि के साथ इसे पढ़ने से यह समझा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को पूंजी जुटाने में किसी भी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- खख. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के खतरे का दावा करते हुए एक चीनी उत्पादक, चाइना सनशाइन के आंकड़ों और गतिविधियों पर भरोसा किया है। याचिका में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि जापानी उत्पादक याचिका में दावा किए गए समान खतरा पैदा करते हैं।
- गग. यह सुनिर्धारित है कि यह साबित करने का भार आवेदकों पर है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II खंड (vii) के तहत गिनाए गए निर्धारित कारक मौजूद हैं। तथ्य, याचिकाकर्ता विशेष रूप से जापान से वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहे हैं।
- घघ. भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है तथा संबद्ध देशों से आयात में कोई भी वृद्धि अपेक्षित ग्रेडों की अनुपलब्धता के कारण है।
- ड.ड. घरेलू उद्योग ने बार-बार आरोप लगाया है कि चीन ने विचाराधीन उत्पाद की अपनी संस्थापित क्षमताओं में वृद्धि की है; हालांकि, इसने यह दिखाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े नहीं दिए हैं कि ये बढ़ी हुई क्षमताएं विशेष रूप से भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।
- चच. क्षति अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुईं। इस अवधि में आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान देखा गया और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई, जैसा कि याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में भी कहा गया है।
- छछ. निचले स्तर के उद्योग यानी टायर उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान आर्थिक मंदी देखी, जैसा कि याचिकाकर्ता की वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।
- जज. इन आर्थिक दबावों के परिणामस्वरूप टायर उद्योग के भीतर उत्पादन में गिरावट, याचिकाकर्ता के सामने आने वाली क्षमता उपयोग चुनौतियों में योगदान देने करने वाला प्रमुख कारक है। परिणामस्वरूप, कथित

- क्षति को आयात के कारण नहीं माना जा सकता है। यह समग्र रूप से उद्योग को प्रभावित करने वाली व्यापक आर्थिक स्थितियों के कारण है।
- झझ. निर्यातक का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में किसी भी गिरावट का कारण विचाराधीन उत्पाद की ऊपरीय स्तर की मूल्य श्रृंखला में कीमत में उतार-चढ़ाव है, जैसा कि याचिकाकर्ता की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है।
- ञञ. क्षति अवधि के दौरान कच्चे तेल की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया। आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान यह दोगुना हो गया, जिसका प्रभाव सल्फर की लागत पर पड़ा, क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्राथमिक कच्चा माल है। इस प्रकार, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है।
- टट. याचिकाकर्ता की निर्यात मात्रा काफी है और वित्त वर्ष 2022-23 में उनकी घरेलू बिक्री से अधिक है और याचिकाकर्ता की बिक्री में किसी भी कथित कमी का कारण उनकी निर्यात बिक्री बढ़ाने पर उनका ध्यान हो सकता है।
- ठठ. याचिकाकर्ता द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने न केवल अपनी डीटीए यूनिट के साथ, बल्कि अपनी एसईजेड यूनिट में भी लाभप्रदता में क्रमिक गिरावट की है। तथापि, उन्होंने मौखिक सुनवाई में स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी एसईजेड इकाई की क्षमता को 17,500 एमटी तक बढ़ाया था।
- डड. घरेलू उद्योग की वसूली पर प्रभाव मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कम हुई कीमतों के कारण है।
- ढढ. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के समय घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता 3,000 एमटी प्रति वर्ष थी। बाद में जांच की अवधि से पहले क्षमता बढ़कर 12,000 एमटी प्रति वर्ष हो गई और जांच की अवधि के दौरान इसमें और विस्तार कर 17,500 एमटी प्रति वर्ष कर दिया गया।
- णण. घरेलू उद्योग अघुलनशील सल्फर की कुल भारतीय मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जो 24,000 एमटी है। केवल 17,500 एमटी की उत्पादन क्षमता के साथ, घरेलू उद्योग को आपूर्ति में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अंतर को पाटने और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो रहा है।
- तत. याचिकाकर्ता के लाभ में गिरावट का कारण क्षति अवधि और जांच की अवधि में दर्ज की गई उनकी उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत हो सकती है।
- थथ. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, उनकी मूल्यहास और ब्याज लागत में काफी वृद्धि हुई है, जिसे उनकी विस्तारित क्षमताओं से जोड़ा जा सकता है। इसने 2021 में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया, जिसमें महत्वपूर्ण पूंजी निवेश शामिल है, जिससे बदले में उच्च मूल्यहास व्यय होते हैं, जैसा कि नए उपस्करों और सुविधाओं का मूल्य समय के साथ आबंटित किया जाता है। घरेलू उद्योग के एनआईपी और क्षति दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाना चाहिए।
- दद. याचिकाकर्ता पर पड़ा दबाव क्षति नहीं दर्शाता बल्कि इसकी अपेक्षा उनके अपने प्रचालनात्मक विकल्पों और विस्तार की संबद्ध लागतों का परिणाम है।
- धध. यह मूल्य हास और ब्याज लागत एससीसी जैसी सुस्थापित कंपनी के साथ तुलना करते समय नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह 1984 से प्रचालन में है और उसने हाल ही में अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं किया है,

जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास और ब्याज लागत काफी कम है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग और एससीसी के बीच तुलना करना अनुचित है।

- नन. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के खतरे का दावा करते हुए एक चीनी उत्पादक, चाइना सनशाइन के आंकड़ों और क्रियाकलापों पर भरोसा किया है, याचिका में कोई पर्याप्त साक्ष्य यह दर्शाते हुए नहीं दिया गया है कि जापानी उत्पादक याचिका में दावा किए गए अनुसार समान खतरा पैदा करते हैं।
- पप. यह सुनिर्धारित है कि यह साबित करने का भार आवेदकों पर है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II खंड (vii) के तहत निर्धारित कारक मौजूद हैं। तथापि, याचिकाकर्ता विशेष रूप से जापान से वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहा है।
- फफ. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य/आंकड़े नहीं दिए हैं कि जापान के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं अथवा उसकी सुस्थापित क्षमताएं भारतीय बाजार को लक्षित करने के इरादे से हैं।
- बब. घरेलू उद्योग ने बार-बार आरोप लगाया है कि चीन ने विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी संस्थापित क्षमताएं बढ़ाई हैं; तथापि, इसने यह दिखाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े नहीं दिए हैं कि ये बढ़ाई गई क्षमताएं विशेष रूप से भारतीय बाजार को लक्षित हैं।
- भभ. याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी माना है कि चीन से विशेष रूप से खतरा है। यही बात एक तीसरे पक्षकार की रेटिंग एजेंसी यानि आईसीआरए की रिपोर्ट में भी कही गई है, जिसमें कहा गया है कि चीनी कम कीमत वाले अघुलनशील सल्फर ओसीसीएल के लिए खतरा है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

67. संचयी मूल्यांकन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. क्षति के संचयी मूल्यांकन का प्रश्न सभी संबद्ध देशों से समान मात्रा प्रवृत्तियों पर निर्भर नहीं करता है। आईआईआर जांच में, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयात मात्राओं में अंतर की मौजूदगी के बाद भी, घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच के लिए संचयी मूल्यांकन विश्लेषण किया।
- ख. यह भी यूरोपीय आयोग - ब्राजील से मैलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय में सिद्ध है कि है कि संचयी विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप से पाटित आयातों के प्रभाव का सामना करना पड़ता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत देश-विशिष्ट मात्रा कुछ भी हो। आयात मात्रा के देश-विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता संचय की अवधारणा को कमजोर करेगी।
- ग. वर्तमान मामले में, चीन जन. गण. और जापान के लिए पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और चीन जन. गण. और जापान से आयात की मात्रा क्रमशः 32% और 9% है।
- घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तों के बारे में अंतिम अपेक्षा भी पूरी हो गई है क्योंकि आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई अंतर नहीं है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जापान से आयात के संचयन को उचित ठहराने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं दिया है।

- च. प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- छ. संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि की दर भारतीय मांग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है।
- ज. यह तर्क कि घरेलू उद्योग को क्षति केवल चीनी आयातों से उत्पन्न होती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एससीसी द्वारा भारत को किए गए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 760 सूचकांक की वृद्धि हुई है।
- झ. भारत में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ता रहा है।
- ञ. भारत में विचाराधीन उत्पाद की काफी मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की लगभग आधी क्षमताएं बेकार पड़ी हैं। घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है और क्षति अवधि के दौरान केवल 55-65% की सीमा में काम कर रहा है।
- ट. जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के आयात में काफी वृद्धि हुई और यह 2,927 एमटी तक पहुंच गया। घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त बाजार हिस्से के नुकसान को रोकने के लिए बढ़ते घाटे के बावजूद कीमतों को और कम कर दिया और आयात कीमतों से कम कीमत पर बेचा, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती हुई।
- ठ. घरेलू उद्योग को लगातार संबद्ध आयातों से भारी कीमत दबाव का सामना करना पड़ रहा था और अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए उसे संबद्ध आयातों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः, घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव का सामना करना पड़ा।
- ड. याचिकाकर्ता के ग्राहक विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर आक्रामक रूप से बातचीत कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के ग्राहक संबद्ध देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई कीमतों का हवाला दे रहे हैं और याचिकाकर्ता से पाटित आयातों के साथ कीमतों का मिलान करने के लिए कह रहे हैं। बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और अपने ग्राहकों से ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए, याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद को पाटित कीमतों से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे प्रमुख कीमत न्यूनीकरण और नकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।
- ढ. संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आउटपुट, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में कमी आई है। क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ण. ये आंकड़े घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता होने के बावजूद, आधार वर्ष में [***] से जांच की अवधि में [***] तक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्से में कमी दर्शाते हैं।
- त. इसके विपरीत, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों की बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।
- थ. याचिकाकर्ता का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय क्षति अवधि के दौरान लगातार घट रही है और 2022-23 में घाटे में बदल गई है और जांच की अवधि में घाटा और बढ़ गया।
- द. एटीएमए की इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर लाभ अर्जित करता है, वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए लाभ घरेलू उद्योग की डीटीए यूनिट से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से विशिष्ट लाभ के बजाय समग्र रूप से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

- ध. याचिकाकर्ता की औसत मालसूची क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ती रही है और जांच की अवधि में इसमें थोड़ी गिरावट आई है।
- न. घरेलू उद्योग के सभी मात्रात्मक और कीमत मानदंड जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं, सिवाय औसत मालसूची के जिसमें जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है।
- प. यद्यपि संबद्ध आयात गहन हो गए हैं, घरेलू उद्योग के घाटे और औसत मालसूची में और वृद्धि हुई है, और जांच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि में कमी आई है।
- फ. चीन में विचाराधीन उत्पाद के सबसे बड़े उत्पादक, चाइना सनसाइन केमिकल होल्डिंग्स लिमिटेड ("चाइना सनसाइन") की नवीनतम छमाही रिपोर्ट के अनुसार, यह अपने कुल उत्पादन का 40% वैश्विक बाजार में निर्यात करता है, जो यह प्रमाणित करता है कि चाइना सनसाइन का लक्ष्य अपने निर्यात की मात्रा को बढ़ाकर वैश्विक बाजार पर हावी होना है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह वैश्विक टायर निर्माताओं के 75% की पूर्ति करता है।
- ब. संबद्ध देशों के अन्य निर्माता भी इसी दिशा में विकास की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें वे वैश्विक बाजार में हिस्सा हासिल करने के लिए एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत में कम कीमतों पर उत्पादों को पाटित करेंगे।
- भ. अन्य देशों को एससीसी का निर्यात स्थिर रहा है, जो आधार वर्ष में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में केवल 116 सूचकांक पर आ गया है, जबकि अन्य देशों को निर्यात का मूल्य समान स्थिरता दर्शाता है जो 100 सूचकांक से बढ़कर 130 सूचकांक हो गया था। यह उल्लेख करता है कि यह विशिष्ट रूप से भारत को निर्यात है जिससे सात गुणा से अधिक की असाधारण वृद्धि हुई है।
- म. चीन के निर्यातकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिनका उपयोग पाटित कीमतों पर निर्यात बढ़ाकर किए जाने की संभावना है और वे अब भी और अधिक क्षमताएं बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं।
- य. चाइना सनसाइन ने हाल ही में दिसंबर 2021 में 30,000 एमटी की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके एक विस्तार परियोजना पूरी की है। इस विस्तार परियोजना का अगला चरण 2024 की पहली छमाही तक पूरा होने वाला है। अगले चरण में 2024 तक 30,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।
- कक. संबद्ध देशों के निर्यातकों और उत्पादकों के पास काफी मात्रा में मालसूची है, जिसे भारत में पाटित किया जा सकता है। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों से प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जा सकता है।
- खख. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- गग. पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति की सीमा का निर्धारण करते समय याचिकाकर्ता के निर्यात निष्पादन को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए, याचिका में दावा की गई क्षति को निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- घघ. घरेलू उद्योग ने एटीएमए द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों के उपयोग पर विवाद किया, जिसमें कहा गया कि ये बाजार अवलोकन के लिए अनुमानित और प्रस्तावित मूल्य हैं। मांग के आंकड़े टायर और रबड़ उद्योग के लिए वैश्विक अघुलनशील सल्फर बाजार पर नॉच कंसल्टिंग इंक की रिपोर्ट "अघुलनशील सल्फर के लिए विश्व बाजार" से लिए गए हैं। ये अनुमान पाटनरोधी कार्यवाहियों में अपेक्षित सत्यापित आंकड़ों से भिन्न हैं।

ड.ड. एटीएमए की बिक्री गणना के संबंध में, उद्योग का कहना है कि अनुमानित बाजार आंकड़ों से वास्तविक बिक्री मात्रा प्राप्त करना पाटनरोधी जांच के लिए अविश्वसनीय निष्कर्ष बनाता है। घरेलू उद्योग के पास दो विनिर्माण संयंत्र हैं- एक घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में और दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में है। डीटीए यूनिट प्रचालन दक्षताओं के माध्यम से उत्पादन क्षमता बनाए रखती है। एसईजेड इकाई, हालांकि निर्यात के लिए है, लेकिन इसमें वह क्षमता भी है जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह सेटअप बाजार की आवश्यकता के लचीलेपन और किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर के मामले में पर्याप्त आपूर्ति की अनुमति देता है।

च.च. ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी में निवेश करने में निष्पादन भारतीय बाजार के लिए घरेलू उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है, क्योंकि विदेशी उत्पादक अपाटित कीमतों के माध्यम से भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति चीन जन.गण. से एनिलिन पाटनरोधी जांच में निष्कर्षों से समर्थन लेती है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

68. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, ".....समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। इसके अतिरिक्त कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन तत्वों, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
69. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नीचे हल किया गया है।
70. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विवरणों और आंकड़ों के आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के जांच परिणाम सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।
71. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि कथित पाटित आयातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एसएचटीएस ग्रेड से संबंधित है, जिसे घरेलू उद्योग आपूर्ति नहीं कर सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अच्छी तरह से स्थापित कर दिया है कि वे भारत और वैश्विक बाजार में अन्य ग्राहकों को एसएचटीएस के समकक्ष ग्रेड की आपूर्ति कर रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में, घरेलू उद्योग ने बीजक प्रदान किए हैं।
72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग-आपूर्ति का अंतर मौजूद है और इस अंतर को पाटने और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी डीटीए यूनिट से विचाराधीन उत्पाद की अधिकांश मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल घरेलू उद्योग को उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित होगा। इससे भारत में आयात बंद नहीं होंगे। मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता है, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात पाटित कीमतों पर न हो।

73. उच्च ब्याज और मूल्यहास लागत के दावे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विस्तार के कारण मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि देखी गई है। यह भी नोट किया गया है कि विस्तार के मामले में मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि एक सामान्य घटना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि मूल्यहास और ब्याज लागत पर विचार नहीं किया जाता है, तो भी पीबीडीआईटी में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। नीचे दी गई तालिका इसे दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
पीबीडीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	104	64

74. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के एनआईपी और क्षति दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागतों को समायोजित किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी एनआईपी की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार करते हैं और वर्तमान मामले में भी उसी का पालन किया गया है।
75. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है, न कि पाटित आयातों के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की विचाराधीन की कीमतों में गिरावट जांच की अवधि के दौरान प्रमुख कच्चे माल सल्फर की कीमतों में गिरावट से अधिक थी। नीचे दी गई तालिका इसे दर्शाती है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	जांच की अवधि
1	सल्फर की कीमतें	र./एमटी	***	***
2	खपत कारक	र./एमटी	***	***
3	सल्फर की लागत	र./एमटी	***	***
4	घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***
5	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	र./एमटी	1,36,864	1,15,340
6	कीमत में गिरावट			
क	सल्फर की कीमत	र./एमटी		***
ख	सल्फर की लागत	र./एमटी		***
ग	घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	र./एमटी		***
घ	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	र./एमटी		(21,524)

76. ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में गिरावट सल्फर की कीमतों में गिरावट से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयात की पहुंच कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से अधिक है, जिससे घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
77. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग की अपनी वार्षिक रिपोर्टों के विवरण वैश्विक बाजार चुनौतियों के बीच भी लाभप्रदता बनाए रखने की इसकी क्षमता की दृढ़ता से पुष्टि करते हैं, जो कीमत न्यूनीकरण के किसी भी दावे को और कमजोर करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई लाभप्रदता की तुलना विचाराधीन उत्पाद व्यापार से लाभप्रदता के साथ नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से यदि याचिकाकर्ता कंपनी एक से अधिक उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री में शामिल है और तब और भी अधिक जब याचिकाकर्ता कंपनी की एसईजेड में यूनिट है और वह विचाराधीन उत्पाद का काफी निर्यात कर रहा है। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और सल्फ्यूरिक एसिड के विनिर्माण और बिक्री में शामिल है। विचाराधीन उत्पाद के मामले में भी, घरेलू उद्योग की दो यूनिटें हैं और उनमें से एक एसईजेड है जो मुख्य रूप से निर्यात में शामिल है। अतः, वार्षिक रिपोर्ट में सूचित घरेलू उद्योग

की लाभप्रदता की तुलना, पाटनरोधी प्रारूपों में सूचित घरेलू बाजार के लिए विचाराधीन उत्पाद व्यापार से लाभप्रदता के साथ करने से भ्रामक विश्लेषण होगा।

78. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि निचले स्तर के उद्योग अर्थात् टायर उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान आर्थिक मंदी देखी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़े दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।
79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों की जांच करने के बाद, डीटीए इकाई से घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और घरेलू बिक्री की मात्रा में कमी को घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नहीं माना जा सकता है।
80. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने न केवल अपनी डीटीए यूनिट में, बल्कि अपनी एसईजेड यूनिट में भी लाभप्रदता में क्रमिक गिरावट की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीटीए यूनिट के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट देखी गई है। यहां तक कि आधार वर्ष में डीटीए इकाई में घरेलू उद्योग का लाभ भी जांच अवधि में घाटे में बदल गया। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग की एसईजेड यूनिट की लाभप्रदता 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में सुधार दर्शाती है।

ज.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

81. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यक्षीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संचयी मूल्यांकन के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

क. क्या संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और आयात कीमत में अंतर को देखते हुए संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है?

ख. क्या संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में अंतर को देखते हुए संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है?

संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और आयात कीमतों में अंतर

83. एससीसी ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के मात्रा और मूल्य में अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी को जापान से पाटित आयातों के साथ-साथ चीन से पाटित आयातों के प्रभाव की संचयी रूप से जांच नहीं करनी चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया है कि जापान से आयात की मात्रा चीनी आयातों की तुलना में बहुत कम है और जापान से कीमतें चीनी

आयात मूल्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि जापान से कीमत कटौती नकारात्मक है और आवेदन के अनुसार चीन से नकारात्मक कीमत कटौती से अधिक है और इसलिए संचयी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

84. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि क्षति के संचयी मूल्यांकन का प्रश्न सभी संबद्ध देशों से समान मात्रा प्रवृत्तियों पर निर्भर नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबड़ (आईआईआर) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम और ईसी-ब्राजील से मैलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क (डब्ल्यूटी/डीएस219/एबी/आर) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि संचयी विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के प्रभाव का सामना करना पड़ता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत देश-विशिष्ट विश्लेषण मात्रा कुछ भी हो। आयात मात्रा के देश-विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता संचय की मूल अवधारणा को कमजोर करेगी।
85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (iii) में और पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार, 1994 के अनुच्छेद 3.3 में, संबद्ध आयातों के संचयी विश्लेषण को अस्वीकार करने के लिए संबद्ध आयातों की कीमत में अंतर को एक कारक के रूप में निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत निर्दिष्ट संचयी विश्लेषण की अपेक्षा का पहला भाग पूरा हो जाता है।

संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में अंतर

86. एससीसी ने तर्क दिया है कि कीमतों में काफी कीमत अंतर है और चीन और जापान से कीमत कटौती है, ये अंतर इस बात को रेखांकित करते हैं कि जापान और चीन से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तुलनीय नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत संचयी मूल्यांकन के लिए आवश्यक "प्रतिस्पर्धा की स्थितियों" का घटक पूर्ण नहीं है।
87. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, निर्यातकों ने जापान से आयात के संचयन को उचित ठहराने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया है।
88. इस संबंध में, प्राधिकारी ने ऊपर बताए गए मापदंडों की जांच की है और निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तावित किए हैं:
- क. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान एक दूसरे की 'समान वस्तु' हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता उद्योग ने एक या अधिक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।
- ख. यह नोट किया जाता है कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ ऊपर उल्लिखित कारणों से एक दूसरे के समान वस्तु नहीं हैं और इसलिए, वे परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं।
- ग. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
चीन	एमटी	277	494	1,660	2,175
जापान	एमटी	144	480	672	688

- घ. यह देखा जाता है कि अलग-अलग संबद्ध देशों से आयात की मात्रा एक-दूसरे के अनुरूप बढ़ी है। क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, जो विभिन्न स्रोतों से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की मात्रा को दर्शाता है।
- ङ. यह भी नोट किया जाता है कि उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही समूह को बेचा है।
- च. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, जांच की अवधि में दोनों संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट आई है।

89. उपर्युक्त के मद्देनजर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत निर्दिष्ट संचयी विश्लेषण आवश्यकता का दूसरा भाग पूरा हो जाता है।
90. अतः, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आर्थिक और वित्तीय मापदंडों पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह पूर्ण मात्रा में हो अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में हो। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त किए गए लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रकार परिकलित मांग/स्पष्ट खपत निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	421	974	2,332	2,863
चीन	एमटी	277	494	1,660	2,175
जापान	एमटी	144	480	672	688
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,934	4,441	4,198	4,432
कुल आयात	एमटी	4,355	5,415	6,530	7,295
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	131	130
एसईजेड संयंत्र से आयात	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	78	68
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	135

92. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि में वृद्धि दर्शाती है। घरेलू उद्योग की बिक्री 2022-23 तक बढ़ी है और जांच अवधि में थोड़ी गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के पास बेकार क्षमताएं होने के बावजूद, पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मांग को पूरा किया गया है।

ख) भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

93. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, काफी वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और संबद्ध आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	421	974	2,332	2,863
चीन	एमटी	277	494	1,660	2,175
जापान	एमटी	144	480	672	688
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,934	4,441	4,198	4,432
कुल आयात	एमटी	4,355	5,415	6,530	7,295
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	137	126
मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	135
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात:					
कुल आयात	%	10%	18%	36%	39%
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	206	403	540
मांग/खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	423	504

94. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा आधार वर्ष में 10% से बढ़कर जांच की अवधि में 39% हो गई है। संबद्ध देशों से आयात भी भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में क्षति अवधि में बढ़ गया है।

ज.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

95. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क) कीमत कटौती

96. जांच अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।
97. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग कीमत दबाव के कारण आयातों की पहुंच कीमत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है और परिणामस्वरूप समग्र रूप से संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप में		
i	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,15,340
ii	कीमत कटौती	रु./एमटी	(***)
iii	कीमत कटौती	%	(0-10%)
3	चीन जन.गण.		
i	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,16,324
ii	कीमत कटौती	रु./एमटी	(***)
iii	कीमत कटौती	%	(0-10%)
4	जापान		
i	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,12,228
ii	कीमत कटौती	रु./एमटी	***
iii	कीमत कटौती	%	0-10%

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

98. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को माफी मात्रा तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत से की है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	99,102	1,20,813	1,36,864	1,15,340
वृद्धि/(कमी)					
बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी		21,711	16,052	-21,524

99. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में जांच अवधि में *** रुपये प्रति एमटी की गिरावट आई है और बिक्री मूल्य में *** रुपये प्रति एमटी की गिरावट आई है। पहुंच कीमत में गिरावट 21,524 रुपये प्रति एमटी है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी गिरावट आई है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

100. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक

जो घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालते हों, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और घटकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

101. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	150	150
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	137	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	92	84
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	131	130

102. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है जो 21 दिसंबर से प्रचालनात्मक था। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में 2022-23 तक वृद्धि हुई और देश में मांग बावजूद जांच अवधि में गिरावट आई।

ख) बाजार हिस्सा

103. घरेलू उद्योग का और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	97
एसईजेड से आयात हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	81	60	50
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	423	504
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	81	84

104. यह देखा जाता है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अवधि में गिरावट आई है।

105. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति रही है, जबकि केवल संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी ही है जो पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ रही है।

ग) मालसूची

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
आरंभिक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	108	158
अंतिम	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	143	96
औसत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	127	124

107. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

108. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	लाख रु.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	-	(65)
व्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	लाख रु.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	56	(6)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	69	29
निवेश पर आय	%	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	32	(3)

109. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय क्षति अवधि के दौरान लगातार घट रही है। वस्तुतः, घरेलू उद्योग को 2022-23 में घाटा उठाना शुरू हो गया और जांच की अवधि में घाटा तेजी से बढ़ा।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

110. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो कि नीचे दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	137	126
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	100	98
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	137	128
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	114	120

111. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या कमोबेश एक समान रही। घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार सुधार दिखाई देता है, तथापि कम उत्पादन स्तरों के कारण जांच अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
उत्पादन (एमटी)	वर्ष/वर्ष		***	***	(***)
घरेलू बिक्री (एमटी)	वर्ष/वर्ष		***	***	(***)
पीबीटी (लाख रु.)	वर्ष/वर्ष		(***)	(***)	(***)
मालसूची (एमटी)	वर्ष/वर्ष		***	***	(***)
बाजार हिस्सा (%)	वर्ष/वर्ष		***	(***)	(***)
नकद लाभ (लाख रु.)	वर्ष/वर्ष		(***)	(***)	(***)
निवेश पर आय (%)	वर्ष/वर्ष		(***)	(***)	(***)

112. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंड औसत मालसूची को छोड़कर जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं, जिसमें जांच की अवधि में नगण्य गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सभी कीमत मानदंड क्षति अवधि और जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए नए निवेश किए हैं, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और पाटित आयातों के कारण घाटे का सामना कर रहा है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा काफी अधिक थी और ऐसे आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर थे। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध आयातों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

झ. पाटन की मात्रा

115. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन काफी है तथा संबद्ध सामानों के आक्रामक कीमत निर्धारण को दर्शाता है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

116. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा तथा कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने पर, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति, नियमावली के तहत सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक से हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा तथा मूल्य

117. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयात का 39% है। मलेशिया तथा यूएसए से आयात काफी हैं और भारत में कुल आयातों का लगभग 61% है। मलेशिया तथा यूएसए से आयात संबद्ध देशों की तुलना में बहुत अधिक कीमतों पर हैं। अतः, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ख) मांग में संकुचन

118. विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि में लगातार बढ़ी है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

119. यह नोट जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

ड) प्रौद्योगिकी में विकास

121. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार भी किया है।

च) उत्पादकता

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में गिरावट के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है। उत्पादकता में मामूली गिरावट इस निमित्त घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

123. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

124. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

125. नियमावली के अनुबंध III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यात के पहुंच मूल्य से की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (यूएस डा./एमटी)	निर्यात कीमत (यूएस डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएस डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन जन.गण. के लिए						
1	सभी	***	***	***	***	20-30
जापान के लिए						
1	शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक लिमिटेड और आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
2	सभी अन्य	***	***	***	***	30-40

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. घरेलू उद्योग के आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में टायर उत्पादन लागत के बारे में जागरूकता की कमी और परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना करने में अक्षमता को स्वीकार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने नोट किया कि जबकि घरेलू उद्योग ने शुल्क प्रभाव की गणना करने का दावा किया है, कोई आकड़ा स्रोत अथवा पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे अन्य पक्षकारों के दावों को सत्यापित करने या सार्थक टिप्पणियां देने की क्षमता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जबकि घरेलू उद्योग का दावा है कि निचले स्तर के उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा, उन्होंने इस दावे का समर्थन करने वाले का परिकलन नहीं दिया है।

- ख. आईआईआर आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क, एचआईआईआर आयातों पर प्रत्याशित शुल्क और टायर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अन्य कच्चे माल के संबंध में नई जांच मौजूद है। इन शुल्कों के संयुक्त प्रभाव से प्रति टायर उत्पादन लागत में 10-15% की वृद्धि होगी, जो निचले स्तर के उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी प्रभावित करेगी।
- ग. विभिन्न कच्चे माल के अलग-अलग उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए, कई शुल्कों के सामूहिक बोझ पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह दृष्टिकोण घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में निचले स्तर के उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव का अधिक सटीक आकलन प्रदान करता है, जहां निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले कच्चे माल तक पहुंच वाले देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति मात्रा और मूल्य निर्धारण निर्धारित करने में स्वतः स्व-विवेक प्राप्त होगा। इससे भारतीय उपभोक्ता संभावित बाजार हेरफेर और मूल्य वृद्धि के प्रति सुभेद्य होंगे। बढ़ी हुई लागत संभवतः मूल्य श्रृंखला के माध्यम से आगे जाएगी, जो अंततः उच्च टायर कीमतों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी।
- ड. पाटनरोधी शुल्क लगाने से कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों और प्रचालनात्मक खर्चों की मौजूदा चुनौतियों में वृद्धि होगी। टायर क्षेत्र में नवाचार और निवेश पर संभावित प्रभाव हो सकते हैं, साथ ही भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए जोखिम भी हो सकते हैं।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

127. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. एसएचटीएस ग्रेड आपूर्ति पर, घरेलू उद्योग तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने वाले यूएचडी ग्रेड के माध्यम से क्षमता प्रदर्शित करता है। शुल्क प्रभाव पर एटीएमए के दावों को डीजीएफटी के एसआईओएन मानदंडों का उपयोग करके हल किया गया था जिसमें कहा गया है कि 100 किलोग्राम टायर उत्पादन के लिए 0.05 किलोग्राम विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न टायर प्रकारों पर 0.01% से 0.04% का लागत प्रभाव दर्शाता है।
- ख. विभिन्न उत्पादों पर विभिन्न पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के एटीएमए के आक्रामक रूप का खंडन किया जाता है। प्रत्येक जांच विशिष्ट बाजार स्थितियों, मूल्य निर्धारण और क्षति मापदंडों के साथ अलग-अलग उत्पादों की जांच करती है। उद्देश्य विशिष्ट उत्पादों के लिए अनुचित व्यापारिक परिपाटियों को हल करने पर जोर देता है।
- ग. निर्यातकों के दावों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने शुल्क गणना डेटा स्रोतों के बारे में तर्कों को हल किया, उद्योग ने कहा कि इसने सबूतों के साथ टायर उद्योग में विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों पर के प्रभाव संबंधी विस्तृत परिकलन दिए।
- घ. भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति के दावे के संबंध में, यह उल्लेख किया गया था कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि उचित कीमतें सुनिश्चित करता है। उपयोगकर्ता उद्योग ने घरेलू उद्योग की एकाधिकार स्थिति को साबित नहीं किया है। प्राधिकारी ने एकल उत्पादकों के साथ कई मामलों में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबर ("आईआईआर") के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच और जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हेलोब्यूटिल-रबरड (एचआईआईआर) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच पर विश्वास किया है।

- उ. प्रश्रावली के उत्तरों के संबंध में, एमआरएफ लिमिटेड ने प्रयोक्ता प्रश्रावली और आर्थिक हित प्रश्रावली के उत्तर दायर किए, परंतु यह दावा किया कि यह शुल्क प्रभाव पर जानकारी एकत्र कर रहा था। प्रश्रावली के उत्तर में अपेक्षित सूचना समय पर दायर की जानी चाहिए थी।
- च. घरेलू उद्योग समय पर अवसर और सख्त समय प्रतिबंधों पर डब्ल्यूटीओ के विचारों का हवाला देता है। **यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील** मामले का संदर्भ दिया गया जहां अधिकारियों ने जापानी निर्यातक के देर से किए गए अनुरोधों को रद्द कर दिया। अपीलिय निकाय ने जांच नियंत्रण के लिए समय सीमा स्थापित करने का समर्थन किया।
- छ. वित्तीय आंकड़े 2019-20 से 2023-24 तक एमआरएफ की लाभप्रदता दर्शाते हैं, जबकि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हानियां हो रही हैं। दस्तावेज़ में प्रयोक्ता उद्योग के निष्पादन संबंधी विशिष्ट आंकड़े शामिल हैं, जिसमें एमआरएफ लिमिटेड का राजस्व 2019-20 में 15,991.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में अनुमानित 24,673.68 करोड़ रुपये हो गया, जो पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में दावा की गई चिंताओं के बावजूद वृद्धि दर्शाता है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जांच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के खिलाफ उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी को पता है कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमआरएफ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा एक टायर की कुल लागत का 0-1% है, जिसका अर्थ है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो इसका टायर उद्योग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
130. यद्यपि हितबद्ध पक्षकार टायरों के कई कच्चे माल पर शुल्कों के संयुक्त प्रभाव का तर्क देते हैं, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक जांच विशिष्ट तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। पाटनरोधी जांच विभिन्न व्यापार उपायों के संचयी आर्थिक प्रभाव के बजाय विशिष्ट पाटित आयातों से होने वाली क्षति को दूर करने पर केंद्रित होती है।
131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए उचित अवसर सुनिश्चित होंगे। इससे भारत में आयात बंद नहीं होगा। मांग आपूर्ति का अंतर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- a. निर्यातक ने कभी यह दावा नहीं किया कि विचाराधीन उत्पाद के म्यूक्रोन ओटी-20-एचडी-जी” (“स्पेशलिटी ग्रेड”) इसकी निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की कीमतों से काफी अधिक हैं। इसके

बजाय, निर्यातक ने अनुरोध किया था कि स्पेशियलिटी ग्रेड के निर्यातों की कीमतें निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए गैर-स्पेशियलिटी ग्रेड या नियमित ग्रेड की तुलना में काफी अधिक हैं। जैसा कि हमने पहले अपने लिखित अनुरोधों में अनुरोध किया है, स्पेशियलिटी ग्रेड की कीमत 9% है और लागत मानक ग्रेड यानी के म्यूक्रोन ओटी-20-एचडी-जी से 5% अधिक है। यह दावा कि अंतर मामूली है और महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तिपरक है और इसमें समर्थन तर्क का अभाव है।

- b. प्राधिकारी ने जिस रिपोर्ट पर भरोसा किया है, उसमें कहा गया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेड, विशेष ग्रेड की तुलना में समतुल्य या उच्चतर तापीय स्थिरता प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है, जिससे निर्यातक की रिपोर्ट का आकलन करने और सार्थक टिप्पणी करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- c. प्राधिकारी ने केवल तापीय स्थिरता पर विचार किया है, जबकि विशेष ग्रेड और नियमित ग्रेड या विचाराधीन उत्पाद के बीच बेहतर ब्लूम प्रतिरोध के महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज किया है।
- d. याचिकाकर्ता की मांग में कमी का दावा बाजार की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि एससीसी ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में विशेष ग्रेड की बिक्री की है।
- e. जापान से आयात को कम किया जाना चाहिए क्योंकि जापान से आयात चीनी आयात की तुलना में बहुत कम है। जापान से सीआईएफ की कीमतें चीनी आयात की तुलना में काफी अधिक हैं। याचिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, क्षति की अवधि में जापान से कीमतों में वृद्धि हुई है और कोविड के बाद की मात्रा सामान्य गति से बढ़ी है।
- f. जापान के लिए कीमत में कटौती नकारात्मक है। इसलिए, जापान से आयात के कारण याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- g. संबद्ध देशों की आयात मात्रा अन्य देशों से आयात की तुलना में अत्यधिक कम है। जापान से आयात की मात्रा चीन की तुलना में बहुत कम रही है। जापान से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात की तुलना में चीन से आयात की मात्रा में वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच अवधि में काफी वृद्धि हुई है।
- h. याचिकाकर्ता को यदि कोई क्षति हुई है तो वह अन्य देशों, विशेषकर चीन से आयात में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है।
- i. जांच की अवधि में जापान के लिए नकारात्मक कीमत कटौती है। आधार वर्ष और जांच अवधि में कीमत कटौती एक समान है, जबकि याचिकाकर्ता आधार वर्ष में लाभ में था, लेकिन जांच अवधि के दौरान लाभ में पर्याप्त गिरावट आई है। इसलिए, निर्यातक का पहुंच मूल्य याचिकाकर्ता पर किसी भी नकारात्मक कीमत प्रभाव का कारण नहीं है।
- j. जापान से आयात की कीमत में क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। जापान से आयात की कीमत आधार वर्ष में 109,860 रुपये प्रति एमटी से बढ़कर जांच अवधि में 121,459 रुपये प्रति एमटी हो गई - कीमत में यह वृद्धि जांच अवधि में 0% वीसीडी के बावजूद हुई है, जब कीमत में कटौती नकारात्मक थी।
- k. याचिकाकर्ता का यह दावा कि उन्हें अपने ग्राहकों से कुछ पत्र-व्यवहार के आधार पर मूल्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है, गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि ग्राहक के आदेश जांच की अवधि से संबद्ध हैं या नहीं और यदि हैं, तो किस हद तक जापान से आयात से संबंधित हैं।
- l. याचिकाकर्ता को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार विभिन्न आर्थिक कारकों के आलोक में कोई क्षति नहीं हो रही है। क्षमता, उत्पादन, बिक्री की मात्रा, प्रति इकाई बिक्री मूल्य, मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता, नियोजित पूंजी आदि सहित सभी आर्थिक मापदंडों ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है। निष्पादन मापदंडों में मामूली बदलाव महत्वहीन हैं और किसी भी "भौतिक क्षति" को नहीं दर्शाते हैं।
- m. याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिक्री और मात्रा में वृद्धि हुई है।
- n. प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले उसे कारण बताना अपेक्षित है।
- o. याचिकाकर्ता की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि विशेष रूप से चीन से खतरा है, जिसका उल्लेख तीसरे पक्ष की रेटिंग एजेंसी यानी आईसीआरए द्वारा भी किया गया है।

- p. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 से यह भी पता चलता है कि कोविड-19 के कारण आपूर्ति शृंखला बाधित हुई और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई।
- q. निचले स्तर के उद्योग यानी टायर उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान आर्थिक मंदी देखी, जिसका सबूत याचिकाकर्ता की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट से भी मिलता है।
- r. विचाराधीन उत्पाद की ऊपरी स्तर के मूल्य में कीमत के उतार-चढ़ाव के कारण लाभप्रदता में गिरावट आई, जो याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 से भी सिद्ध है।
- s. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कच्चे तेल की कीमत दोगुनी हो गई थी। कच्चे तेल की लागत सल्फर की लागत को प्रभावित करती है जो विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में एक प्राथमिक कच्चा माल है।
- t. याचिकाकर्ता की बिक्री में कथित कमी का कारण उनका निर्यात बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना माना जा सकता है।
- u. हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी एसईजेड इकाई की क्षमता को ***एमटी तक बढ़ा दिया है, लेकिन घरेलू उद्योग की प्राप्ति मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कम कीमतों के कारण है। इसलिए, याचिकाकर्ता की अपनी प्रचालनात्मक अक्षमताओं और प्रबंधन निर्णयों से नुकसान हुआ।
- v. केवल *** की उत्पादन क्षमता के साथ, घरेलू उद्योग को *** की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति में महत्वपूर्ण कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अंतर को पाटने और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता होती है।
- w. घरेलू उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार किया, जिसमें पर्याप्त पूंजीगत व्यय शामिल था, जिसके कारण मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के एनआईपी और क्षति के दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाना चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग और एससीसी के बीच तुलना असमान है क्योंकि एससीसी 1984 से प्रचालन में है और इसने क्षति अवधि या जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास और ब्याज लागत काफी कम हो गई है।
- y. घरेलू उद्योग के एनआईपी और क्षति दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाना चाहिए।
- z. शुल्क लगाए जाने से प्रति टायर ***% का असर पड़ेगा। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो यह उपयोगकर्ता उद्योग को घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण प्रमुख कच्चे माल के आयात के लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और अंततः पेंट उद्योग के अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो इससे एकाधिकार बनेगा।
- aa. प्राधिकारी ने उत्तरदाता द्वारा 30 जुलाई 2024 को दायर किए गए अनुरोधों पर विचार किए बिना, 12 अगस्त 2024 के नोटिस के जरिए विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया।
- bb. प्राधिकारी का यह अवलोकन और तर्क कि घरेलू उद्योग का यूएचडी ग्रेड एसएचटीएस के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप है और घरेलू उद्योग के ग्रेड और जांच की अवधि के आयातित ग्रेड के बीच अदला-बदली मौजूद है, स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
- cc. जबकि एसएचटीएस एक सामान्य विवरण है, एसएचटीएस के लिए विशिष्ट मापदंडों से संबंधित आवश्यकताएं ग्राहक (टायर निर्माता) के आधार पर अलग-अलग होती हैं। तदनुसार, एमआरएफ उम्मीद करता है कि इसका कच्चा माल एम2631 (डीएचटीएस) के तहत निर्धारित अपनी अनूठी उत्पादन प्रक्रियाओं और निष्पादन मानकों के आधार पर निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- dd. केवल यह उल्लेख करना कि कुछ कंपनियों ने घरेलू उद्योग के यूएचडी ग्रेड को खरीदा है, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए परस्पर परिवर्तनीयता स्थापित नहीं करता है क्योंकि ऐसे टायर निर्माता हैं जो घरेलू उद्योग के उत्पाद में तकनीकी कमियों के कारण विशेष रूप से आयातित एसएचटीएस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियां यह साबित करने में विफल रहीं कि घरेलू उद्योग का ग्रेड इस ग्रेड के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवहार्य प्रतिस्थापन है।
- ee. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं देखा है कि घरेलू उद्योग द्वारा अन्य ग्राहकों को बेचे गए यूएचडी ग्रेड वाणिज्यिक मात्रा में थे या नहीं। इस तरह के निर्धारण के अभाव में, इन बिक्रियों के साक्ष्य पर यूएचडी ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- ff. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एक अस्वीकृत परीक्षण उत्पाद को शामिल करने से क्षति विश्लेषण विकृत हो गया है, जिससे घरेलू उद्योग के क्षति के दावों को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, यह मानकर कि यह ऐसे

- बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जहां इसकी कोई वास्तविक बिक्री नहीं थी। इस तरह का दृष्टिकोण व्यापार सुधारात्मक जांच के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जैसे कि 'समान वस्तु' के आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और उद्योग की वाणिज्यिक वास्तविकताओं की अनदेखी करना।
- gg. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 17 में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर ('यूक्यूआर') और डी.जी. सिस्टम डेटा की सावधानीपूर्वक यह निष्कर्ष निकालते हुए जांच की है कि घरेलू उद्योग के ग्रेड की कीमत विचाराधीन उत्पाद के आयातित एसएचटीएस ग्रेड से अधिक है। तथापि, यह निष्कर्ष मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण और भ्रामक है।
- hh. घरेलू उद्योग का ग्रेड कभी भी जांच की अवधि के दौरान एमआरएफ लिमिटेड को वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा गया था, यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल्य तुलना के लिए किस आंकड़े पर भरोसा किया है। किसी भी वास्तविक जांच की अवधि बिक्री आंकड़ों की अनुपस्थिति में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की मूल्य तुलना का आधार स्वाभाविक रूप से अप्रमाणित है।
- ii. एसएचटीएस की वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रासंगिकता लेन-देन-वार आयात आंकड़ों से स्पष्ट है जो पुष्टि करता है कि इसका एक विशिष्ट ग्रेड के रूप में व्यापक रूप से व्यापार किया जाता है।
- jj. एसएचटीएस के आयात की कम मात्रा इसकी विशिष्ट अनुप्रयोग को दर्शाती है, न कि मांग की अनुपस्थिति को।
- kk. एसएचटीएस ग्रेड के लेन-देन-वार आयात आंकड़े इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति की पुष्टि करते हैं और इसकी विशिष्टता को और मजबूत करते हैं।
- ll. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जन.गण. में विकास के स्तर में अंतर के कारण मलेशिया को प्रासंगिक तीसरे देश के रूप में लेने के उत्तरदाता के प्रस्ताव को स्वीकार करना। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि मांग-आपूर्ति में अंतर होने पर भी, घरेलू उद्योग अपनी डीटीए इकाई के माध्यम से अधिकांश मांग को पूरा कर सकता है, गलत है।
- mm. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग ***एमटी है, जबकि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता केवल ***एमटी प्रति वर्ष है, जिससे लगभग ***एमटी की महत्वपूर्ण कमी हो रही है।
- nn. क्षति का आकलन घरेलू उद्योग की बाजार में सेवा देने की वास्तविक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, जो ***एमटी की मांग के मुकाबले ***एमटी तक सीमित है।
- oo. यह स्वीकार किया जाना कि घरेलू उद्योग एक मजबूत पी.बी.डी.आई.टी. के साथ लाभप्रद रूप से प्रचालन कर रहा है, जिससे किसी भी पाटनरोधी शुल्क को लागू करने का मामला कमजोर हो जाता है।
- pp. यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रचालन का एक हिस्सा इसकी एसईजेड इकाई से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इससे अधुलनशील सल्फर प्रभाग की लगातार लाभप्रदता कम नहीं होती है।
- qq. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में *** सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में *** सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई, जो आनुपातिक वृद्धि को दर्शाता है।
- rr. घरेलू उद्योग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि उसने 2023-24 और 2020-21 दोनों में लगातार 60% का बाजार हिस्सा बनाए रखा है।
- ss. हाल ही में विस्तार के बावजूद, घरेलू उद्योग की कुल संस्थापित क्षमता ***एमटी तक सीमित है, जबकि कुल मांग ***एमटी है। 100% क्षमता उपयोग के अंतर्गत भी, घरेलू उद्योग पूरे भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होगा।
- tt. इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के कुछ ग्रेड, जैसे एसएचटीएस, को जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता उद्योग से संपर्क भी नहीं किया था और परीक्षण जांच की अवधि के बाद शुरू किए गए थे।
- uu. आयात में 39% की वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में बिक्री में 30% की वृद्धि और 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी बाजार स्थिति का विस्तार और उसे बनाए रखना जारी रखा है।
- vv. आयात में वृद्धि अतिरिक्त मांग के कारण है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ है तथा विचाराधीन उत्पाद के कुछ अनुमोदित ग्रेडों की अनुपलब्धता है।
- ww. अंतिम निष्कर्ष में नकारात्मक मूल्य कटौती संबंधी प्राधिकारी की टिप्पणी की पुनः पुष्टि की जानी चाहिए।
- xx. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत से कम होने के संबंध में घरेलू उद्योग सकारात्मक पीबीडीआईटी के साथ, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, इसका

- याचिका और प्रकटन विवरण में उल्लेख है, सकारात्मक पीबीडीआईटी के साथ अब भी वित्तीय रूप से स्थिर है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास सकारात्मक नकद लाभ भी है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को भारतीय बाजार में अपने उत्पाद की लागत से अधिक कीमत पर बेचने में सक्षम है और इसलिए घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
- yy. निर्यातक का कहना है कि क्षमता में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। निर्यातक अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग के एनआईपी और क्षति दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाए।
- zz. निर्यातक ने आगे कहा कि एससीसी जैसी सुस्थापित कंपनी के साथ तुलना करने पर इस तरह के मूल्यहास और ब्याज लागत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एससीसी 1984 से परिचालन में है और इसने क्षति अवधि या जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास और ब्याज लागत काफी कम है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग और एससीसी के बीच तुलना करना अनुचित है।
- aaa. चूंकि डीआई लाभप्रद रूप से परिचालन जारी रखे हुए है, इसलिए प्राधिकरण को जांच समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके लाभ में बने रहने के लिए वैध कानूनी और आर्थिक आधार का अभाव है।
- bbb. आधार वर्ष और जांच अवधि में निर्यातक की कीमत में कटौती एक समान है, जबकि याचिकाकर्ता आधार वर्ष में लाभ में था, लेकिन जांच अवधि के दौरान लाभ में पर्याप्त गिरावट आई। परिणामस्वरूप, निर्यातक का उतराई मूल्य याचिकाकर्ता पर किसी भी नकारात्मक मूल्य प्रभाव का कारण नहीं है। इसके अलावा, जापान की कीमतें क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान लगातार बढ़ी हैं, और इस प्रकार याचिकाकर्ता को जापानी आयातों के कारण होने वाली कीमत क्षति का सामना नहीं करना पड़ता है।
- ccc. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत, इसका निर्यात मूल्य, तथा असंबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत, जो सभी कथित पाटन से स्वतंत्र हैं, में समान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। इसलिए, मूल्य में कमी वैश्विक बाजार स्थितियों का परिणाम है, न कि संबद्ध आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का।
- ddd. घरेलू उद्योग द्वारा मूल्य दमन/मंदी के दावे को वित्तीय संकट के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन निरंतर लाभप्रदता को दर्शाता है, जैसा कि सकारात्मक पीबीडीआईटी और लगातार नकद मुनाफे से पुष्टि होती है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्टों से भी स्पष्ट है।
- eee. संबद्ध आयातों की मात्रा बहुत कम है, जिससे कीमतों पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ सकता। जांच अवधि के दौरान, कुल आयात 2,927 एमटी रहा, जो बाजार का मात्र 12% था, जबकि घरेलू उद्योग का 60% हिस्सा प्रभावी था।
- fff. इसके अलावा, यदि 1,890 एमटी एसएचटीएस ग्रेड आयात को छोड़ दिया जाए, तो शेष संबद्ध आयात केवल 1,037 एमटी या कुल बाजार का मात्र 4% है, जो घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण अथवा हास नहीं कर सकता है, विशेष रूप से इसकी मजबूत बाजार स्थिति और निरंतर लाभप्रदता को देखते हुए।
- ggg. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कम उत्पादन और बिक्री के संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किया, जो दिसंबर 2021 में चालू हो गया जो इसके उत्पादन और बिक्री में गिरावट का एक कारण है।
- hhh. यद्यपि इस तरह के विस्तार से क्षमता उपयोग में वृद्धि होनी चाहिए थी तथा उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारकों ने भी इसमें भूमिका निभाई।
- iii. क्षमता उपयोग में उत्तरोत्तर गिरावट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग अपनी विस्तारित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहा है, जिसका कारण आंतरिक अकुशलताएं, उत्पादन योजना में परिवर्तन या अन्य प्रचालन चुनौतियां हो सकती हैं।
- jjj. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कथित गिरावट केवल 3 सूचीबद्ध अंकों की है, जो किसी भी भौतिक क्षति को दर्शाने के लिए महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसका बाजार हिस्सा 60% है।
- kkk. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री को विस्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं और विचाराधीन उत्पाद के ऐसे ग्रेड की आपूर्ति कर रहे हैं जो घरेलू बाजार में अनुपलब्ध या अस्वीकृत हैं।

- iii. लाभ और निवेश पर आय में गिरावट के संबंध में, घरेलू उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार किया, जिसमें पर्याप्त पूंजीगत व्यय शामिल था, जिसके कारण मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई, जो दोनों गैर-आवर्ती प्रकृति के हैं। मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए घाटे का कारण हो सकती है।
- mmm. वित्तीय स्थिरता का अधिक उचित और सटीक उपाय पीबीडीआईटी का मूल्यांकन होगा, जो गैर-नकद व्यय से विकृतियों के बिना परिचालन लाभप्रदता को दर्शाता है। घरेलू उद्योग का पीबीडीआईटी सकारात्मक रहा, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसकी वार्षिक रिपोर्ट में पुष्टि की गई है।
- nnn. घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसकी ब्याज लागत 9 गुना से अधिक बढ़ गई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मूल्यहास लागत लगभग दोगुनी हो गई है।
- ooo. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 से स्पष्ट है कि चोट की अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। इस अवधि में आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान देखा गया और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई।
- ppp. बाजार की गतिशीलता से प्रभावित वैश्विक कीमत सुधार से स्वाभाविक रूप से स्थिर बिक्री मात्रा के बावजूद कम राजस्व हुआ। अतः, घरेलू उद्योग की क्षति को कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, न कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों को।
- qqq. एसएचटीएस के आयात के कारण होने वाली क्षति को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- rrr. संबद्ध आयातों की मात्रा इतनी कम है कि इससे घरेलू उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ता। जांच की अवधि के दौरान कुल आयात *** एमटी रहा, जो बाजार का सिर्फ *** हिस्सा था, जबकि घरेलू उद्योग का 60% हिस्सा प्रभावी था। इसके अतिरिक्त, अगर एसएचटीएस ग्रेड आयात के *** एमटी को छोड़ दिया जाए, तो शेष संबद्ध आयात की मात्रा सिर्फ *** एमटी या कुल बाजार का सिर्फ *** हिस्सा है।
- sss. मांग-आपूर्ति घाटे का समाधान किए बिना पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह निचले स्तर के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा जो स्थिर और पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर हैं।
- ttt. घरेलू स्तर पर निर्मित न होने वाले ग्रेडों, जैसे एसएचटीएस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आवश्यक आयातों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, क्योंकि इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और इन आयातों पर निर्भर उद्योगों के लिए अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है।
- uuu. प्राधिकारी प्रयोक्ता उद्योग की चिंताओं का व्यापक मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं, इसके बजाय उन्होंने जोर दिया है कि प्रत्येक जांच का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यद्यपि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, यह पाटनरोधी शुल्क लागू करने के व्यापक आर्थिक परिणामों पर विचार करने के महत्व को कम नहीं करता है।
- vvv. एनआईपी का उद्देश्य घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत वसूलने तथा उचित लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाना है, लेकिन एनआईपी को घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए या अनुचित लाभ नहीं देना चाहिए।
- www. घरेलू उद्योग सकारात्मक पीबीडीआईटी और नकद लाभ बनाए रखते हुए वित्तीय स्थिरता दर्शाते हुए अपनी उत्पादन लागत से अधिक कीमतों पर पहले ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कर रहा है।
- xxx. 22% आरओसीई की अनुमति देने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि होगी, जो समान अवसर सुनिश्चित करने के बजाय प्रभावी रूप से बाजार की गतिशीलता को बर्बाद कर देगा। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2004 (170) ई.एल.टी. 144) और मेसर्स ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011 (270) ई.एल.टी. 696) में सेस्टैट का संदर्भ लें।
- yyy. प्राधिकारी को ऐतिहासिक उद्योग-विशिष्ट रिटर्न पर विचार करना चाहिए, जो एनआईपी के लिए उचित आधार होगा। घरेलू उद्योग कई वर्षों से प्रचालन में है, और इसके वास्तविक पिछले वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर उचित आय निर्धारित की जानी चाहिए थी।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग की स्थिति, गोपनीयता, विविध मुद्दे, सामान्य मूल्य, घरेलू उद्योग को क्षति, कारणात्मक संपर्क और सार्वजनिक हित के संबंध में प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियों की पुष्टि करें।

- ख. विचाराधीन उत्पाद का एक समरूप उत्पाद है जिसकी कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है और साथ ही, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच में कोई पीसीएन अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, यदि प्राधिकारी वर्तमान मामले में शुल्क की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं, तो अनुरोध है कि इसकी निश्चित आधार पर और यहां तक कि यूएस डॉलर के संदर्भ में भी सिफारिश की जाए।
- ग. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे की जांच करनी चाहिए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उचित और पर्याप्त रूप से जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर नीचे जांच की गई है।
135. एससीसी के इस दावे के बारे में कि विशेष ग्रेड के निर्यात की कीमतें उसके द्वारा निर्यात किए गए गैर-विशेष ग्रेड की तुलना में काफी अधिक हैं, प्राधिकरण ने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि विशेष ग्रेड एक समान वस्तु है और इसे पीयूसी के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा, दो ग्रेड के बीच केवल मूल्य अंतर उन्हें अलग-अलग उत्पाद नहीं माना जाता है।
136. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जिस रिपोर्ट पर प्राधिकारी ने भरोसा किया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेड, विशेष ग्रेड की तुलना में समतुल्य या उच्चतर तापीय स्थिरता प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है, जिससे रिपोर्ट का आकलन करने और सार्थक टिप्पणियां करने के निर्यातक के अधिकार में बाधा उत्पन्न हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संतुष्ट होने पर उन्होंने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी अपेक्षित था और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है।
137. इस अनुरोध के संदर्भ में कि प्राधिकारी ने केवल थर्मल स्थिरता पर विचार किया है, जबकि विशेष ग्रेड और नियमित ग्रेड या विचाराधीन उत्पाद के बीच बेहतर ब्लूम प्रतिरोध के महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तुतियों में थर्मल स्थिरता और ब्लूम प्रतिरोध के बीच संबंध को स्वीकार किया गया है। इसलिए, यदि थर्मल स्थिरता सिद्ध हो जाती है, तो अलग से ब्लूम प्रतिरोध विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है।
138. इस अनुरोध के संबंध में कि विशेष ग्रेड की मांग में कमी बाजार की वास्तविकताओं के साथ असंगत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एससीसी ने पूरी क्षति अवधि में विशेष ग्रेड की एकल शिपमेंट का निर्यात किया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि एससीसी द्वारा किए गए विशेष ग्रेड का निर्यात जांच की अवधि में 16 एमटी है जो विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग का 0.08% है। प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि एससीसी द्वारा किए गए विशेष ग्रेड के निर्यात की एकल शिपमेंट के आधार पर भारत में विशेष ग्रेड की नियमित मांग है।
139. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि जापान के लिए कीमत में कटौती नकारात्मक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी प्रणालियों के अनुसार आयातों के आधार पर जापान के मामले में कीमत में कटौती सकारात्मक है, यद्यपि यह नगण्य नहीं है।
140. जहां तक इस दावे का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात नहीं रुकता बल्कि घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध होता है।
141. जहां तक एटीएमए के इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा 30 जुलाई 2024 को दायर किए गए अनुरोधों पर विचार किए बिना ही 12 अगस्त 2024 के नोटिस के जरिए विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दे दिया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए सभी अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया गया था।

142. जहां तक इस बात का संबंध है कि पीयूसी के दायरे में एक अस्वीकृत परीक्षण उत्पाद को शामिल करने से क्षति विश्लेषण विकृत हो गया है, जिससे घरेलू उद्योग के क्षति के दावे कृत्रिम रूप से बढ़ गए हैं, यह मानकर कि वह ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जहां उद्योग की कोई वास्तविक बिक्री नहीं थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में एक समान वस्तु बेच रहा है, इसलिए उसके द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण विकृत नहीं है।
143. आयातित एसएचटीएस ग्रेड और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड की कीमतों में अंतर के बारे में एटीएमए के निवेदनों के संदर्भ में, प्राधिकरण ने नोट किया कि एटीएमए ने अपने दावे के पक्ष में कोई विशिष्ट डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि, एटीएमए द्वारा प्रस्तुत डेटा के अवलोकन से यह पाया गया कि घरेलू उद्योग से एमआरएफ द्वारा खरीदे गए ग्रेड की कीमत चीन से आयात किए गए ग्रेड की औसत कीमत से अधिक है।
144. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि मांग-आपूर्ति में अंतर विद्यमान है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर, यदि कोई हो, पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं हो सकता, बशर्ते कि संबद्ध देशों से पाटन हो, घरेलू उद्योग को क्षति हो और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध हो।
145. इस दलील के संबंध में कि यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि घरेलू उद्योग के संचालन का एक हिस्सा इसकी एसईजेड इकाई से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इससे अघुलनशील सल्फर प्रभाग की लगातार लाभप्रदता कम नहीं होती है, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, उसने घरेलू उद्योग की डीटीए इकाई की पीयूसी लाभप्रदता और घरेलू बिक्री पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बारे में प्राधिकरण का विश्लेषण घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित अघुलनशील सल्फर प्रभाग की संयुक्त लाभप्रदता पर विचार किए बिना है।
146. जहां तक इस दलील का संबंध है कि आयात में वृद्धि अतिरिक्त मांग के कारण हुई है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ है और पीयूसी के कुछ अनुमोदित ग्रेडों की अनुपलब्धता के कारण हुई है, प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग एक ऐसा उत्पाद बेच रहा है जो आयातित उत्पाद के "समान" है, और इसलिए, उसे इस तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती है कि घरेलू उद्योग कुछ उत्पादों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है और परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है।
147. कघरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संदर्भ में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, तथा आधार वर्ष में सकारात्मक लाभ जांच अवधि में घाटे में बदल गया है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि पीबीडीआईटी में जांच अवधि में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
148. कुछ पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मूल्यहास और व्याज में वृद्धि के कारण लाभ मार्जिन में कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान कोई कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग के एनआईपी की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित पद्धति के अनुसार की है।
149. कुछ पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत, उसका निर्यात मूल्य और असंबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत, सभी कथित पाटन से स्वतंत्र, एक समान गिरावट की प्रवृत्ति का अनुसरण कर रही हैं। अतः, मूल्य में कमी वैश्विक बाजार परिस्थितियों का परिणाम है, न कि संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धी दबाव का। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों में गिरावट जांच अवधि में सल्फर की कीमतों में गिरावट से कहीं अधिक है, क्योंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्यों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं जबकि असंबद्ध देशों से आयात कीमत में भी गिरावट आई है, ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग के उचित बिक्री कीमत से कहीं अधिक हैं और इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
150. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध आयातों की मात्रा बहुत कम है, जिससे कीमतों पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 3% की तुलना में जांच अवधि में 14% है। आधार वर्ष में, घरेलू उद्योग लाभ में था और पाटन कीमतों पर संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरंतर वृद्धि के साथ जांच अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ काफी घाटे में बदल गया।

151. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच अवधि के दौरान कुल आयात 2,927 एमटी रहा, जो बाजार का मात्र 12% था, जबकि घरेलू उद्योग का 60% हिस्सा प्रमुख था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और खोई हुई बाजार हिस्सेदारी को संबद्ध देशों से आयातों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों ने न केवल घरेलू उद्योग के हिस्से पर कब्जा कर लिया है, बल्कि गैर-संबद्ध देशों के बाजार हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है।
152. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि यदि 1890 एमटी एसएचटीएस ग्रेड के आयातों को छोड़ दिया जाए, तो शेष संबद्ध आयात केवल 1,037 एमटी या कुल बाजार का मात्र 4% है, जो घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण का न्यूनीकरण अथवा कीमत हास कर सकता है, विशेष रूप से इसकी मजबूत बाजार स्थिति और निरंतर लाभप्रदता को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी एसएचटीएस ग्रेड के आयातों को छोड़ने के बाद आयात विश्लेषण करना उचित नहीं समझते हैं, जब प्राधिकारी द्वारा पहले ही यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि घरेलू उद्योग के समान वस्तु का विनिर्माण और बिक्री कर रहा है।

ख. निष्कर्ष और सिफारिश

153. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जैसा कि नीचे दिया गया है :
154. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अघुलनशील सल्फर" है।
155. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामान और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।
156. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत 'प्रमुख अनुपात' परीक्षण पास करता है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।
157. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
158. क्षति अवधि के दौरान जांच अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष एवं सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
159. घरेलू उद्योग की क्षमताएं निष्क्रिय रहने तथा भारत में पीयूसी की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
160. घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है तथा क्षति अवधि के दौरान केवल 55-65% की सीमा में प्रचालन कर रहा है।
161. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान गिरावट देखी गई है। आधार वर्ष में लाभ जांच अवधि में महत्वपूर्ण घाटे में बदल गया।
162. घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, तथा जांच अवधि में इसमें कुछ गिरावट आई है।

163. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से काफी कीमत दबाव का सामना करना पड़ रहा है और अपनी गिरती बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए उसे अपनी बिक्री कीमतों को कम करना पड़ा है।
164. पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।
165. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी सकारात्मक हैं।
166. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, और कारणात्मक संपर्क के पहलू संबंधी सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
168. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38123930, 28020010, 38249900	अघुलनशील सल्फर	चीन जन.गण.	चीन सहित अन्य कोई देश	कोई	307	एमटी	यूएस.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन और जापान को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	307	एमटी	यूएस.डॉ.
3	-वही-	-वही-	जापान	जापान	शिकोकु केमिकल्स कारपोरेशन	259	एमटी	यूएस.डॉ.

4	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित अन्य कोई देश	क्र.सं. (3) को छोड़कर कोई	358	एमटी	यूएस.डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन और जापान को छोड़कर कोई देश	जापान	कोई	358	एमटी	यूएस.डॉ.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. आगे की प्रक्रिया

169. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 7th March 2025

Case No. – AD(OI) – 01/2024

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR and Japan

A. BACKGROUND OF THE CASE

F.No. 6/01/2024-DGTR:—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “AD Rules”) thereof,

- Whereas, Oriental Carbon and Chemicals Ltd. (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry” or “petitioner”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the AD Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Insoluble Sulphur” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or the “PUC”) originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the “subject countries”).
- The Authority, on the basis of sufficient *prima-facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/01/2024-DGTR dated 27th March 2024 (hereinafter referred to as

the “Initiation Notification”), published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject countries, and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 27th March 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users of the subject goods and other interested parties as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed by the initiation notification and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - iv. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules through its email dated 04.04.2024.
 - v. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The embassies of the subject countries were also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers /exporters from their respective countries.
 - vi. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
 - vii. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
 - i. M/s Shikoku Chemicals Corporation, Japan
 - ii. Mitsubishi Corporation Plastics Ltd., Japan
 - iii. IVICT (Singapore) Pte. Ltd., Singapore
 - viii. None of the producers/exporters from China have responded in the present investigation.
 - ix. The producers/exporters from the subject countries who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.

- x. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users and user association of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
- xi. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:
 - i. MRF Limited
- xii. Further, the following interested parties have also made submissions during the investigation:
 - i. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
- xiii. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted by the following interested parties :
 - i. Oriental Carbon and Chemicals Ltd. (“domestic industry”)
 - ii. MRF Limited
- xiv. The period of investigation (hereinafter referred to as the “POI”) for the present investigation is from 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The injury investigation for the present investigation is April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023 and the POI.
- xv. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation. For the purpose of the present Final Findings, the Authority has relied upon the Directorate General of Systems (hereinafter referred to as “DG System”) import data.
- xvi. The Authority discussed the PUC and the PCN methodology with the interested parties. After receiving inputs and submissions from all the interested parties, the Authority *vide* notification dated 12th August 2024 decided the scope of the PUC and noted that PCNs were not warranted in the case.
- xvii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 14th January 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- xix. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xx. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 18th February 2025. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- xxi. The information submitted by the applicant has been examined and verified during on-site verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present Final Findings.
- xxii. The information submitted by M/s Shikoku Chemicals Corporation (SCC) has been examined and verified during on-site verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present Final Findings.
- xxiii. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on a confidential basis were directed to provide an adequate summary of the confidential version in a non-confidential version.
- xxiv. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this Final Findings on the basis of the facts available.
- xxvi. “****” in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 83.52.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration (herein after also referred to as “PUC”) was defined as follows:

“2. The product under consideration in the present investigation is the “Insoluble Sulphur” hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”.

3. Insoluble sulphur, by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS₂). Insoluble sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon which is detrimental to rubber compound.

4. Insoluble sulphur is an important rubber additive agent. It improves product quality, wearability and resistance to both fatigue and ageing. In addition to being universally recognized as the best vulcanizing agent, it is widely used in the

manufacture of tire, tread, shoes, all kinds of automobile rubber parts and other rubber products. Therefore, due to its non-blooming characteristic, Insoluble sulphur is widely used in the manufacture of rubber products in which common sulphur is incorporated in high proportion. Based on the end-user industry, out of the total consumption of Insoluble sulphur in India, more than 90% is used in the tyre industry and the remaining is used in non-tyre industry. The unit of measurement considered in weight of the product reported in kilograms (Kg)."

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:
- a. The PUC described in the Initiation Notification is expansive as it includes certain grades which the domestic industry does not manufacture. The scope of PUC encompasses both the grades produced and marketed by the domestic industry and grades that are not domestically manufactured/ available with the domestic industry.
 - b. These grades exhibit distinct technical and commercial characteristics in terms of physical characteristics, quality, application and end use, which makes them commercially non-substitutable with the grades produced by the domestic industry. Consequently, the grades not manufactured by the domestic industry do not qualify as a 'like product' or a 'like article'.
 - c. The interested parties have sought exclusion of Super High Thermal Stability (hereinafter referred to as "SHTS") grade from the scope of PUC due to its non-availability with the domestic industry. The imported SHTS grade is priced higher than the ordinary grades, indicating its unique market position and ensuring that its exclusion would not harm the domestic industry's pricing.
 - d. The SHTS grade is a specialized variant used in radial tyres containing steel belts. This grade provides superior adhesion between steel and rubber components, which ordinary PUC grades cannot achieve. The enhanced adhesion property is essential for maintaining tyre durability and stability.
 - e. The SHTS grade serves multiple critical functions in radial tyre manufacturing. It improves the structural integrity of tyres and increases their resistance to wear and tear, thereby extending operational life.
 - f. Thermal stability is identified as a crucial characteristic of SHTS grade. The grade maintains stability at high temperatures, ensuring consistent quality and performance throughout production. This stability is necessary to meet industry manufacturing standards.
 - g. The SHTS grade has the capability for effective sulphur dispersion in compounds. This property is significant in applications requiring high tack (adhesion) and zero tolerance to blooming, as blooming can degrade tyre quality and performance. The thorough dispersion ensures compound uniformity and integrity.
 - h. Radial tyres cannot be manufactured using standard or ordinary PUC grades, making SHTS grade indispensable for this application.

- i. The domestic industry has been unable to meet SHTS specifications required by tyre manufacturers. All samples provided by the domestic industry have been found qualitatively inadequate for radial tyre manufacturing. Consequently, MRF has not approved the domestic product for radial tyre manufacturing use.
- j. The domestic industry had offered a substitute grade “Vulcamax OT-10” for the trial purposes. However, this substitute grade has failed in the process standards when evaluated against the reference imported material.
- k. The domestic industry has also offered a substitute grade “Diamond Sulf DS-OT-UHD”. This grade was also found to be not acceptable on the account of poor sulphur dispersion and low pull-out adhesion, which are the essential properties of the PUC required to manufacture radial tyres.
- l. The UHD grade exhibits significant physical/ chemical differences. Due to these fundamental dissimilarities, the UHD grade cannot serve as a direct replacement or interchangeable alternative for the SHTS grade.
- m. The domestic industry's High Dispersible Oil Treated (HD-OT-20) and Oil Treated (OT-20) grades are not substitutes for imported products.
- n. The domestic grade exhibits a yellowish-brown coloration different from imported products. This difference indicates fundamental issues beyond visual appearance, affecting finished product performance. This coloration is attributable to compositional differences and impurities in domestically available PUC. The correspondence between domestic industry and ATMA members along with Comprehensive Corrective & Preventive Action Report were submitted as evidence to show details of colour variation issues identified during inspection of domestic grades.
- o. Bulk trials with sample grades demonstrate measurable compositional differences. The domestic grade's performance in tyre manufacturing fails to meet tack and blooming specifications required for non-steel coating applications.
- p. Additional complaints report undispersed hard grits contaminating cured tires, creating quality and safety risks including the potential for tensile failure.
- q. Despite multiple technical consultations with domestic industry, significant improvements in domestic grade quality remain unrealized. The physical and technical specifications are mandated by customers, specifically Automobile OEM Manufacturers. The tyre manufacturing companies cannot use these products when their customers reject the differences in domestic grades.
- r. It was later submitted that the “HD-OT-20” and “OT-20” grades are recently being procured by the importers/ users from both imported sources as well as domestic sources. Consequently, exclusion requests against these grades would not be further pressed by ATMA.
- s. MuCron OT-20 HD G (hereinafter referred to as the “specialty grade”) should be excluded from the scope of PUC since it is not a like article to the product produced by the domestic industry. The specialty grade is not produced by the domestic industry and has significant

difference in performance and specifications with the grades produced by the domestic industry. The cost and selling price of the specialty grade is also different from the PUC.

- t. In the anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel originating in or exported from China PR, Korea RP, European Union, Japan, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, UAE, Hong Kong, Singapore, Mexico, Vietnam and Malaysia, the Authority excluded certain grades from the scope of PUC as the domestic industry did not rebut the claim of the exporter that certain grades cannot be produced by the domestic industry and that comparable grades have not been produced and sold by the domestic industry.
- u. In anti-dumping investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA, the Authority has specifically excluded certain grades from the scope of the investigation as the domestic industry did not show sufficient evidence to prove that they supplied such grades in the POI and did not show equivalence of its grades with the grades that were sought to be excluded by the exporters.
- v. In anti-dumping investigation concerning imports of “Coated Paper” originating in or exported from China PR, European Union and USA, the Authority excluded certain products from the scope of PUC as it was not produced by the domestic industry.
- w. The performance of the specialty grade is significantly better compared to the general grade in terms of thermal stability, bloom resistance and flame test. The speciality grade exhibits higher thermal stability @ 120°C. The speciality grade reduces the risk of sulphur bloom because of less reversion to soluble sulphur during the mixing of rubber compound. The speciality grade is considered as non-hazardous material whereas OT-20 HD grade is considered as hazardous material as per Fire Services Act in Japan. The burning time of speciality grade is significantly less than burning time of OT-20 HD grade. Further, the specialty grade has higher cost and price vis-à-vis regular grades.
- x. The domestic industry admitted during the oral hearing that it does not manufacture this specialty grade and attributed it to lack of demand. The domestic industry’s claim of ‘lack of demand’ is inconsistent with market realities, as producer from Japan has sold the specialty grade in India to meet needs of Indian consumers.
- y. This specialty grade is comparable to the Super High Thermal Stability (hereinafter referred to as “SHTS”) grade, for which the user industry is also requesting an exclusion.

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:
 - a. None of the interested parties have made any substantiated claim, backed by any positive evidence to support their exclusion request.
 - b. ATMA on behalf of its member company i.e. MRF sought exclusion of SHTS grade claiming non-availability from domestic industry. The domestic industry demonstrated that their UHD grade is equivalent to SHTS grade. The industry maintained that their UHD

grade possesses requisite attributes of high thermal stability, effective sulphur dispersion and other requisite properties of this SHTS grade.

- c. The four grades of OT-20 which are universally recognized are: High Dispersibility (hereinafter referred to as “HD”), High Stability (hereinafter referred to as “HS”), Ultra-High Dispersibility (hereinafter referred to as “UHD”), and Normal OT-20. HD and UHD grades are used interchangeably in market practice, and the UHD grade is synonymous with the SHTS grade based on end-user specifications.
- d. Additional parameters such as minimal ash content, low acidity, and controlled heat loss further substantiate the UHD grade’s technical competence. The domestic industry’s commitment to meeting market demands is evidenced by its long-standing supply of the UHD grade to other tyre manufacturers.
- e. The domestic industry’s UHD grade demonstrates high thermal stability at 105°C and 115°C exceeding MRF’s specification requirements. Domestic industry has provided comprehensive Technical Data Sheet. The Technical Data Sheet specifies that the grade comprises sulphur and coating oil with suitable additives which are characterized as a non-blooming vulcanizing agent used in radial tyre manufacturing.
- f. A comparative analysis sheet demonstrated the equivalence between domestic UHD grade and SHTS specifications required. The analysis covers parameters including insoluble sulphur content, CS₂ insoluble values, total sulphur content, and thermal stability parameters. The domestic industry also provided detailed pull adhesion test results showing their product achieves requisite values against MRF’s specification requirement of, demonstrating technical competence.
- g. It is substantiated that the SHTS product required by two tyre manufacturing companies is identical to the UHD grade offered by the domestic industry. The domestic industry has been supplying this UHD grade to one of these two manufacturing companies since 2018.
- h. The domestic industry argued that most global tyre manufacturers use standard grades of PUC. Only two tyre manufacturers claim the need for SHTS grade for manufacturing radial tyres. The domestic industry supplied evidence showing successful use of their grades by multiple manufacturers who produce radial tyres using standard grades of PUC.
- i. The domestic industry highlighted problems with MRF’s testing approach, particularly different magnification scales used for control sample versus for domestic industry’s product. This creates unfair comparison conditions. The domestic industry sent samples for independent third-party laboratory testing which showed compliance with specifications.
- j. The timeline of events surrounding the grade’s rejection reveals a pattern of procedural misconduct. A premature rejection was communicated by MRF, timed one day before the deadline for filing additional comments/ clarification on PUC scope.
- k. After the rejection, trials on samples was again carried out by a third party independent laboratory. The conclusion of these test reports was that the product of domestic industry is superior to the product required by MRF on various parameters. The independent laboratory test reports shows the domestic industry’s commitment to meeting the highest technical standards and provides evidence of the UHD grade’s capabilities.

- l. Accepting an exclusion based on superficial nomenclature (which does not have an industrial recognized standard) would establish a dangerous precedent that could fundamentally undermine the integrity of the investigation.
- m. The domestic industry objected to the baseless and deceptive claims made by ATMA in their attempt to remove the HD-OT-20 and OT-20 grades from the scope of PUC in the subject investigation. The domestic industry regularly supplies the HD-OT-20 and OT-20 grades to customers.
- n. Claims of deficiencies in these supplied grades have no real supporting evidence behind them and any evidence that could substantiate this has been masked with confidentiality.
- o. There was one case where the supplied product had a yellowish-brown colour. However, this was promptly addressed by the domestic industry with the customer. In fact, this particular customer has continued to buy this product consistently from the domestic industry.
- p. There was a receipt of a solitary complaint concerning the presence of hard grits in the PUC. However, this complaint was duly addressed and resolved in a prompt and satisfactory manner. The mere occurrence of a single complaint, which was promptly and effectively resolved, does not constitute a valid ground for the exclusion of the product from the scope of the present investigation.
- q. The issuance of Comprehensive Corrective & Preventive Action Reports (CAPAs) is a standard operating procedure across manufacturing industries to drive continuous improvement and quality assurance - not a sign of major defects.
- r. ATMA has relied on certain exhibits but has opted to mark them as completely confidential, thereby hiding their contents from the domestic industry. These exhibits comprise correspondence exchanged between the domestic industry and downstream users. By designating these exhibits as confidential, domestic industry is precluded from accessing and commenting upon the correspondence that directly pertains to and implicates its interests.
- s. The domestic industry also submitted that the exclusion of MuCron OT 20 HD G ("specialty grade") is unwarranted as SCC has not shown the grade's unique properties or commercial presence. SCC has not provided sufficient information to prove that specialty grade is not a 'like article' to PUC.
- t. Product exclusion requires proof that the grade is neither commercially nor technically substitutable with domestic products. The burden of proof rests with the party seeking exclusion, who must provide concrete evidence of non-substitutability.
- u. SCC has not provided evidence demonstrating that its specialty grade is not substitutable with domestic products. It simply asserted non-production by domestic industry and claimed performance differences without substantiation.
- v. SCC has marked key technical data as confidential for all three parameters - thermal stability, bloom resistance, and flame testing. For thermal stability, while SCC claims better performance at 120°C, all comparative test results are confidential. The domestic

industry has provided evidence of supplying PUC with required thermal stability to Indian customers through sales invoices and analysis certificates.

- w. On bloom resistance, SCC's test results are confidential. Bloom resistance naturally improves with thermal stability, making separate testing unnecessary.
- x. For flame testing, SCC referenced the Japanese Fire Services Act, stating its grade is non-hazardous while domestic industry's product is hazardous. However, SCC has not provided translated excerpts of the Act or disclosed burning time data, marking this information as confidential. The domestic industry maintains that hazard classifications from foreign jurisdictions do not determine product scope in Indian investigations. Indian Authorities must apply Indian regulations, regardless of foreign classifications.
- y. The third-party import data shows SCC exported the specialty grade only to India, with a single shipment in April 2023. The domestic industry notes that a grade cannot be excluded without consistent imports during POI. A single shipment does not justify exclusion. The absence of exports to other markets indicates limited commercial demand both in India and globally.
- z. The domestic industry cited multiple precedent cases where Authority rejected exclusion requests without substantial imports during POI, including recent decision in Electrical Insulators investigations.
- aa. When there are no imports, the Authority has consistently rejected exclusion requests. This position was affirmed in the Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America.
- bb. The specialty grade is absent from SCC's corporate website, marketing materials, and other standard product promotion platforms. The domestic industry therefore requested the Authority to reject SCC's exclusion claim, as SCC has not provided evidence of the grade's commercial existence or availability.
- cc. SCC's grade lacks industry recognition. Adding the letter "G" to the product name does not create an accepted product category. The addition of a letter does not change the product's basic composition or characteristics. Product exclusion requires substantive differences, not merely different nomenclatures. Allowing exclusion based solely on name changes would enable circumvention of trade remedies through simple renaming of products.
- dd. The Authority, after extensive deliberation, had already clarified that the specialty grade is covered under the scope of PUC finding that SCC's arguments lacked supporting evidence to prove non-substitutability.

C.3. Examination by the Authority

- 7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined as hereunder.
- 8. Pursuant to the initiation, the opportunity to make comments on the scope of the product under consideration and PCN was provided to all the interested parties. Thereafter, upon receiving request for

extension of timeline for filing comments on scope of PUC and PCN methodology, the Authority provided additional time to all the interested parties to file their submissions with respect to PUC/PCN.

9. None of the interested parties made proposals to create PCN. Upon receiving comments on the scope of PUC, the Authority instructed the domestic industry to file its response to the comments made by the other interested parties on the scope of PUC.
10. After due examination of the submissions made by the interested parties, the Authority decided that PCNs are not warranted in the present investigation. The relevant extract from the notification dated 12 August 2024 is reproduced below:

“5. After due examination of the submissions made by the parties and the domestic industry, and considering the facts and circumstances of the present investigation, the Authority observes that:

- *The comparison between Vulcamax OT-10 and SHTS (OT-20) is incorrect as OT-20 and OT-10 are fundamentally distinct.*
- *The test results regarding sulphur dispersion reveal methodological inconsistencies in magnification levels. The test results of pull-out adhesion indicate that the performance of the competitor’s product/control is superior, the domestic industry’s UHD product (like article to SHTS) falls within the technical specification requirements of the domestic industry’s customer.*
- *The arguments received from SCC lack supporting evidence and could not substantiate that the product for which exclusion has been sought is neither commercially nor technically substitutable with the like article produced by the domestic industry.*

6. In view of above, the Authority has decided the PUC, and its scope remains same as stated in the initiation notification and does not warrant any PCNs or exclusion...”

11. The Authority has examined the submissions made by interested parties and the domestic industry regarding the request for exclusion of SHTS grade and MuCron OT 20 HD G (“Specialty grade”) from the scope of PUC.
12. With respect to the exclusion of SHTS grade, ATMA on behalf of its member company, i.e., MRF has requested exclusion primarily on grounds that it represents a specialized variant with distinct technical characteristics, which the domestic industry does not manufacture. ATMA argued that SHTS grade provides superior adhesion between steel and rubber components in radial tyres, maintains high thermal stability at high temperatures, and enables effective sulphur dispersion. It further contended that the samples provided by the domestic industry were found qualitatively inadequate for radial tyre manufacturing.
13. The domestic industry, in response to these claims, has submitted that the UHD grade of domestic industry is a like article to the SHTS grade. The domestic industry submitted evidence in the form of lab test reports, technical data sheets, certificate of analysis, etc. to show that the UHD grade of domestic industry closely resembles the SHTS grade.
14. The Authority finds merit in the domestic industry’s argument that there is no universally accepted standard defining SHTS grade. The examination of import data shows that PUC with high thermal stability have been imported in various nomenclatures like “Super HTS”, “Highly Dispersible Super Thermal Stability Insoluble Sulphur” etc. The domestic industry has submitted sales invoices proving active sales of grade with high thermal stability, both domestically and internationally, along with technical data sheets detailing its properties. These documents establish that the product of domestic

industry comprises sulphur and coating oil with suitable additives and serves as a non-blooming vulcanizing agent in radial tyre manufacturing - the same purpose claimed for SHTS grade.

15. The Authority has also examined the detailed technical specifications submitted by the domestic industry and submitted by ATMA on behalf of its member company, i.e., MRF. The Authority has perused the test results, including the one carried out by an independent laboratory, furnished in the matter. On the basis of material placed on record evidencing comparability in results between the grades, the Authority is unable to accept the argument of lack of interchangeability and likeness advanced by the other interested parties.
16. The Authority has carefully examined the user questionnaire response filed by MRF Limited in relation to the claim made by ATMA that imports of SHTS grades are priced higher than the domestic industry's products. The Authority also checked DG system data and observed that the price of domestically purchased PUC (OT-20 normal grade) is higher than the imported PUC (SHTS grade) from China PR. This is relevant because if MRF is importing primarily SHTS grades from China, as claimed, then there should be substantial price difference between SHTS grades and the domestic industry's products. Therefore, the argument advanced by MRF that SHTS is priced higher than domestic industry's grade is not supported by its own pricing data submitted to the Authority.
17. The Authority considers that accepting an exclusion based on nomenclature alone is not tenable in law. The exclusion of an article needs to be justified on the basis of its distinctiveness and non-likeness to the PUC and not mere labelling.
18. Regarding Specialty grade, the Authority's analysis of import data reveals that the specialty grade was exported to India only once during the injury period. This single shipment fails to show genuine commercial existence or market demand.
19. In examining the technical claims, the interested parties assert superior performance in thermal stability at 120°C. However, the domestic industry, in contrast, has provided evidence through third party lab test reports exhibiting its product can exhibit equivalent or higher thermal stability than specialty grade.
20. With reference to the claim regarding classification under Japanese Fire Services Act, the Authority holds that regulatory requirements in different countries may differ and the mere fact that a certain grade is not used in a different territory does not mean that domestically produced PUC is not a like article or commercially and technically substitutable.
21. The Authority has also examined the questionnaire response filed by SCC in relation to the claim made by SCC that imports of specialty grade from Japan are priced significantly higher than the normal grades. In this regard, the Authority note that the price difference between two grades does not render them to be treated as different product.
22. Therefore, the Authority concludes that neither SHTS grade nor MuCron OT-20 HD G grade merit exclusion from the scope of the PUC.
23. Regarding exclusion request for OT 20 and OT 20 HD grade, the Authority notes that ATMA *vide* submissions dated 30th July 2024 stated that it does not wish to further press the request for exclusion of these grades as these grades have been supplied by the domestic industry. In line with ATMA's request, the exclusion request is dropped, and these grades are not to be excluded from the scope of PUC.

24. Therefore, the Authority does not find it appropriate to modify the product under consideration scope. Accordingly, the scope of PUC is determined as follows:

“2. The product under consideration is the “Insoluble Sulphur” hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”.

3. Insoluble sulphur by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS₂). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon which is detrimental to rubber compound.

4. Insoluble sulphur is an important rubber additive agent. It improves product quality, wearability and resistance to both fatigue and ageing. In addition to being universally recognized as the best vulcanizing agent, it is widely used in the manufacture of tire, tread, shoes, all kinds of automobile rubber parts and other rubber products. Therefore, due to its non-blooming characteristic, insoluble sulphur is widely used in the manufacture of rubber products in which common sulphur is incorporated in high proportion. Based on the end-user industry, out of the total consumption of insoluble sulphur in India, more than 90% is used in the tyre industry and the remaining is used in non-tyre industry. The unit of measurement considered is weight of the product reported in kilograms (Kg).

5. The product under consideration is classifiable under tariff item 2802 00 10 and 3812 39 30 of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.”

25. Further, in view of the foregoing, the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

26. The interested parties have not made any submissions on the scope and standing of the domestic industry.

D.2. Submissions made by the domestic industry

27. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and its standing:
- The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rule by virtue of being the sole producer.
 - It is neither an importer of the PUC from the subject countries nor is it related to either the exporter of PUC in the subject countries or the importers of the PUC in India.
 - Oriental Carbon & Chemicals Limited underwent a corporate restructuring through a demerger, approved by the NCLT, Ahmedabad Bench through an order dated 10th April 2024.

- d. The demerger involved the transfer of the Chemical Business Undertaking, which includes PUC and Sulphuric Acid manufacturing and sales, from Oriental Carbon & Chemicals Limited (“Demerged Company”) to OCCL Limited (“Resulting Company”), a subsidiary.
- e. All assets and liabilities pertaining to the Chemical Business Undertaking got transferred to and vested in the Resulting Company as a going concern, by operation of law under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and the Income Tax Act, 1961.
- f. OCCL Limited will continue the PUC and sulphuric acid manufacturing and selling activities. Legal proceedings related to the Chemical Business Undertaking, including the anti-dumping investigation, transferred to the Resulting Company.
- g. The demerger in question came into effect after the POI had already concluded. As such, this corporate restructuring has no bearing on or relevance to the current anti-dumping investigation, since the investigation must analyze the conditions and circumstances that existed during the established POI

D.3. Examination by the Authority

28. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

“(b) “the domestic industry” means the domestic producer as a whole engaged in the manufacture of the Like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘the domestic industry’ may be constructed as referring to the rest of the producers”.

29. The Authority notes that the applicant, Oriental Carbon and Chemicals Limited, went through demerger in post-POI and the chemical business in which the PUC falls has been transferred to OCCL Limited. It is noted that such a demerger has not resulted in any change in the eligibility of the domestic industry.
30. The Authority further notes that Oriental Carbon and Chemicals Limited/OCCL Limited is a sole producer of the product under consideration and constitutes 100% of the total Indian production.
31. It is also seen that the applicant has not imported the product under consideration. Further, it is not related to any producer/exporter from the subject countries and is not related to any importer of the subject goods in India.
32. Therefore, the Authority concludes that Oriental Carbon and Chemicals Limited/OCCL Limited, constitutes the ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

33. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the confidentiality:

- a. The first challenge concerns country-wise export price estimates. While the petitioner provided these estimates, they failed to disclose sources for determining expense adjustments like freight costs and marine insurance. The petitioner merely stated these were adjusted on an "estimated and conservative basis" without supporting evidence, which compromises interested parties' ability to analyze net export price calculations.
- b. Regarding average industry norms for capacity utilization, the petitioner has completely failed to provide any data despite requirements.
- c. Concerning sales quantity data, the petitioner has not properly segregated domestic sales between Small Scale Industry (SSI) and non-SSI sectors, export sales, and captive consumption figures.
- d. Regarding sales value, the submission points out missing breakdowns for domestic sales between SSI and non-SSI categories, export sales, and captive consumption values.
- e. On sales realization per unit, the petitioner has failed to provide segregated data for domestic sales (SSI and non-SSI), export sales, and captive consumption.
- f. Industry norms for productivity per day have been completely omitted.
- g. Average industry norms for inventory management are absent.
- h. R&D expenses have been withheld despite being available in the petitioner's financial statements.
- i. Information about funds raised through equity, loans and advances, working capital, and other sources has been withheld.
- j. Cost of sales per unit for exports has not been disclosed.
- k. Industry norms for PBIT as percentage of average capital employed are missing.
- l. The Non-Injurious Price (NIP) calculation has been claimed as entirely confidential, without even providing ranges as required by Trade Notice 10/2018.
- m. The entirety of Annexure 6.2 (containing Formats VI-1, VI-2, VI-2R, VI-2T, VI-4, and VI-5) has been marked confidential without providing meaningful non-confidential summaries.
- n. Regarding the allegation on MRF about non-disclosure of trend figures for quantity and value of imports, ATMA explained that disclosure would enable the domestic industry to calculate MRF's purchase data, as the domestic industry is already aware of its own sales to MRF. This information is business-sensitive and its disclosure would impact MRF's interests. ATMA notes that the domestic industry itself has not disclosed exact market share in past investigations to protect production calculations, and requests similar treatment for their business-sensitive information.
- o. Concerning the non-disclosure of sales figures for products using PUC, ATMA clarified that Trade Notice 10/2018 refers to previous questionnaire formats requiring year-on-year trends. However, the current formats require information for a single year only, making it impractical to provide indexed figures across multiple years.
- p. Regarding allegations about non-disclosure of unit details linked to PUC in India, ATMA maintained that this constitutes business-sensitive data. They argued that providing specifics about each unit and their operations could compromise MRF's competitive position and reveal proprietary operational insights.

- q. Regarding the manufacturing process summary, ATMA stated that disclosure is not feasible due to the proprietary nature of techniques and trade secrets critical to their competitive advantage. They note that this information has been provided to the Designated Authority on a confidential basis.
- r. On the matter of PUC comparability between subject country and domestic products, ATMA explained that such information is intricately tied to internal strategies and procurement policies. They argue that public disclosure would reveal internal workings and provide undue advantages to competitors.
- s. ATMA addressed the issue of anti-dumping duties' impact by highlighting multiple ongoing investigations concerning essential raw materials for tyre manufacturing. They note that high anti-dumping duty has already been imposed on Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR), and another investigation concerning Halo-butyl rubber (HIIR) is underway. ATMA emphasized that the cumulative impact of duties on multiple raw materials would significantly affect the tyre industry and ultimately burden end consumers.
- t. Regarding utilization details of PUC, ATMA clarified that this information was unavailable for the investigation period, and its non-provision was intentional rather than an oversight. They stated that efforts to compile this information were ongoing.
- u. About marking basic information as confidential, it has been explained that while some information is available online, certain provided details differ from publicly available information and thus warrant confidential treatment. ATMA emphasized that their intention was not to make unnecessary redactions.

E.2. Submissions of the domestic industry

34. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the confidentiality:
- a. Following submissions were made regarding excessive confidentiality claimed in MRF Limited's questionnaire response:
 - b. MRF reported purchase quantity and value data in Annexure-5 but failed to categorize this information by country of export. The data was not properly segregated between related and unrelated party purchases, domestic purchases, and imports from subject and non-subject countries.
 - c. MRF claimed excessive confidentiality by not disclosing Total Sales Turnover information, despite being a publicly listed company. The domestic industry emphasizes that MRF failed to provide turnover data specifically for products manufactured using the PUC.
 - d. MRF claimed confidentiality for details of units linked to PUC in India without providing any reasonable non-confidential summary. They neither provided the required information nor furnished statements explaining why summarization was not possible.
 - e. MRF withheld their complete product portfolio information without justification, claiming confidentiality for information that should be publicly accessible.
 - f. The "Utilisation of PUC" section in Annexure-5 of Excel Appendices of MRF's questionnaire response was left blank, which the domestic industry argues appears to be an error even in the confidential version.
 - g. MRF marked even basic information as confidential and did not disclose responses to any questions in Section-IV, except where information was either unavailable or not applicable.

- h. Following submissions were made regarding excessive confidentiality claimed in SCC, MCPL and IVICT 's questionnaire response:
 - i. SCC marked the entire manufacturing process as confidential without providing any reasonable non-confidential summary, directly contravening Trade Notice requirements. They neither provided a summary nor explained why summarization was impossible.
 - j. SCC failed to disclose the names of raw materials used in manufacturing the PUC in their non-confidential responses, information which cannot be claimed as confidential.
 - k. All three companies withheld information about their distribution channels and complete product portfolio. The domestic industry argued this information is crucial for analyzing market presence and business operations.
 - l. Reliance was placed on *T. Takano vs. SEBI [(2022) 8 SCC 162]* for importance of information disclosure for enabling effective participation and on *H & R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority [2005 (185) E.L.T. 125 (Tri. - Del.)]* which clarifies that confidentiality cannot be mechanically granted merely because information is submitted on a confidential basis.
 - m. The domestic industry also responded addressing confidentiality concerns raised by other interested parties.
 - n. In response to the confidentiality issues raised about country-wise Export Price estimates, the domestic industry explained its methodology for adjusting expenses. It was stated that they have provided country-wise estimates for each country and have adjusted expenses such as freight costs and marine insurance on an estimated basis to determine net export prices.
 - o. Concerning the Average Industry Norm for Capacity Utilisation, the domestic industry stated this information is not required under Trade Notice No. 05/2021. This position is maintained for several other challenged items including sales quantity data segregation between SSI and non-SSI sectors, sales value categorization, sales realization per unit data, industry norms for productivity and inventory, R&D expenses, and funds raised through various sources.
 - p. The domestic industry addressed the confidentiality of Formats VI-1, VI-2, VI-2R, VI-2T, VI-4, and VI-5 by explaining that this information contains sensitive business data where summarization is not feasible.
 - q. On the issue of anti-dumping duties' impact on the tyre manufacturing industry, the domestic industry submitted information based on SION norms issued by DGFT. Specific calculations show that for every 100kg of Automobile Tyres and Tubes, only 0.50kg of Insoluble Sulphur is used. The share of Insoluble Sulphur in tyre manufacturing is minimal, leading to the conclusion that any impact of anti-dumping duties would be negligible on the end product.
 - r. The domestic industry has also disclosed the Non-Injurious Price range as USD 1500-2000 per MT. This disclosure was made despite contending that such disclosure is not mandatory under Trade Notice 10/2018.
 - s. General statements about errors and impairment of rights, without concrete examples, do not provide a basis for modification of their confidentiality approaches.
 - t. The domestic industry also highlighted issues with MRF's confidentiality claims. MRF left "Utilization of PUC" blank in Annexure-5 and marked basic information confidential in economic interest questionnaire. This limits the industry's ability to analyze MRF's claims.

E.3. Examination by the Authority

35. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to the confidentiality have been examined as under-
36. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules.
37. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

38. The domestic industry and other interested parties have raised the issues of confidentiality claims. The information provided by the domestic industry and other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

F. MISCELLANEOUS ISSUES**F.1. Submissions made by the other interested parties**

39. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions in the present investigation:
- a. SCC has submitted regarding non-provision of transaction-wise import data. Reliance has been placed on the CESTAT decision in Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, which established that the Authority must provide import data in the same form and manner as taken on record during investigation.
 - b. SCC referenced clause 2(vi) of Trade Notice No. 7/2018, which permits interested parties to access transaction-wise import data submitted by Petitioner after providing an undertaking in Annex-I to the investigation officer.
 - c. It has been stated that SCC filed a request on 08 October 2024, under Trade Notice No. 7/2018 seeking sorted/unordered transaction-wise import data as filed by Petitioner. However, the Authority

has not provided this data in the form and manner as taken on record. Non-provision of data in editable format (excel) impairs SCC's ability to comment on injury claims.

F.2. Submissions made by the domestic industry

40. The domestic industry has not made any miscellaneous submissions in the present investigation.

F.3. Examination by the Authority

41. The miscellaneous submissions made by the other interested parties and the domestic industry have been examined as below-
42. Section 135AA of the Customs Act, 1962, deals with protection of confidential data:

"135AA. (1) If a person publishes any information, that is furnished to customs by an exporter or importer under this Act, relating to the value or classification or quantity of goods entered for export from India, or import into India, along with the identity of the persons involved or in a manner that leads to disclosure of such identity, unless required so to do under any law for the time being in force or by specific authorisation of such exporter or importer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

(2) Nothing contained in this section shall apply to-

(a) any publication made by or on behalf of the Central Government;

(b) data sourced from any publication made by or on behalf of the Central Government for analysis of trends in India's international trade and dissemination thereof.

Explanation.— *For the purposes of this section, the expression "publishes" includes reproducing the information in printed or electronic form and making it available for the public"*

43. The Authority notes that by introduction of Section 135AA of Customs Act, 1962, there is a prohibition imposed on disclosure of import value, classification, quantity of goods exported from India, or imported into India, along with the identity of persons involved, etc. Therefore, the Authority cannot share the transaction-wise import data with any interested party.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the other interested parties

44. The following submissions have been made by the other interested parties regarding normal value, export price and dumping margin:
- a. On normal value calculation for Japan, the Petitioner computed normal value using raw material costs, utilities, wages, salaries, manufacturing costs, administrative overheads and profit margin. The Petitioner has not provided a summary of production costs used for normal value construction. Since costs were based on Japan market data, this information cannot be proprietary to any producer.
 - b. Legible copies were requested to verify if data regarding wages and electricity costs corresponds to the POI.
 - c. On quantification of freight and expense impacts on export price there is no disclosure of estimation basis or data sources.
 - d. On normal value for China PR, ATMA has challenged surrogate country selection. It challenges USA's selection for China PR calculations. Paragraph 7 of Annexure 1 of AD Rules was cited

which requires consideration of development levels. USA's economy does not match China's development status. Malaysia was proposed as a surrogate based on geography and development level.

- e. Diethyl Thio Phosphoryl Chloride investigation was referred where Denmark was rejected as surrogate due to development status. Peroxosulphates investigation was also relied upon where USA was not used due to cost differences.
- f. Request for reconsideration of USA as surrogate country was made and it was suggested that instead Malaysia may be considered based on development level alignment. This would meet AD Rules requirements for surrogate selection.

G.2. Submissions made by the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry regarding normal value, export price and dumping margin in the present investigation:

- a. As per Article 15 (d) of the Accession Protocol, the expiration of the provisions of Article 15(a) subparagraph (ii) does not lead to an automatic conclusion that China PR would be granted a Market Economy Status. China PR obligation to establish, under the national law of the importing WTO Member that it is a market economy, for the provisions of subparagraph (a) to be terminated has not yet been discharged.
- b. China PR has been consistently treated as an NME both by the Indian Authority and investigating authorities in other countries in all anti-dumping investigations in the last three years. On this basis, China PR may be validly treated as an NME for the purposes of the present investigation and Authority should determine normal value for China under NME conditions, unless proved otherwise by specific producers/ exporters from China.
- c. On normal value methodology, Para 7 of Annexure I provides hierarchical options: price/constructed value in market economy third country, price from third country to others including India, or other reasonable basis. Reliance was placed on the Supreme Court judgment in Shenyang Matsushita case mandating exhaustion of first method before alternatives.
- d. Multiple recent investigations were relied upon where the Authority has treated USA as relevant third country for China PR, including cases on *Glazed/Unglazed Porcelain Tiles* and *1 1 1 2 Tetrafluoroethane or R 134a*.
- e. No Chinese producer/exporter has participated by filing questionnaire responses within deadlines. The Authority must rely on facts available under Section 9A(6A) read with Rule 6(8). USA represents appropriate third country methodology within facts available framework.
- f. The submission concludes by arguing that non-participation of Chinese producers creates information vacuum requiring third country methodology. They request the Authority to determine normal value using USA data based on established practice and available facts.
- g. On normal value from Japan, the Authority may calculate the normal value based on the submissions made by the participating producer/ exporters from Japan after duly verifying the data submitted by them.

G.3. Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value

Examination of Market Economy Treatment

46. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties have been examined as below-
47. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following groups of producers/exporters from Japan have filed response to the exporter's questionnaires:
- i. Shikoku Chemicals Corporation (producer), Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (exporter) and IVICT (Singapore) Pte Ltd (exporter)
48. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have participated in the present investigation and have not filed a response to the relevant questionnaire to claim market economy treatment.

Normal value for China PR

49. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the

non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

50. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the Chinese producers have not participated and thereby have not been able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the AD Rules.
51. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that there are no responding producers/exporters from China PR and thereby there is no response to the supplementary questionnaire therefore the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules.
52. As none of the producers from China PR have participated, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, which reads as under:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
53. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
54. As per paragraph 7 of Annexure I to the AD Rules, the Authority may move to the third method of determining normal value on any reasonable basis, when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in third country, and second method, that is, price from third country to other countries, including India. However, it is noted that the domestic industry has proposed to calculate the normal value on the basis of the ‘*price from such a third country to other countries*’. The domestic industry has proposed to take USA as the relevant third country. ATMA has proposed to take Malaysia as the relevant third country owing to the difference in level of development in USA and China PR. Upon examining the submissions and the DG Systems imports data and considering the level of development and significant imports from Malaysia in the POI, the Authority decides it appropriate to construct normal value based on the import price of PUC from Malaysia to India, i.e., *price from such a third country to other countries*. The necessary adjustments have been made to arrive at the normal

value at ex-factory level. The normal value so determined is provided in the dumping margin table below.

Normal value for Japan

a. Normal Value for Shikoku Chemicals Corporation, Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. and IVICT (Singapore) Pte Ltd

55. During the POI, SCC was involved in the production of PUC. The questionnaire response was filed on behalf of SCC, Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. and IVICT (Singapore) Pte Ltd .
56. The domestic sales made by SCC are in sufficient volumes when compared with exports to India.
57. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since the profit-making transactions were more than 80%, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.
58. SCC has claimed adjustments on account of inland freight and credit cost. The Authority has accepted adjustments after verification of the same. The normal value at ex-factory level has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table.

b. Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Japan

59. The normal value all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined as per the facts available and the same are mentioned in the Dumping Margin Table.

G.3.2 Determination of Export Price

Export Price for China PR

60. Since no producers/ exporters from China PR have participated in the present investigation, export price has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Japan

a. Export price for cooperating producers/ exporters

i. SCC, MCPL and IVICT (Producer/ exporter)

61. SCC is a producer of the subject goods in Japan and has exported the subject goods through unrelated traders, Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (exporter) and IVICT (Singapore) Pte Ltd (exporter), to unrelated customers in India. The table below shows SCC sales channel to exports to India-

Trade Channel	Exports to India (MT)	Invoice value (USD)
SCC-->MCP-->IVICT-->India	***	***
SCC-->MCP-->India	***	***
Total	***	***

62. During the POI, SCC has exported *** MT of invoice value ***US\$ of subject goods to India through Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. SCC has also exported *** MT of invoice value ***US\$ of subject goods to India through Mitsubishi Corporation Plastics Ltd and IVICT (Singapore) Pte Ltd. The producer has claimed adjustments on accounts of inland freight, shipping cost and credit cost. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin table below:

b. Export price for non-cooperating producers/exporters from Japan

63. The export price for all other producers and exporters that have not participated in the present investigation has been determined on the basis of facts available.

G.3.3. Determination of Dumping Margin

64. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is determined as follows:

Dumping Margin Table

S. No.	Particulars	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
FOR CHINA PR						
1	All	***	***	***	***	30-40
FOR JAPAN						
1	Shikoku Chemicals Corporation (producer), Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (exporter) and IVICT (Singapore) Pte Ltd (exporter)	***	***	***	***	20-30
2	Others	***	***	***	***	35-45

65. The dumping margin is more than de-minimis for the producer/exporters from Japan and China.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

66. The following submissions have been made by the other interested parties on the issue of cumulative assessment, injury, and causal link:
- a. Due to the existence of the word “and” in the Annexure II clause (iii) of the AD Rules, it becomes necessary that all the three elements co-exist to justify the determination of cumulative assessment of the effect of subject imports on the domestic industry. Even if one of the above elements does not exist, the Authority should not cumulatively assess the effect of imports from subject countries on domestic industry.

- b. Imports from Japan should not be cumulatively assessed with those from China as these imports are much lower than Chinese imports, the prices from Japan are significantly higher prices than Chinese prices, the prices from Japan have increased over the injury period and the volume post covid has increased at a normal pace, and the price undercutting is negative for Japan. Hence, there is no material injury to the petitioner on account of imports from Japan.
- c. The volume of imports from Japan have been far less as compared to China. Accordingly, the injury faced by the petitioner, if any, is on account of the sharp spike in imports from other countries, particularly China.
- d. The petitioner has not supplied data on the market share of each subject country, which limits the interested parties' ability to make meaningful comments.
- e. The volume of imports from China, vis-a-vis the total imports of the PUC from Japan have substantially increased in FY 2022-23 and POI.
- f. The decline in the market share of the petitioner, if any, should be on account of the high volume of imports from China.
- g. In the petition, the domestic industry has admitted that the price undercutting is negative for the majority of the injury investigation period including the POI.
- h. The exporter's price undercutting in the base year and in the POI is the same, whereas the petitioner was profitable in the base year but experienced a substantial decline in profits during the POI. As a result, the exporter's landed value is not the cause behind any negative price effect on the petitioner.
- i. The price of imports from Japan has consistently increased throughout the injury period and POI. Any alleged price undercutting to the domestic industry is due to Chinese imports of the PUC.
- j. With respect to Japan, the import price increased from Rs. 109,860 per MT in the base year to Rs. 121,459 per MT in the POI - this increase in price is despite the 0% BCD in the POI, thereby reflecting that Japan's CIF prices have increased. During the same period, the price undercutting from Japan is negative. Therefore, the domestic industry cannot be facing price pressure due to imports from Japan, and any injury is attributable to other aspects such as the global decline in prices of the PUC.
- k. The domestic industry alleged that to maintain its market share, it was compelled to sell at prices that were more competitive than those of the subject imports. However, the global pricing trends for chemicals, including Insoluble Sulphur, have experienced a downward adjustment during the FY 2023-24 which is attributable to a correction in both freight and raw material prices as also stated in Annual Report for FY 2023-2024.
- l. The price patterns of the domestic industry's export sales and the import prices from non-subject countries, where no dumping is present, substantiate this trend of reduced prices in the global market.
- m. Further, domestic industry's positive PBDIT and cash profits indicate that the domestic industry is not incurring losses on its sales. The domestic industry also stated in its Annual Report that they were able to remain profitable even during the global insoluble sulphur industry slowdown.

- n. The domestic industry is currently serving a substantial portion of the total market demand, specifically 60%, equating to 14,400 MT out of the total 24,000 MT annual demand.
- o. DI's production capacity is 17,500 MT, which means the DI is operating at approximately 83% of its total capacity. This high level of capacity utilization clearly demonstrates the DI's ability to serve the market, maximizing its output and efficiency effectively.
- p. A significant portion of the alleged dumped imports namely 1,890 MT pertain to the SHTS grade, which the domestic industry is not supplying. The volume of these specific imports cannot be reasonably linked to any impact on the domestic industry's sales or market share, as the domestic industry is not able to supply this particular grade.
- q. The domestic industry has maintained a consistent market share between the base year and the POI, even as the overall market size has expanded.
- r. The domestic industry has not suffered any volume injury as a result of the alleged dumped imports. The domestic industry's market share has remained stable, its production capacity is being utilized efficiently, and the imports of the SHTS grade (which the domestic industry cannot supply) have not adversely affected the domestic industry's competitive position.
- s. The import volume of 2,927 MT during POI translates to a mere 12% market share, compared to the DI's 60% market share. Such a small volume of imports is insufficient to exert price suppressing pressure on the domestic industry's sales.
- t. If the imports of SHTS grades are excluded (1,890 MT) that the DI is not approved to supply (particularly, for MRF Limited), the remaining import volume of 1,037 MT accounts for just 4% of the total market.
- u. The economic parameters including capacity, production, sales volume, selling price per unit, wages, productivity per day, capital employed, etc. have shown a positive trend in the POI in comparison to the base year.
- v. If the domestic industry is operating at 55–65% capacity utilization, it would not be possible for it to achieve 60% market share, as claimed in the application. Thus, the domestic industry's claim of having 55-65% capacity utilization is incorrect and misleading.
- w. The only plausible explanation for the underutilized capacity could be that it is unable to produce certain specific grades of PUC that constitute a substantial portion of the demand in the Indian market.
- x. The production quantity of the domestic industry has increased by 26% in the POI as compared to the base year. Thus, it can be clearly observed that the performance of the domestic industry has improved in terms of production despite the fact that it has been apparently facing injury from dumped imports.
- y. The domestic sales of the domestic industry have increased by 30% in the POI as compared to the base year. The increase in sales is consistent with the increase in the market demand in India.
- z. The petitioner, in its annual reports, has also acknowledged that sales and volumes have increased in FY 2022-23 by saying that, "The company reported a 20% growth in sales revenue to H46,486

Lakh. This growth was mainly on account of an increase in sales realizations to cover increased input costs. The revenues reported by the company were the highest ever”.

- aa. The domestic industry’s net fixed assets and working capital have increased to 172 indexed points and 183 indexed points respectively in POI as compared to 100 indexed points in the base year. This read in conjunction with the significantly rising interest costs and increase in installed capacity could be understood that DI is not facing any issues raising capital.
- bb. The petitioner has relied on the data and activities of a Chinese producer, China Sunshine, while claiming threat of material injury. The petition lacks any substantial evidence indicating that Japanese producers pose a similar threat as claimed in the Petition.
- cc. It is well settled that the burden of proof is with the applicants to establish that the factors enumerated under Annexure II clause (vii) of the Anti-dumping Rules exist. However, the petitioner has failed to provide any positive evidence regarding the threat of material injury particularly from Japan.
- dd. There is a huge demand-supply gap in the Indian Market, and any increase in the imports from the subject countries is on account of the non-availability of the required grades.
- ee. DI has repeatedly alleged that China has increased its installed capacities for the PUC; however, it has not provided reliable data to showcase that these increased capacities are specifically targeted at the Indian market.
- ff. The economic activities during the injury period were severely affected by the COVID-19 pandemic. The period saw disruptions of supply chains and increased raw material prices as also stated in Petitioner’s Annual Report 2021-22.
- gg. The downstream industry i.e., the tyre industry, witnessed an economic slowdown during the injury period as also mentioned in Petitioner’s Annual Report for FY 2022-23.
- hh. The decline in output within the tyre industry, resulting from these economic pressures, is a key factor contributing to the capacity utilization challenges faced by the Petitioner. Consequently, the alleged injury cannot be attributed to imports. It is because of the broader economic conditions affecting the industry as a whole.
- ii. The exporter submits that any fall in profitability of the petitioner is attributed to price fluctuations in the upstream value chain of the PUC as can also be understood from the Annual Report of the petitioner of 2021-22.
- jj. The price of crude oil fluctuated substantially during the injury period. It doubled during the POI compared to the base year 2020-21 which impacts costs of sulphur as it is a primary raw material in manufacturing of the PUC. Thus, the raw material costs have increased rapidly throughout the injury period.
- kk. The petitioner’s export volume is significant and exceeds their domestic sales in FY 2022-23 and any alleged reduction in the petitioner sales can be attributed to their focus on increasing their export sales.

- ll. As per the data shared by the petitioner, they have made a gradual decline in profitability not only with their DTA unit, but also in their SEZ unit. However, they have acknowledged in the oral hearing that they had expanded the capacities of their SEZ unit to 22,000 MT.
- mm. The impact on the domestic industry's realization is mainly on account of reduced prices globally.
- nn. The domestic industry's production capacity at the time of commencing commercial production was 3,000 MT per annum. The capacity subsequently increased to 12,000 MT per annum before the POI and further expanded to 17,500 MT per annum during the POI.
- oo. DI is unable to meet the total Indian demand for insoluble sulfur, which stands at 24,000 MT. With a production capacity of only 17,500 MT, DI faces a significant supply shortfall, necessitating imports to bridge the gap and meet domestic requirements.
- pp. Petitioner's fall in profits can be attributed to their high depreciation and interest cost recorded in the injury period and the POI.
- qq. As per the data submitted by the petitioner, their depreciation and interest costs have increased substantially, which can be linked to their expanded capacities. It expanded its capacities in 2021, which involves significant capital investments, which in turn lead to higher depreciation expenses as the value of new equipment and facilities is allocated over time. High depreciation and interest costs should be adjusted when assessing NIP and injury claims of the domestic industry.
- rr. The pressure faced by the petitioner is not indicative of injury but rather a consequence of their own operational choices and the associated costs of expansion.
- ss. Such depreciation and interest cost should not be allowed when comparing it with a well-established company such as SCC as it has been operational since 1984 and has not recently expanded its capacities, resulting in significantly lower depreciation and interest costs. Thus, making a comparison between the domestic industry and SCC is inequitable.
- tt. The petitioner has relied on the data and activities of a Chinese producer, China Sunshine, while claiming threat of material injury. The petition lacks any substantial evidence indicating that Japanese producers pose a similar threat as claimed in the Petition.
- uu. It is well settled that the burden of proof is with the applicants to establish that the factors enumerated under Annexure II clause (vii) of the Anti-dumping Rules exist. However, the petitioner has failed to provide any positive evidence regarding the threat of material injury particularly from Japan.
- vv. The DI has not provided any evidence/ data to demonstrate that Japan has excess capacities or that its installed capacities are intended to target the Indian market.
- ww. DI has repeatedly alleged that China has increased its installed capacities for the PUC; however, it has not provided reliable data to showcase that these increased capacities are specifically targeted at the Indian market.
- xx. The petitioner has also acknowledged in its Annual Report for the FY 2022-23 that there is threat particularly from China. The same is also held in the report of a third-party rating agency i.e., ICRA saying that Chinese low priced insoluble sulphur are a threat to OCCL.

H.2. Submissions made by the domestic industry

67. The following submissions have been made by the domestic industry on the issue of cumulative assessment, injury, and causal link:
- a. The question of cumulative assessment of injury does not depend on uniform volume trends from all subject countries. In the IIR Investigation, the Authority undertook cumulative assessment analysis for examining injury to the domestic industry, even after the existence of variation in import volumes from subject countries.
 - b. It is also established in the WTO Appellate Body ruling in EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, that a cumulative analysis is based on the recognition that domestic industry faces the impact of dumped imports as a whole, regardless of their individual country-specific volumes. Requiring country-specific analysis of import volumes would undermine the very concept of cumulation.
 - c. In the present case, the margin of dumping for China PR and Japan is above 2% and the volume of imports from China PR and Japan are 32% and 9% respectively.
 - d. The last requirement regarding conditions of competition is also met as there is no difference in the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
 - e. The other interested parties have not provided any positive evidence to justify the decumulation of imports from Japan.
 - f. The imports from subject countries have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India throughout the proposed injury period and causing injury to the domestic industry.
 - g. The rate of increase in imports from subject countries is much higher than the rate of increase in the Indian Demand.
 - h. The contention that injury to domestic industry stems solely from Chinese imports cannot be accepted as exports of PUC to India made by SCC increased from 100 index points in the base year to 760 index points in the POI.
 - i. The market share of subject countries has been significantly increasing inspite of the sufficient capacities in India.
 - j. Almost half capacities of the domestic industry are lying idle despite significant demand of the PUC in India. The domestic industry has not been able to utilize its full capacity and is operating in the range of only 55-65% over the injury period.
 - k. During the POI, the subject countries' imports increased significantly and reached to 2,927 MT. The domestic industry reduced prices further despite mounting losses to prevent additional market share loss and sold at a price below than the import prices resulting in negative price undercutting.
 - l. The domestic industry was continuously facing the huge price pressure from the subject imports and was forced to sell at a more competitive price than the subject imports to retain its market share. Therefore, the domestic industry faced suppression impact on its selling prices.

- m. The customers of the petitioner are aggressively negotiating prices of the PUC. The customers of the petitioner are quoting prices offered by the suppliers from the subject countries and asking the petitioner to match the prices with the dumped imports. In order to retain the market share and secure orders from its customers, the petitioner is forced to sell its product below the dumped prices causing major price suppression and negative price undercutting.
- n. The output, production and sales volumes decreased in the POI compared to the previous year due to rise in imports at dumped prices from subject countries. The capacity utilization declined during the injury period.
- o. The data shows a reduction in domestic industry's market share from [***] in the base year to [***] in the POI, despite having production capacity to meet domestic demand.
- p. In contrast, the market share of subject countries increased through the injury period.
- q. The profit, cash profits and ROI of the petitioner has been consistently declining during the injury period and turned into losses in 2022-23 and losses further aggravated in the POI.
- r. With respect to ATMA's contention that the domestic industry generates profits based on its Annual Report, the profits reported in the Annual Report reflect the financial performance of the company as a whole, rather than the specific profits from production and sales of the PUC from the DTA unit of the domestic industry.
- s. The average inventory of the petitioner has been consistently increasing during the injury period and slightly declined in the POI.
- t. All the volume and price parameters of the domestic industry show negative growth in the POI except average inventory which has declined insignificantly in the POI.
- u. While the subject imports have intensified, the domestic industry's losses and average inventory have further increased, and growth has decreased in the post POI period.
- v. As per the latest half year report of the largest producer of PUC in China, China Sunsine Chemical Holdings Ltd. ("China Sunsine"), it exports 40% of its total output to the global market which substantiates that the goal of China Sunsine is to dominate the global market by increasing its export volumes. It also states that it caters to 75% of the global tyre manufacturers.
- w. Other manufacturers in subject countries are envisioning growth in similar direction wherein they will dump the products into Asian countries especially India at lower prices to gain global market share.
- x. SCC's exports to other countries have remained stable, moving from 100 index points in the base year to only 116 index points in the POI, while the value of exports to other countries showed similar stability, increasing from 100 index points to 130 index points. This highlights that it is exclusively the exports to India that have experienced an extraordinary growth of more than seven-fold.
- y. The exporters from China have significant unutilized capacities, which are likely to be utilized by way of increasing the exports at dumped prices and they are still planning to add more capacities.
- z. China Sunsine recently completed an expansion project by installing additional capacity of 30,000 MT in December 2021. The next phase of this expansion project is scheduled to be completed by the first half of 2024. The next phase will add an additional capacity of 30,000 MT by 2024.

- aa. The exporters and producers from subject countries have significant inventories, that may be dumped into India. The same can be verified by the Authority from the responses filed by the producers/exporters.
- bb. There has been no injury caused to the domestic industry on account of change in technology.
- cc. The export performance of the petitioner has not been taken into consideration when determining the effect of the dumped imports and the extent of the injury. Therefore, the injury claimed in the petition cannot be attributed to the export performance.
- dd. The domestic industry disputed ATMA's use of Annual Report figures, stating these are estimated and projected values for market overview. The demand figures come from a Notch Consulting Inc. report "World Markets for Insoluble Sulfur" on global insoluble sulfur market for tyre and rubber industry. These projections differ from verified data required in anti-dumping proceedings.
- ee. Regarding ATMA's sales calculations, the industry states deriving actual sales volumes from projected market data creates unreliable conclusions for anti-dumping investigations. The domestic industry has two manufacturing plants- one in Domestic Tariff Area (DTA) and another in Special Economic Zone (SEZ). The DTA unit maintains production capacity through operational efficiencies. The SEZ unit, although meant for exports, also holds capacity which can be used to cater domestic demand when needed. This setup allows market requirement flexibility and adequate supply in case of any demand-supply gap.
- ff. Performance in meeting customer commitments and investments in capacity expansion and technology shows commitment of domestic industry to the Indian market. Demand-supply gap does not justify dumping, as foreign producers can meet Indian demand through undumped prices. This position draws support from findings in the aniline anti-dumping investigation from China PR.

H.3. Examination by the Authority

68. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
69. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
70. As regards to the various arguments of other interested parties based on the statements and data provided by the domestic industry, it is noted that the findings of the Authority are based on the verified data.

71. As regards to the submission of other interested parties that a significant portion of the alleged dumped imports pertains to SHTS grade which the domestic industry cannot supply, the Authority notes that the domestic industry has well established that they are supplying the equivalent grade of SHTS to other customers in India and global market. In support of their claim, the domestic industry has provided the invoices.
72. As regards to the submissions of the other interested parties that there exists demand-supply gap in the country for the PUC and imports are necessary to bridge the gap and meet domestic requirements, the Authority notes that the domestic industry is capable of serving the majority demand of the PUC from its DTA unit. Further, it is noted that the imposition of ADD will only ensure a level playing field to the domestic industry. It will not lead to stoppage of imports into India. The demand supply gap is no justification for dumping. The Authority notes that the imposition of ADD does not restrict the imports but only ensures that the imports are not at dumped prices.
73. As regards to the claim of high interest and depreciation cost, the Authority notes that due to expansion carried out by the domestic industry, the depreciation and interest cost show increase. It is further noted that increase in depreciation and interest cost is a normal phenomenon in case of an expansion. The Authority notes that even if the depreciation and interest cost is not considered, the PBDIT shows a declining trend. The table below demonstrates the same:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
PBDIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	104	64

74. As regards to the claim that the high depreciation and interest costs should be adjusted when assessing NIP and injury claims of the domestic industry, it is noted that the Authority calculates the NIP as per Annexure-III of AD Rules and the same has been followed in the present case.
75. As regards to the claim of other interested parties that prices of the PUC declined due to decline in the raw material prices and decline in the prices of the PUC in the global market and not due to dumped imports, the Authority notes that the decline in the prices of the PUC of the domestic industry was more than the decline in Sulphur prices, a major raw material during the POI. The table below demonstrates the same:

SN	Particulars	UOM	2022-23	POI
1	Sulphur Prices	Rs/MT	***	***
2	Consumption factor	Rs/MT	***	***
3	Sulphur cost	Rs/MT	***	***
4	DI Selling Price	Rs/MT	***	***
5	Landed Price from subject countries	Rs/MT	1,36,864	1,15,340
6	Decline in			
A	Sulphur Prices	Rs/MT		***
B	Sulphur Cost	Rs/MT		***
C	DI Selling Price	Rs/MT		***
D	Landed Price from subject countries	Rs/MT		(21,524)

76. This data clearly shows that decline in the selling price of the domestic industry is more than the decline in the Sulphur prices. Further, the decline in the landed price of imports is more than the decline in the raw material prices, forcing the domestic industry to sell at unremunerative prices.
77. As regards the submissions that the statements from the domestic industry's own Annual Reports strongly affirm its ability to maintain profitability, even amidst global market challenges, further undermining any claim of price suppression, the Authority notes that the profitability reported in the Annual Report of any petitioner company cannot be compared with the profitability from PUC business especially if the petitioner company is involved in manufacturing and selling of more than one product and even more so when the petitioner company has unit in SEZ and is significantly exporting the PUC. In the present investigation, the domestic industry is involved in manufacturing and selling of PUC and Sulphuric Acid. In case of PUC also, the domestic industry has two units and one of them is SEZ which is involved majorly in exports. Therefore, the comparison of profitability of the domestic industry reported in the Annual report with the profitability from PUC business for domestic market as reported in the antidumping formats, will give misleading analysis.
78. As regards the submissions that the downstream industry i.e., the tyre industry, witnessed an economic slowdown during the injury period, the Authority notes that the data on record shows that the demand for the PUC has increased over the injury period.
79. The Authority notes that after examining the data on record, the export sales of the domestic industry from DTA unit have declined over the injury period and the reduction in the domestic sales volume cannot be attributed to the focus on increasing the export sales of the domestic industry.
80. As regards the submissions that the domestic industry has made a gradual decline in profitability not only in their DTA unit, but also in their SEZ unit, the Authority notes that the profitability of the domestic industry with respect to the DTA unit shows decline over the injury period. Even the profits of the domestic industry in DTA unit in the base year turned into losses in the POI. On the other hand, the profitability of SEZ unit of the domestic industry shows improvement in the POI as compared to 2021-22 and 2022-23.

H.3.1 Cumulative assessment of injury

81. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
82. The other interested parties have raised the following issues before the Authority with respect to cumulative assessment of the dumped imports from the subject countries:

- a. Whether cumulative assessment is appropriate in view of the difference in import volume and import price of the subject goods from the subject countries?
- b. Whether cumulative assessment is appropriate in view of the difference in conditions of competition between the subject imports from the subject countries?

Difference in the import volume and import prices of the subject goods from the subject countries

83. SCC has argued that given the difference in volume and prices of the subject goods from the subject countries, the Authority should not cumulatively examine the impact of dumped imports from Japan along with the dumped imports from China. It has further been submitted that the import volume from Japan is much lower than Chinese imports and the prices from Japan are significantly at higher prices than Chinese import prices. It has also been contested that price undercutting from Japan is negative and higher than the negative price undercutting from China as per the application and therefore, cumulative analysis is not warranted.
84. In this regard, the domestic industry submitted that the question of cumulative assessment of injury does not depend on uniform volume trends from all subject countries. The domestic industry has relied upon the final finding issued in the Anti-Dumping Investigation concerning imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) and the WTO Appellate Body ruling in EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil (WT/DS219/AB/R), which states that a cumulative analysis is based on the recognition that domestic industry faces the impact of dumped imports as a whole, regardless of their individual country-specific volumes. Requiring country-specific analysis of import volumes would undermine the very concept of cumulation.
85. The Authority notes that neither para (iii) to Annexure II to the AD Rules, 1995 nor Article 3.3 of the WTO Agreement on Anti – dumping, 1994 lays down, the difference in price of the subject imports as a factor for rejection of cumulative analysis of subject imports. It is noted that the volume of subject goods and dumping margin from the subject countries is above the de – minimis requirement. Thus, the first limb of the cumulative analysis requirement as specified under AD Rules, 1995 is satisfied.

Difference in conditions of competition between the subject imports from the subject countries

86. SCC has argued that there is a significant price variation in prices and price undercutting from China and Japan, these distinctions underscore that the conditions of competition between imports from Japan and China are not comparable. Consequently, the element of "conditions of competition" required for cumulative assessment under Annexure II of the Antidumping Rules is not satisfied.
87. In this regard, the domestic industry submitted that there is no difference in the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products. Furthermore, Exporters have not provided any positive evidence to justify the decumulation of imports from Japan.
88. With respect to the same, the Authority has examined the parameters explained above and has drawn the following conclusions:
- a. It is noted that subject goods imported from the subject countries are 'like article' to each other. Further, the user industry has imported the subject goods from one or more subject countries.
 - b. It is noted that considering the material on record, the Authority is unable to accept that the subject goods imported from the subject countries and the goods produced by the domestic industry are not like article to each other and are, therefore, not interchangeable.

- c. The table below shows the import volumes from the subject countries over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
China	MT	277	494	1,660	2,175
Japan	MT	144	480	672	688

- d. It is seen that the import volume from the individual subject countries has moved in tandem with each other. The import volume from the subject countries have increased in the injury period which shows the degree of competition between the imports from various sources.
- e. It is further noted that the consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
- f. The price of the subject goods from the subject countries in the POI have increased as compared to the base year. Further, as compared to the immediately preceding year, the import price from both the subject countries has declined in the period of investigation.

89. In view of the above, the second limb of the cumulative analysis requirement as specified under AD Rules, 1995 is satisfied.

90. The Authority, therefore, finds it appropriate to cumulatively assess the impact of the subject goods from the subject countries on the economic and financial parameters of the domestic industry.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand/apparent consumption

91. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. The demand/apparent consumption so calculated is as under:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from subject countries	MT	421	974	2,332	2,863
China	MT	277	494	1,660	2,175
Japan	MT	144	480	672	688
Imports from other countries	MT	3,934	4,441	4,198	4,432
Total Imports	MT	4,355	5,415	6,530	7,295
Sale of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	131	130
Imports from SEZ plant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	78	68
Sale of other domestic producers	MT	-	-	-	-
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	131	135

92. It is seen that the demand of the PUC shows growth in the injury period. The sales of the domestic industry have increased till 2022-23 and declined slightly in the POI. However, the sales of the domestic industry have not increased commensurate to the increase in demand. Over the injury period, a significant demand has been met by dumped imports despite the idle capacities lying with domestic industry.

b) Import volume from the subject countries relative to production and consumption in India

93. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of subject imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from subject countries	MT	421	974	2,332	2,863
China	MT	277	494	1,660	2,175
Japan	MT	144	480	672	688
Imports from other countries	MT	3,934	4,441	4,198	4,432
Total imports	MT	4,355	5,415	6,530	7,295
Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>137</i>	<i>126</i>
Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>131</i>	<i>135</i>
Subject imports in relation to:					
Total imports	%	10%	18%	36%	39%
Production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>206</i>	<i>403</i>	<i>540</i>
Demand/Consumption	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>197</i>	<i>423</i>	<i>504</i>

94. It is seen that the volume of imports from subject countries have increased over the injury period from 10% in the base year to 39% in the POI. The imports from the subject countries have also increased over the injury period in relation to Indian production and consumption.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

95. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

96. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.
97. It is noted that the domestic industry is selling at a price below the landed price of the imports due to the price pressure and as a result the price undercutting is negative for subject countries as a whole.

SN	Particulars	UOM	POI
1	Net Selling Price	Rs/MT	***
2	Subject Countries as a whole		
i	Landed Price	Rs/MT	1,15,340
ii	Price Undercutting	Rs/MT	(***)
iii	Price Undercutting	%	(0-10%)
3	China PR		
i	Landed Price	Rs/MT	1,16,324
ii	Price Undercutting	Rs/MT	(***)
iii	Price Undercutting	%	(0-10%)
4	Japan		
i	Landed Price	Rs/MT	1,12,228
ii	Price Undercutting	Rs/MT	***
iii	Price Undercutting	%	0-10%

b) Price suppression/depression

98. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has compared the cost of sales & selling price of the domestic industry with the landed price of subject goods.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Landed Price	Rs/MT	99,102	1,20,813	1,36,864	1,15,340
Increase/(decrease)					
Cost of Sales	Rs/MT		***	***	***
Selling Price	Rs/MT		***	***	***
Landed Price	Rs/MT		21,711	16,052	-21,524

99. It is seen that while the cost of sales of the domestic industry declined by INR *** per MT in the POI and the selling price declined by INR *** per MT. The decline in landed price is INR 21,524 per MT and is significantly depressing the prices of the domestic industry.

H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

100. Annexure II to the Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) **Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

101. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	150	150
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	137	126
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	92	84
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	131	130

102. It is seen that the domestic industry has expanded its capacity which was operational from Dec 21. It is seen that the production and sales of the PUC of the domestic industry increased till 2022-23 and declined in the POI in spite of the demand in the country.

b) **Markert share**

103. Market share of the domestic industry and of imports is shown in table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Share of the domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	97
Share of imports from SEZ	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	60	50
Share of other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-
Share of Subject countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	197	423	504
Share of Other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	81	84

104. It is noted that the market share of the domestic industry declined in the POI despite having adequate capacity to meet the domestic demand in the country.
105. Further, it is also evident that the market share of imports from other countries has been on a declining trend while it is only the market share of subject countries that has been consistently increasing throughout the injury period.

c) **Inventories**

106. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	108	158

Closing	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>91</i>	<i>143</i>	<i>96</i>
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>127</i>	<i>124</i>

107. It is seen that the inventory of the domestic industry has increased over the injury period with slight decline in the POI.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

108. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit before Tax (PBT)	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	40	-	(65)
Profit before Interest and Tax (PBIT)	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	60	56	(6)
Cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	69	29
Return on investment	%	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	35	32	(3)

109. It is seen that the profit, cash profits and ROI of the domestic industry have been consistently declining during the injury period. In fact, the domestic industry started incurring losses in the 2022-23 and the losses increased sharply in the POI.

e) Employment, productivity and wages

110. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	137	126
Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	100	98
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	137	128
Salary & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	114	120

111. It is noted that the number of employees remained more or less same during the injury period. The salary and wages of the domestic industry has increased over the injury period. The productivity per employee shows consistent improvement with a slight decline in the POI due to lesser production levels.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production (MT)	Y/Y		***	***	(***)
Domestic Sales (MT)	Y/Y		***	***	(***)
PBT (Rs Lacs)	Y/Y		(***)	(***)	(***)
Inventory (MT)	Y/Y		***	***	(***)
Market Share (%)	Y/Y		***	(***)	(***)
Cash Profit (Rs Lacs)	Y/Y		(***)	(***)	(***)
ROI (%)	Y/Y		(***)	(***)	(***)

112. It is noted that the volume parameters of the domestic industry show negative growth in the POI. Further, all the price parameters of the domestic industry show negative growth over the injury period and POI. The market share of the domestic industry also shows negative growth.

g) Impact on the ability to raise capital investments

113. The Authority notes that the even though the domestic industry has made new investments to increase its capacities to cater to the increasing demand of PUC in India, the domestic industry has been unable to utilize its capacities and is facing losses due to dumped imports.

h) Factors affecting prices

114. The Authority notes that the volume of imports during the POI was significant and such imports were at prices significantly below the cost of production of the domestic industry. Selling price of the domestic industry has been severely affected by the subject imports.

i) Magnitude of dumping

115. It is noted that the dumping margin from the subject countries is significant and indicative of the aggressive pricing of the subject goods.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

116. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

117. It is noted that the imports from subject countries constitute 39% of the total imports into India. There are significant imports from Malaysia and USA and are around 61% of the total imports into India. The

imports from Malaysia and USA are at much higher prices than subject countries. Therefore, imports from other countries cannot be a cause of injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

118. The demand for the product under consideration has steadily increased in the injury period. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

119. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

120. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

121. There has been no change in technology for production of the subject goods. The domestic industry has even expanded its capacities for the production of the subject goods.

f) Productivity

122. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has slightly declined in the POI due to decline in the production. The slight decline in the productivity cannot be the reason of injury to the domestic industry on this account.

g) Export performance of the domestic industry

123. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

124. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

125. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

Injury Margin Table

S. No.	Particulars	Non-injurious price (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
FOR CHINA PR						
1	All	***	***	***	***	20-30
FOR JAPAN						
1	Shikoku Chemicals Corporation, Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. and IVICT (Singapore) Pte Ltd	***	***	***	***	15-25
2	All others	***	***	***	***	30-40

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions made by other interested parties

126. The other interested parties have made the following submissions regarding the Indian industry interest:

- a. The domestic industry's economic interest questionnaire response acknowledged lack of awareness about tyre production costs and consequent inability to calculate anti-dumping duty impact. The interested parties noted that while the domestic industry claims to have calculated duty impact, no data sources or methodology have been disclosed, significantly prejudicing other parties' ability to verify claims or provide meaningful comments. While the domestic industry claims the impact of anti-dumping duty on downstream users would be negligible, they have not provided calculations supporting this assertion.
- b. There are existing anti-dumping duties on IIR imports, anticipated duties on HIIR imports, and new investigations concerning other raw materials used in tyre manufacture. The combined effect of these duties would increase production costs by 10-15% per tyre, significantly affecting downstream industry's competitiveness.
- c. While acknowledging distinct purposes of different raw materials, emphasis was placed on the need to consider the collective burden of multiple duties. This approach provides a more accurate assessment of impact on downstream industry's competitiveness in both domestic and export markets, where manufacturers face competition from countries with access to competitively priced raw materials.
- d. Anti-dumping duty imposition would grant the domestic industry autonomous discretion in determining PUC supply quantities and pricing. This would leave Indian consumers vulnerable to potential market manipulation and price increases. The increased costs would likely be passed through the value chain, ultimately affecting end consumers through higher tyre prices.

- e. Anti-dumping duty imposition would compound existing challenges of increased raw material prices and operational expenses. There could be potential impacts on innovation and investment in the tyre sector, along with risks to India's export competitiveness.

K.2. Submissions made by the domestic industry

127. The domestic industry has made the following submissions regarding the Indian industry interest:
- a. On SHTS grade supply, the domestic industry exhibits capability through UHD grade meeting technical specifications. ATMA's claims on duty impact were addressed using SION norms from DGFT wherein it is stated that for 100 kgs of tyre production 0.05 kgs of PUC is used. This shows cost impact of 0.01% to 0.04% on different tyre types.
 - b. ATMA's aggregation of various anti-dumping duties' impact on different products is refuted. Each investigation examines distinct products with specific market conditions, pricing, and injury parameters. The purpose focuses on addressing unfair trade practices for specific products.
 - c. Regarding exporters' claims, the domestic industry addressed arguments about duty calculation data sources, the industry states it provided detailed calculations on anti-dumping duties' impact on PUC in tyre industry with evidence.
 - d. With regards to claim on monopolistic situation in Indian market, it was stated that ADD does not restrict imports but ensures fair prices. The user industry has not proven domestic industry's monopolistic position. The Authority has recommended anti-dumping duties in multiple cases with sole producers. Reliance was placed on *anti-dumping investigation concerning imports of "Isobutylene-Isoprene Rubber ("IIR"), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP* and *anti-dumping investigation concerning Imports of "Halobutyl-Rubber (HIIR), originating in or exported from Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America*.
 - e. On questionnaire responses, MRF Limited filed responses to User Questionnaire and Economic Interest Questionnaire but claimed that it was collating information on duty impact. The requisite information should have been filed timely in the Questionnaire Response.
 - f. The domestic industry cites WTO considerations on timely opportunity and strict time restrictions. Reference was placed on *US — Hot-Rolled Steel* case where authorities rejected late Japanese exporter submissions. The Appellate Body supported establishing deadlines for investigation control.
 - g. Financial data shows MRF's profitability from 2019-20 to 2023-24, while domestic industry faces losses from dumped imports. The document included specific data on user industry performance, with MRF Limited's revenue increasing from Rs. 15,991.14 Crore in 2019-20 to projected Rs. 24,673.68 Crore in 2023-24, demonstrating growth despite claimed concerns about ADD impact.
 - h. The purpose of ADD is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

K.3. Examination by the Authority

128. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a

situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC.

129. The Authority notes that the data provided by MRF shows that the share of the PUC is 0.17% of the total cost of a tyre, which implies that the impact of antidumping duty, if imposed will have minimal impact on tyre industry.
130. While interested parties argued that the combined effect of duties on multiple raw materials of tyres should be taken into consideration, the Authority notes that each investigation must be conducted independently based on specific facts. An anti-dumping investigation focuses on addressing injury from specific dumped imports rather than cumulative economic impact of different trade measures.
131. The Authority notes that the imposition of ADD will only ensure a fair playing field to the domestic industry. It will not lead to stoppage of imports into India. Demand supply gap is no justification for non-imposition of ADD.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submissions by other interested parties

132. The following post disclosure submissions have been made by other interested parties:
- a. Exporter never claimed that the export prices of the MuCron OT-20-HD-G” (“specialty grade”) of PUC are significantly higher than the prices of the PUC sold by the Domestic Industry. Instead, the Exporter had submitted that prices of the exports of the specialty grade are significantly higher than the non-specialty grades or regular grades exported by the Exporter. As, submitted earlier in the written submissions, specialty grade’s price is 9% and cost is 5% higher than standard grades i.e. MuCron OT-20-HD. The assertion that the difference is slight and not significant is subjective and lacks supporting rationale.
 - b. The report relied upon by the Authority to observe that the domestically produced grades can exhibit equivalent or higher thermal stability than specialty grade has not been shared with the interested parties impeding the Exporter’s right to assess the report and make meaningful comments.
 - c. The Authority has solely considered thermal stability while overlooking the crucial distinction of superior bloom resistance between the specialty grade and the regular grade or PUC.
 - d. The Petitioner’s claim of lack of demand is inconsistent with market realities, as SCC has sold the specialty grade in India to meet needs of Indian consumers.
 - e. Imports from Japan should be decumulated as the imports from Japan are much lower than Chinese imports. The CIF prices from Japan are significantly higher prices than Chinese imports. As per the data provided in the petition, the prices from Japan have increased over the injury period and the volume post covid has increased at a normal pace.
 - f. The price undercutting is negative for Japan. Hence, no material injury to the petitioner on account of imports from Japan.

- g. Import volume of the subject countries is extremely low compared to the imports from other countries. Volume of imports from Japan have been far less as compared to China. Volume of imports from China, vis-a-vis the total imports of the PUC from Japan have substantially increased in FY 2022-23 and POI.
- h. Injury faced by the Petitioner, if any, is on account of the sharp spike in imports from other countries, particularly China.
- i. There is negative price undercutting for Japan in the POI. Price undercutting in the base year and in the POI is the same, whereas the Petitioner was profitable in the base year but has experienced a substantial decline in profits during the POI. Hence, the exporter's landed value is not the cause behind any negative price effect on the Petitioner.
- j. The price of imports from Japan has consistently increased throughout the injury period and POI. From Japan, import price increased from Rs. 109,860 per MT in the base year to Rs. 121,459 per MT in the POI - this increase in price is despite the 0% BCD in the POI, when the price undercutting was negative.
- k. The Petitioner's claim that they are facing price pressure from their customers based on some communication with their customers has been kept confidential. The authority should determine whether the customer orders pertain to the POI and to what extent, if any, to the imports from Japan.
- l. Petitioner is not suffering any injury in light of the various economic factors as per Annexure II (iv) of the AD Rules. All the economic parameters including capacity, production, sales volume, selling price per unit, wages, productivity per day, capital employed, etc. have shown a positive trend in the POI in comparison to the base year. Minor changes in performance parameters are inconsequential and do not evince any "material injury".
- m. The petitioner, in its annual reports, has also acknowledged that sales and volumes have increased in FY 2022-23.
- n. The Authority being a quasi-judicial body, is mandated to ensure that due process is followed and is required to provide reasons before rejecting the submissions of the interested parties.
- o. Acknowledgement in petitioner's Annual Report for FY 2022-23 that there is threat particularly from China, also mentioned by a third-party rating agency i.e., ICRA.
- p. COVID-19 saw disruptions of supply chains and increased raw material prices also evidenced from petitioner's Annual Report 2021-22.
- q. The downstream industry i.e., the tyre industry, witnessed an economic slowdown during the injury period also evidenced from the petitioner's Annual Report for FY 2022-23.
- r. Fall in profitability is attributed to price fluctuations in the upstream value chain of the PUC, also evidenced from petitioner's Annual Report 2021-22.
- s. Crude price had doubled during the POI compared to the base year 2020-21. The cost of crude impacts the costs of sulphur which is a primary raw material in manufacturing of the PUC.
- t. Alleged reduction in the petitioner's sales can be attributed to their focus on increasing their export sales.
- u. Even though petitioner expanded the capacities of their SEZ unit to 22,000 MT, DI's realizations is mainly on account of reduced prices globally. Hence, injury stemmed from the petitioner's own operational inefficiencies and management decisions.
- v. With a production capacity of only 17,500 MT, the DI faces a significant supply shortfall to cater to demand of 24,000 MT, necessitating imports to bridge the gap and meet domestic requirements.
- w. DI undertook capacity expansion in FY 2022-23, which involved substantial capital expenditures that led to increase in depreciation and interest costs. High depreciation and interest costs should be adjusted when assessing NIP and injury claims of the DI.

- x. Comparison between DI and SCC is inequitable as SCC has been operational since 1984 and has not expanded its capacities during the injury period or the POI, resulting in significantly lower depreciation and interest costs.
- y. High depreciation and interest costs should be adjusted when assessing NIP and injury claims of the DI.
- z. Imposition of duties will impact per tyre by 10-15%. If ADDs are imposed, it would force the user industry to pay a high price for importing major raw material on account of the demand-supply gap in the domestic market which will cause a domino effect and ultimately increase the burden on the end consumers of the paint industry. If ADDs are imposed, it would lead to monopoly.
- aa. The Authority finalized PUC/PCN Methodology vide Notice dated 12 August 2024, without considering the submissions filed by respondent on 30th July 2024.
- bb. The Authority's observation and reasoning that DI's UHD grade conforms to the specifications required by the end-users of SHTS and that interchangeability exists between DI's grades and imported grades of the PUC is inherently flawed.
- cc. While SHTS is a general description, the requirements concerning specific parameters for SHTS vary depending on the customer (tyre manufacturer). Accordingly, MRF expects that its raw material meets the specified requirements based on its unique production processes and performance standards as set under M2631 (DHTS).
- dd. Merely noting that some companies may have purchased the DI's UHD grade does not establish interchangeability for all users as there are tyre manufacturers that continue to rely exclusively on imported SHTS due to the technical deficiencies in the DI's product. Hence, the Hon'ble DA's observations fail to prove that the DI's grade is a viable substitute for all users of this grade.
- ee. The Hon'ble DA has not explicitly observed whether UHD grades sold by the DI to other customers were in commercial quantities. In the absence of such a determination, evidence of these sales cannot be relied upon to establish the inclusion of UHD grades within the Scope of the PUC.
- ff. The inclusion of an unapproved trial product in the Scope of the PUC has distorted injury analysis, artificially inflating the DI's claims of injury by assuming that it was competing in a market where it had no actual sales. Such an approach violates fundamental principles of trade remedial investigations such as injury to the DI on account of imports of 'like article' and ignores the commercial realities of the industry.
- gg. The Hon'ble DA, in Para 17 of the DS, has stated that it has carefully examined the User Questionnaire Response ('UQR') and the DG Systems data, concluding that the price of the DI's grade is higher than the imported SHTS grade of the PUC. However, this conclusion is fundamentally flawed and misleading.
- hh. DI's grade was never commercially sold to MRF Limited during the POI, it remains unclear what data the Hon'ble DA has relied upon for price comparison. In the absence of any actual POI sales data, the basis of the Hon'ble DA's price comparison is inherently unsubstantiated.
- ii. SHTS's commercial and industrial relevance is evident from transaction-wise import data that confirms that it is widely traded as a distinct grade.
- jj. Low volume of imports of SHTS shows its niche application, not the absence of demand.
- kk. The transaction-wise import data of the SHTS grade confirms its international market presence and further reinforces its distinctiveness.
- ll. Acceptance of the Respondent's proposal to take Malaysia as the relevant third country owing to the difference in the level of development in the USA and China PR. The Authority's conclusion that while a demand-supply gap exists, the DI can meet most of the demand through its DTA unit is wrong.

- mm. DI's Annual Report for FY 2022-23 shows that the total domestic demand for the PUC is 24,000 MT, while the DI's production capacity stands is only 17,500 MT per annum, creating a significant shortfall of approximately 6,500 MT.
- nn. Assessment of injury must align with the DI's actual ability to serve the market, which is limited to 17,500 MT against a demand of 24,000 MT.
- oo. Acknowledgement that the DI is operating profitably with a strong PBDIT, weakening the case for the imposition of any ADDs.
- pp. While it is acknowledged that a portion of the DI's operations may be linked to its SEZ unit, this does not undermine the consistent profitability of the Insoluble Sulphur division.
- qq. The demand for the PUC during the POI increased by 35 indexed points as compared to the base year, while DI's sales grew by 30 indexed points during the same period, demonstrating proportional growth.
- rr. DI's own Annual Report confirms that it has consistently maintained a market share of 60% in both 2023-24 and 2020-21.
- ss. Despite its recent expansion, the DI's total installed capacity is limited to 17,500 MT, while the total demand is 24,000 MT. Even under 100% capacity utilization, the DI would be incapable of catering to the entire Indian market.
- tt. Moreover, certain grades of the PUC, such as SHTS, cannot be supplied by the DI during the POI as the DI did not even approach the user industry for product approvals during the POI and trials were commenced post POI.
- uu. Despite the 39% increase in imports, the DI has continued to expand and sustain its market position by 30% increase in sales in the POI and 60% market share.
- vv. Rise in imports is due to the additional demand which the DI is unable to fulfil and the unavailability of certain approved grades of the PUC.
- ww. The Authority's observation of negative price undercutting should be reaffirmed in final finding.
- xx. With respect to DI's selling price being lower than the landed price of imports, DI is still financially stable, with positive PBDIT, as noted in Annual Report for FY 2022- 23 and FY 2023-24, its petition, and the DS. Further, the DI also has positive cash profit which implies that the DI is able to sell its product in the Indian market above its cost of product and therefore there is no injury the domestic industry
- yy. The Exporter submits that due to the increase in capacity, the Domestic Industry's depreciation and interest cost has increased. The Exporter requests that high depreciation and interest costs be adjusted when assessing NIP and injury claims of the Domestic Industry.
- zz. The Exporter further submits that such depreciation and interest cost should not be allowed when comparing it with a well-established company such as SCC. SCC has been operational since 1984 and has not expanded its capacities during the injury period or the POI, resulting in significantly lower depreciation and interest costs. Thus, making a comparison between the Domestic Industry and SCC is inequitable.
- aaa. As DI continues to operate profitably, the Authority should terminate the investigation, as its continuation in profits lacks both a valid legal and economic basis.
- bbb. The Exporter's price undercutting in the base year and in the POI is the same, whereas the Petitioner was profitable in the base year but experienced a substantial decline in profits during the POI. As a result, the exporter's landed value is not the cause behind any negative price effect on the Petitioner. Further, Japan's prices have consistently increased over the injury period and POI, and thus the Petitioner does not suffer from price injury caused by Japanese imports.

- ccc. DI's domestic selling price, its export price, and the landed price of imports from non-subject countries, all independent of alleged dumping have followed a similar downward trend. Hence, price reduction is a consequence of global market conditions, not competitive pressure from subject imports.
- ddd. Claim of price suppression/depression by the domestic industry must be supported by evidence of financial distress. However, DI's financial performance demonstrates continued profitability, as confirmed by positive PBDIT and consistent cash profits as also evidenced by its Annual Reports of FY 2022-23 and FY 2023-24.
- eee. Volume of subject imports is too small to exert sizeable price pressure. During the POI, total imports stood at 2,927 MT, accounting for just 12% of the market, while the DI held a dominant 60% share.
- fff. Furthermore, if 1,890 MT of SHTS grade imports is excluded, the remaining subject imports amount to just 1,037 MT, or a mere 4% of the total market which cannot suppress or depress the DI's pricing, especially given its strong market position and sustained profitability.
- ggg. With respect to reduced production and sales of DI in the POI, it should be observed that the DI undertook a significant capacity expansion in FY 2022- 23, which became operational in December 2021, which is a reason for decline in its production and sale.
- hhh. While such an expansion should have led to higher capacity utilization and increased production and sales, DI's production and sales declined which suggests that factors other than subject imports played a role in this.
- iii. The progressive decline in capacity utilization shows that DI has been unable to fully utilize its expanded capacity, which could be attributed to internal inefficiencies, changes in production planning, or other operational challenges and not to imports.
- jjj. The alleged decline in the DI's market share is merely 3 indexed points, which is insignificant to indicate any material injury. Moreover, Annual Reports of the DI depict that it has a market share of 60%.
- kkk. Subject imports are not displacing DI's sales but are fulfilling the increasing demand and supplying grades of the PUC that are unavailable or unapproved in the domestic market.
- lll. With respect to decline in profit and ROI, DI undertook capacity expansion in FY 2022-23, which involved substantial capital expenditures that led to increase in depreciation and interest costs, both of which are non-recurring in nature. The increase in depreciation and interest cost may be the reason for losses to the domestic industry.
- mmm. A more appropriate and accurate measure of financial stability would be an evaluation of PBDIT, which reflects operational profitability without distortions from non-cash expenses. DI's PBDIT remained positive, as confirmed in its Annual Reports for FY 2022-23 and FY 2023-24.
- nnn. Due to DI's enhanced capacities, its interest costs have increased by more than 9 times in the POI as compared to the base year and depreciation costs have almost doubled in the POI as compared to the base year.
- ooo. As evidenced from the Petitioner's Annual Report 2021-22, the economic activities during the injury period were severely affected by the COVID19 pandemic. The period saw disruptions of supply chains and increased raw material prices.
- ppp. The global price correction, influenced by market dynamics, naturally led to lower revenues, despite stable sales volumes. Hence, injury of the DI should be attributed to the global fluctuation in prices, and not imports of the PUC.
- qqq. Injury attributed to imports of SHTS should be excluded from the scope of the investigation.
- rrr. Volume of subject imports is too small to affect DI. During the POI, total imports stood at 2,927 MT, accounting for just 12% of the market, while the DI held a dominant 60% share.

- Furthermore, if 1,890 MT of SHTS grade imports is excluded, the remaining subject imports amount to just 1,037 MT, or a mere 4% of the total market.
- sss. ADDs should not be imposed without addressing the demand-supply deficit, as it would negatively impact downstream industries that rely on stable and adequate raw material availability.
- ttt. The imposition of ADD on grades that are not manufactured domestically, such as SHTS, places an unnecessary burden on essential imports as it disrupts supply chains and creates undue hardship for industries reliant on these imports.
- uuu. The Authority has failed to conduct a comprehensive evaluation of the user industry's concerns, instead asserted that each investigation must be independently assessed. While this principle is acknowledged, it does not diminish the importance of considering the broader economic consequences of ADD imposition.
- vvv. The objective of NIP is to enable the DI to recover its cost of production and earn a reasonable profit, but NIP should not provide excessive protection or confer an undue advantage to the DI.
- www. DI is already selling the PUC at prices above its cost of production while maintaining positive PBDIT and cash profits, showing financial stability.
- xxx. Allowing 22% ROCE would lead to inflation of DI's profitability, effectively distorting market dynamics rather than ensuring a level playing field. The same has been referenced to CESTAT in *Indian Spinners Association v. Designated Authority* (2004 (170) E.L.T. 144) and *M/s Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority* (2011 (270) E.L.T. 696).
- yyy. The Authority should consider historical industry-specific returns, which would be an appropriate basis for NIP. The DI has been operational for several years, and a fair return should have been determined based on its actual past financial performance.

L.2. Submissions made by domestic industry

133. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:
- a. The domestic industry requested the Authority to confirm the observations made in the Disclosure Statement with respect to the PUC, standing of the domestic industry, confidentiality, miscellaneous issues, normal value, injury to the domestic industry, causal link and public interest.
 - b. The PUC is a homogenous product without wide variation in prices and also there is no PCNs notified by the Authority in the subject investigation. Therefore, if the Authority decides to recommend duty in the present case, it is requested to be recommended on fixed basis and even more denominate in terms of USD.
 - c. The Authority should examine the claim of the domestic industry and other interested parties with respect to the threat of material injury to the domestic industry.

L.3 Examination by the Authority

134. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues

raised for the first time in the post-disclosure comments/ submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.

135. Regrading SCC's claim that prices of the exports of the specialty grade are significantly higher than the non-specialty grades exported by it, the Authority has already concluded that the speciality grade is a like article and substitutable with PUC. Furthermore, mere price difference between two grades does not render them to be treated as different product.
136. As regards to the submission that report relied upon by the Authority to observe that the domestically produced grades can exhibit equivalent or higher thermal stability than specialty grade has not been shared with the interested parties impeding the Exporter's right to assess the report and make meaningful comments, the Authority notes that on being satisfied, it has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.
137. As regards to the submission that Authority has solely considered thermal stability while overlooking the crucial distinction of superior bloom resistance between the specialty grade and the regular grade or PUC, the Authority notes that the correlation between thermal stability and bloom resistance has been acknowledged in the submissions. Therefore, if thermal stability is proven, separate bloom resistance analysis is not required.
138. As regards to the submission that lack of demand of specialty grade is inconsistent with market realities, the Authority notes that SCC has exported single shipment of the specialty grade in the entire injury period. Further, it is noted that the export of the speciality grade made by SCC is *** MT in the POI which constitutes 0-1% of the total demand of the PUC. The Authority is unable to accept the argument that specialty grade has regular demand in India based on the single shipment of export of specialty grade made by SCC.
139. As regards to the submission that the price undercutting is negative for Japan, the Authority notes that the price undercutting is positive although not significant in case of Japan based on the imports as per DG systems.
140. As regards to the claim that the imposition of ADD will lead to monopoly, the Authority notes that the imposition of antidumping duty does not stop the imports but facilitates the level playing field to the domestic industry.
141. As regards to the claim of ATMA that the Authority finalized PUC/PCN Methodology vide Notice dated 12 August 2024, without considering the submissions filed by ATMA on 30th July 2024, the Authority notes that all the submissions filed by all the interested parties including ATMA were considered by the Authority before finalizing the PUC/PCN.
142. As regards to the submissions that the inclusion of an unapproved trial product in the scope of the PUC has distorted injury analysis, artificially inflating the DI's claims of injury by assuming that it was competing in a market where it had no actual sale of the industry, the Authority notes that as the domestic industry is selling a like article in the market, therefore, the injury analysis carried out by it is not distorted.
143. With reference to ATMA's submissions regarding differences in prices of imported SHTS grade and grade supplied by the domestic industry, the Authority notes that ATMA has not submitted any specific data in favour of its claim. However, on perusal data submitted by ATMA, it is observed that the price

of grade procured by MRF from the domestic industry is higher than the average price of the grades imported from China

144. As regards to the submission that while a demand-supply gap exists, the Authority notes that demand and supply gap, if any, cannot be the basis for non-imposition of antidumping duty provided there should be dumping from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between the two.
145. As regards to the submission that while it is acknowledged that a portion of the domestic industry's operations may be linked to its SEZ unit, this does not undermine the consistent profitability of the Insoluble Sulphur division, the Authority notes that for the purpose of injury analysis of the domestic industry, it has considered the PUC profitability of domestic industry's DTA unit and the domestic sales. Therefore, the Authority's analysis of injury to the domestic industry is without consideration of the combined profitability of Insoluble Sulphur division published in the Annual Report of the domestic industry.
146. As regards to the submission that rise in imports is due to the additional demand which the domestic industry is unable to fulfil and the unavailability of certain approved grades of the PUC, the Authority has determined that the domestic industry is selling a product which is "like" to the imported product, and therefore, it does not find any merit in the argument that the domestic industry is unable to fulfil the demand for certain products and as a result import have increased.
147. With reference to profitability of the domestic industry, In this regard, the Authority notes that the profitability of the domestic industry has shown a significant decline with positive profit in the base year turning into losses in the POI. The Authority further notes that PBDIT has witnessed a significant decline in the POI.
148. Some parties have made the submission that profit margins may have come down due to increase in depreciation and interest and as a result there exists no price underselling during the POI. In this regard, the Authority notes that it has calculated the NIP of the domestic industry as per the methodology laid down in Annexure-III of the AD Rules.
149. Some parties have made the submission that the domestic industry's domestic selling price, its export price, and the landed price of imports from non-subject countries, all independent of alleged dumping have followed a similar downward trend. Hence, price reduction is a consequence of global market conditions, not competitive pressure from subject imports. In this regard, the Authority notes that the decline in the domestic selling prices of the domestic industry is far higher than the decline in the Sulphur prices in the POI because of significant decline in import prices of the PUC from subject countries. Furthermore, the Authority notes that while there is a decline in the import price from the non-subject countries as well, such prices are way higher than the fair selling price of the domestic industry and is not causing any injury to the domestic industry.
150. As regards to the submission that volume of subject imports is too small to exert sizeable price pressure, the Authority notes that the market share of the subject countries is 14% in the POI as against 3% in the base year. In the base year, the domestic industry was in profits and the profits of the domestic industry turned into significant losses in the POI with the continuous increase in the imports volume from the subject countries at dumped prices.

151. As regards to the submission that during the POI, total imports stood at 2,927 MT, accounting for just 12% of the market, while the DI held a dominant 60% share, the Authority notes that the market share of the domestic industry has declined in the POI and the lost market share has been taken over by the imports from subject countries. Furthermore, the Authority notes that the subject countries have not only taken over the share of the domestic industry but also captured the market share of the non-subject countries.
152. As regards to the submission that if 1890 MT of SHTS grade imports is excluded, the remaining subject imports amount to just 1,037 MT, or a mere 4% of the total market which cannot suppress or depress the DI's pricing, especially given its strong market position and sustained profitability, it is noted that the Authority does not find it appropriate to carry out the import analysis after excluding the imports of SHTS grade when it has already been concluded by the Authority that the domestic industry is manufacturing and selling a like article.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATION

153. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes as provided below.
154. The product under consideration in the present investigation is "Insoluble Sulphur" originating in or exported from China PR and Japan.
155. The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
156. The applicant is a sole producer of the PUC and constitutes 100% of the total Indian production of the PUC. Therefore, the applicant passes the 'major proportion' test under Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
157. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject countries has been determined, and the margins are positive and significant.
158. The volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute and relative terms in the POI over the injury period.
159. The market share of the subject countries has been significantly increasing in the backdrop of domestic industry's capacities lying idle and growing demand of the PUC in India.
160. The domestic industry has not been able to utilize its full capacity and is operating in the range of only 55-65% over the injury period.
161. The profitability and the return on capital employed of the domestic industry has shown decline throughout the injury period. The profits in the base year turned into significant losses in the POI.
162. The average inventories of the domestic industry have increased throughout the injury period with some decline in the POI.

163. The domestic industry is facing significant price pressure from the dumped imports and had to reduce its selling prices to retain its falling market share.
164. The domestic has suffered material injury as a result of the dumped imports and there is a causal link between the dumped imports from the subject countries and injury to the domestic industry.
165. The dumping margin and injury margin from subject countries are significantly positive.
166. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.
167. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
168. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	Sub Heading or Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38123930, 28020010, 38249900	Insoluble Sulphur	China PR	Any other country including China	Any	307	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China and Japan	China PR	Any	307	MT	USD
3	-do-	-do-	Japan	Japan	Shikoku Chemicals Corporation	259	MT	USD
4	-do-	-do-	Japan	Any other country including Japan	Any other than (3)	358	MT	USD

5	-do-	-do-	Any country other than Japan and China	Japan	Any	358	MT	USD
---	------	------	----------------------------------------	-------	-----	-----	----	-----

*The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

N. FURTHER PROCEDURE

169. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority